राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ११ वां दिवस [संख्या ८

गुरुवार २६ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २२३

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

जनाना अस्पताल, जयपुर में प्रसव के समय मेडिकल कॉलेज के छात्रों की उपस्थिति

२२४. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि जनाना अस्पताल, जयपुर, में डिलीवरी के सभी केसेज़ के समय मेडिकल कॉलेज के छात्र मौजूद रहते हैं ?

(२) क्या सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती कि जच्चा की रजामंदी से ही लड़के डिलीवरी केसेज़ में मौजूद रहें ?

(३) क्या यह सच है कि लड़कों की मौजूदगी के कारण बहुत सी स्त्रियां अस्पताल आना नहीं चाहतीं और अपने जीवन को खतरे में डाल देती हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (१) जी नहीं।

(२) इस प्रकार की व्यवस्था पहले से ही है।

(३) जी नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या ऐसी शिकायत नहीं आई है आपके पास कि भेद भाव किसी तरह का नहीं रखा जाता है और सब केसेज़ में लड़के जरूर मौजूद रहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी शिकायत नहीं है। यह फैक्ट है कि कंसेन्ट लेने के बाद अलाउ करते हैं, हर एक में नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या जनरल वार्ड के लिये यह नियम है या साधारणतः यह प्रैक्टिस है कि जनरल वार्ड में जो भी केसेज़ भर्ती किये जाते हैं, वहां लड़के मौजूद रहते हैं ?

Page No.2

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जच्चा की रजामन्दी से रहते हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): क्या यह सही है कि जनरल वार्ड में रजामन्दी नहीं देते हैं तो गरीब औरतों को भर्ती नहीं किया जाता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जच्चा की रजामन्दी होती है तो लड़के मौजूद रहते हैं वरना नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : यदि सरकार के ध्यान में लाया जाय कि जच्चा की बिना रजामंदी के भी लड़के मौजूद रहते हैं तो क्या सरकार आदेश जारी करेगी कि ऐसा नहीं किया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कल ही बात की है, जच्चा की रजामंदी होती है तो रहने देते हैं वरना नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : आपने कल बात की है लेकिन कई बार मुझे खुद को वहां जाने पर परेशानी हुई, जच्चाओं को मजबूर किया गया कि लड़के अटेन्ड करेंगे आपको रहना हो तो रहिये वरना मत रहिये। यदि ऐसा है तो क्या सरकार ऐसा न करने का आदेश ज़ारी करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जरूर।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): फिर मेडिकल स्टूडेन्ट्स के लिये डिलीवरी की शिक्षा देने के लिये क्या प्रबन्ध है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कंसेन्ट से अलाउ करते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मंत्रीजी ने यह जानने की कोशिश की है कि दूसरे प्रान्तों में किस तरह से डिलीवरी के केसेज़ को हैन्डल किया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपको ज्यादा मालूम होगा।

एक माननीय सदस्य : क्या यह मालूम है कि भेदभाव रखने का कॉन्स्टिट्युशन में प्रोवीज़न नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने तो मना नहीं किया।

प्रश्न संख्या २२५ तथा २२६

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२७

श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २२८

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२९

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २३०

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

Page No.3

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या २३१

श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३२

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २३३

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३४

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २३५

श्रीमती गंगादेवी डांटा ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २३६ तथा २३७

श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

फालना देसूरी बस रूट

२३८. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) फालना देसूरी रूट पर कुल कितनी बसें चलती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त रूट पर बसें कम चलने से बसें काफी ओवर लोड होकर जाती हैं ?

(३) क्या यह सही है कि जनता ने इस बाबत शिकायतें भी की हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(४) क्या यह सही है कि फालना-देसूरी रूट पर मुसाफिरों को दो बार (सादड़ी और देसूरी) गाड़ी बदलनी पड़ती है जिससे मुसाफिरों को बहुत परेशानी होती है ?

(५) क्या सरकार इस परेशानी को दूर करने की व्यवस्था करेगी ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) ऐसा कोई अलग रूट नहीं है लेकिन फालना, सादड़ी, देसूरी, रानी रूट है जिस पर २८ बसें चलने का पर्मिट है ।

(२) यह सवाल नहीं है ।

(३) शिकायत गत वर्ष प्राप्त हुई थी जिस पर गौर किया जाकर प्रतिदिन पहले चार बसेज़ चलती थीं जिसके बजाय अब ७ बसें रोज चलाने का प्रबन्ध किया गया है ।

(४) सिर्फ एक गाड़ी देसूरी से फालना जाती है बाकी सादड़ी तक जाती है । क्योंकि अब गाड़ियों की संख्या बढ़ाकर उचित व्यवस्था करदी गई है यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री बेनाराम गहलोत : सभी गाड़ियां देसूरी पर बदलनी पड़ती हैं । फालना से रवाना होकर जो गाड़ी जाती हैं उन सबको देसूरी पर बदलना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

Page No.4

श्री नाथूराम मिर्धा : एक गाड़ी नहीं बदलनी पड़ती है, बाकी सब बदलनी पड़ती हैं ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

ग्राम पंचायत मोर तथा तहसील पंचायत का सरपंच

२३६. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) (**श्री रामनारायण वर्मा** - पीपलदा सु०) क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) टोंक ज़िले के मोर ग्राम पंचायत के सरपंच इस समय कौन हैं ? वे इस पद पर कब से हैं ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त व्यक्ति टोडारायसिंह तहसील पंचायत के भी सरपंच हैं ? यदि हां, तो कब से ?

उप मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) अभी कोई नहीं है, स्थान रिक्त है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डॉ० चन्द्रकला : कब से स्थान रिक्त है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पंचायत का निर्वाचन ४८-५-४८ को हुआ था। उसके सरपंच श्री रामगोपाल निर्वाचित हुए थे । वे तहसील पंचायत के सरपंच निर्वाचित हुए, इसलिए उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच की शपथ ग्रहण नहीं की। इसलिए स्थान रिक्त रहा ।

डॉ० चन्द्रकला : वे तहसील पंचायत के सरपंच रहे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वे तहसील पंचायत के सरपंच रहे, ग्राम पंचायत के नहीं रहे ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मोर के सरपंच के स्थान पर उन्होंने कुछ दिन काम नहीं किया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जब शपथ ग्रहण नहीं की, तो काम करने का सवाल पैदा नहीं होता ।

प्रश्न संख्या २४०

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला ।

जयपुर शहर की जालूपुरा बस्ती

२४१. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जयपुर शहर की जालूपुरा बस्ती को स्लम क्लियरेंस स्कीम के अन्तर्गत सुधारने की योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कब से शुरू होकर कब तक पूरी हो जायगी ?

(२) क्या यह सच है कि जालूपुरा में बापू आश्रम के निकट १२ नये प्लॉट काट कर अलॉट किये गये थे जिनमें से कई एक पर निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है ?

(३) क्या इन नये मकानों में पानी और बिजली की सुविधा मिल चुकी है ? यदि नहीं, तो क्या अब जल्दी से जल्दी इन्हें उक्त सुविधायें देने की व्यवस्था की जाएगी ?

Page No.5

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इस रकम क्लियरेन्स का प्लानिंग डिपार्टमेंट से सम्बन्ध है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या पूरे प्लानिंग से सम्बन्ध है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पूरे से है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

जिला बोर्ड जयपुर में अध्यापकों तथा वैद्यों की बकाया रकम

२४३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर जिला बोर्ड के किन किन अध्यापक तथा किन किन वैद्यों का एरियर तथा टी. ए. व डी. ए. के बिल का रुपया बोर्ड में बकाया है ?

(२) यह रकम उनको क्यों नहीं दी जा रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(२) वेतन सम्बन्धी एरियर के बारे में हिसाबी नियमों की पूर्ति नहीं हो पाई है। उसके विषय में धन प्राप्त करने वालों को भी लिखा जा चुका है और उसकी पूर्ति अभी तक धन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं की गई है। पूर्ति होने पर ही बकाया धन दिया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित : कब तक पूर्ति हो जाएगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब वे कर देंगे।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : कब तक कर देंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिनको पूर्ति करनी है उनको कह दिया है कि वे पूर्ति कर दें। उन्हें पूर्ति करने के बाद रुपया मिल जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत।

बांता बहुधन्धी सहकारी समिति

२४४. **श्री बेनाराम गहलोत** (लारची): क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बांता बहुधंधी सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कब हुआ और उसे कितनी धन राशि ऋण के रूप में कब मिली ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त समिति के रजिस्ट्रेशन कागज़ात सहायक निरीक्षक, सहकारी समितियां, लारची ने नक्शा हैसियत तसदीक हेतु जनवरी ५८ में पटवारी बांता के पास भेजे थे वे अब भी वहीं पड़े हैं ? यदि पटवारी ने तसदीक की, तो कब की ?

(३) क्या यह सही है कि पटवारी की

Page No.6

(श्री बेनाराम गहलोत)

शिकायत होने पर भी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

उपमंत्री सहकारी विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अतः ऋण देने का प्रश्न नहीं उठा ।

(२) हां । अभी पटवारी ने तसदीक नहीं की है ।

(३) जी हां ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : पटवारी के पास कब गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह पटवारी के पास......

श्री अध्यक्ष : जनवरी, १९५८ में ।

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जनवरी सन् १९५८ में गया ।

श्री लक्ष्मीचन्द : अब तक तसदीक न करने के क्या कारण हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पटवारी ने तसदीक करके नहीं भेजा है इसकी शिकायत तहसीलदार से की गई । तहसीलदार ने जांच करके कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए अब कलेक्टर को कार्यवाही करने के लिए लिखा गया है ।

श्री बेनाराम गहलोत : कब लिखा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अभी लिखा है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : कोऑपरेटिव सोसाइटी की तसदीक पटवारी करता है या कोऑपरेटिव इन्स्पेक्टर करता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जमीन आदि की तसदीक पटवारी ही करता है ।

श्री पी० के० चौधरी : रजिस्ट्रेशन से पहले शिकायत की तसदीक होती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : खेत वगैरह की तसदीक होती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में नियुक्तियां

२४५. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सर्विस देने के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(२) सन् ५७, ५८ में कितने नये मास्टर या वैद्य भर्ती किये गये हैं ?

(३) यह भर्ती किन नियम के आधार पर की गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) अभी नहीं बने हैं ।

(२) १०९ अध्यापक व ११ वैद्य ।

(३) योग्यता व अनुभव के आधार पर ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) ये नियम अभी तक क्यों नहीं बने ? कब तक बन जायेंगे ?

Page No.7

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने बनाये नहीं। आगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनेंगे नहीं, इसलिए बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

नगरपालिका चाकसू का चुनाव

२४६. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) नगरपालिका चाकसू कब तथा क्यों भंग हुई ?

(२) अब उसका चुनाव कब तक हो जायगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद-गुप्ता) : (१) डिस्ट्रिक्ट जज, जयपुर द्वारा चाकसू नगरपालिका के चुनाव अवैध घोषित कर देने से सरकार ने अपनी विज्ञप्ति संख्या डी. ५३६६। एल १। ७। स्वा. शा. वि. ए। ५७ दिनांक ६-६-५८ द्वारा तहसीलदार चाकसू को नगरपालिका चाकसू का प्रशासक नियुक्त किया।

(२) निर्वाचन अधिकारी द्वारा भेजे गये चुनाव कार्यक्रम के अनुसार चाकसू नगर-पालिका के नये चुनाव दिनांक १४-४-५६ को सम्पन्न होने वाले हैं।

प्रश्न संख्या २४७

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

गोलीराव तालाब के घाटों की मरम्मत

२४८. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या चाकसू में गोलीराव तालाब से सिंचाई के लिए पानी लिया जाता है तथा इसके क्षेत्र के वृक्षों पर सरकार का अधिकार है ?

(२) यदि हां, तो इस तालाब के घाटों व पाल जो टूट रहे हैं की मरम्मत के कार्य को कब तक आरम्भ कर दिया जावेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) ५० एकड़ से कम सिंचाई होने के फलस्वरूप तालाब गोलीराव गवर्नमेंट ऑर्डर नं० एफ १ : २२ इरीगेशन। ५६ दिनांक ४-२-५६ के अनुसार तहसील पंचायत चाकसू के चार्ज में दिनांक २१-४-५७ को दे दिया गया है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

चुरू जिले के जल कष्ट निवारण की योजना

२४६. श्री रावतराम (चुरू सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार की जानकारी में है कि चुरू जिला एक रेगिस्तानी क्षेत्र है जहां बहुत से ऐसे गांव हैं जिनका पानी खारा है अथवा बिराया है जिस कारण हर साल किसानों के पशु मर जाते हैं और मनुष्य भी जल कष्ट से पीड़ित हैं ?

Page No.8

(श्री रावतराम)

(२) यदि हां, तो सरकार निकट भविष्य में इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

(३) क्या यह सही है कि अगले साल यानि १९५९-६० में सरकार रूरल वाटर सप्लाई योजना के अन्तर्गत इन गांवों में मीठे पानी के कुंए अथवा कुंड तैयार करवाने की योजना बना रही है ?

(४) यदि हां, तो अगले साल में कितनी धनराशि इस कार्य के लिये सरकार देने का विचार रखती है ?

स्वायत्तशासन मंत्री (१) : आधे का हां, आधे का ना।

(हंसी)

पहले भाग (क्या सरकार की जानकारी में है कि चुरू जिला एक रेगिस्तानी क्षेत्र है) का हां। और बाकी की जानकारी नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) ऐसे स्थानों पर मीठे पानी के कुंए बनवाने के अधिकार जिला अधिकारियों को दे दिये गये हैं और वे उचित कार्यवाही करेंगे।

(४) अगले वर्ष सम्पूर्ण राजस्थान के लिये ६० लाख रुपये स्वीकृत किये हैं और ज़िला अधिकारी आवश्यकतानुसार वितरण कर रहे हैं।

श्री महेन्द्रसिंह (राजाखेड़ा) : खारे पानी को साफ करने के लिए क्या कोई चीज है जिससे उसे मीठा बना सकें ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : खारे पानी को मीठा बनाने के लिए कोई योजना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी मशीन जरूर निकली है जिसके द्वारा खारा पानी मीठा होता है लेकिन उसका खर्चा ज्यादा आता है, इस लिए उसे काम में नहीं ले सकते।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जब तक शक्कर सप्लाई कर दीजिये।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : आपने फर्माया कि खर्चा आता है, कितना खर्चा आता है, यह बतायें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास इस वक्त डिटेल्स नहीं हैं, आप कहेंगे तो बता दूंगा।

श्री चन्दनमल वैद : फिर कैसे मालूम हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने वर्क आउट किया है।

श्री चन्दनमल वैद : एस्टीमेटेड फिगर्स बता दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास फिगर्स नहीं हैं। कई साल पहले स्कीम सर्क्यूलेट हुई थी सारे हिन्दुस्तान में। एक साइन्टिस्ट ने स्कीम निकाली जिसके द्वारा खारे पानी को मीठा बनाया जा सकता है। चूंकि वह कोस्टली थी इसलिए उसे अडॉप्ट नहीं किया।

श्री चन्दनमल वैद : आपको इसके

(श्री चन्दनमल वैद)

सिवाय कुछ नहीं मालूम है कि खर्चा ज्यादा होता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गु॰ ा : मैंने उसको वर्क-आउट नहीं किया, साइन्टिस्ट ने वर्क आउट किया है। उनका जो कहना है मैं कह रहा हूं।

श्री रावतराम : क्या इस क्षेत्र की सर्वे करवाई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सर्वे के लिए कमेटी बना दी है। ६० हजार रुपया इसके लिए दिया है। डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटी से रुपया लिया जा सकता है।

श्री रावतराम : सात हजार में कितने कुंए बन सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ६० हज़ार दिये हैं।

श्री रावतराम : चुरू जिले के लिए कितना रुपया दिया जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी ६० हज़ार का अलॉटमेन्ट नहीं किया है। जहां पानी की अधिक कठिनाई हो वहां ज्यादा रुपया देते हैं। जैसी जहा आवश्यकता होती है उसके अनुसार रुपया दिया जाता है।

श्री रावतराम : क्या चुरू जिले को प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि नियम बने हुए हैं, नियमों के अनुसार रुपया दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : प्राथमिकता देने वाले जिलों में चुरू होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (मंत्री) : खारे पानी के कुंए चुरू जिले में नहीं हैं और जिलों में हैं। उसके लिए एक कमेटी बनाई हुई है। राजस्थान की तीसरी पंच वर्षीय योजना में एक स्कीम बनायेंगे, यह स्कीम दूसरी योजना के खत्म होने तक बन जायगी। तब सब लोगों के लिए पीने के पानी का इन्तज़ाम हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : डॉ बहादुरसिंह।

धौलपुर पॉवर हाउस द्वारा बिजली देने की व्यवस्था

२५०. डॉ॰ बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या विद्युत मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(१) धौलपुर पॉवर हाउस जनवरी १९५९ में नगर धौलपुर को कितने घन्टे विद्युत देता रहा ? कृपया दैनिक सूची सदन में प्रस्तुत करें ?

(२) जिस समय विद्युत दी गई उस समय कितने उद्योग व धन्धे चल रहे थे ?

(३) क्या यह सत्य है कि धौलपुर पॉवर हाउस की स्थिति मालूम होते हुए भी विद्युत बोर्ड उसकी उपेक्षा करता रहा है ?

(४) अब विद्युत के सुधार के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है और वह कब तक हो जावेगी ?

विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) धौलपुर नगर में माह जनवरी ५९ में ता. २ से ता. ३ तक २४ घंटे बिजली दी गई। ता. ४–१–५९ को एकाएक इंजन खराब हो

(श्री रामकिशोर व्यास)

जाने के कारण ता. ७–१–५६ तक बिजली न दी जा सकी। ता. ८ से ता. २७ तक छोटा ईंजन तैयार करके सुबह ६ बजे से १० बजे तक व दोपहर में ३ बजे से ५ बजे तक वाटर वर्क्स व रेलवे को बिजली दी गई और रात्रि में ६ बजे से सुबह ५ बजे तक स्ट्रीट लाइट्स को बिजली दी गई। रेलवे अस्पताल को व टेलीफोन एक्सचेंज को बिजली दी गई। ता. २५ से ता. ३१ तक पूरे धौलपुर नगर व वाड़ी को सुबह ६ बजे से दोपहर १२ बजे तक व शाम को ३ बजे से दूसरे दिन के सुबह ६ बजे तक लगातार बिजली दी गई और आज की तारीख तक भी इसी प्रकार बिजली दी जा रही है।

(२) जिस समय माह जनवरी ५६ में बिजली दी गई छोटे पॉवर के कारखानों को बिजली मिलती रही।

(३) जी नहीं।

(४) एक १०४ के. डब्ल्यु का नया ईन्जिन वहां भेजा जा रहा है। यह ईन्जिन जल्दी से जल्दी लगाया जावेगा। पुराने ईन्जिनों की रिपेयर्स के लिये स्पेयर पार्टस मंगाये जा रहे हैं। इसमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है जिसको उपलब्ध करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसमें कुछ समय अवश्य लगेगा। यदि हो सका तो कुछ और नये ईन्जिन भी वहां लगाये जावेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि बार बार पॉवर हाउस लिखता रहा है सूचना होती रही थी तो स्पष्ट है कि बोर्ड ने अवहेलना की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अवहेलना नहीं हुई। कोई चीज़ अवेलेबल नहीं हो तो उसके लिये क्या किया जा सकता है ? आपके यहां तो कोटा से मंगा कर भेज देंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : कब ?

श्री रामकिशोर व्यास : जल्दी ही।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : डिस्पेच में लेटर्स आये या मशीन ?

श्री रामकिशोर व्यास : मशीन।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री श्रीभानसिंह।

भरतपुर जिले में खाद्यान्नों की कमी

२५१. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Food and Civil Supplies be pleased tostate:—

(1) What steps were taken by the Government to meet the acute food shortage in the villages of Bharatpur District specially those of Tehsils Rupbas, Bayana, Kumber, Baseri etc. which were devastated by floods ?

(2) Did the Panchayats of this area make representation to the Collector Bharatpur for the supply of foodgrains and opening of fair price shops ?

(3) If so, what steps did the Government take and to how many Panchayats or Co-cperative Societies were these facilities granted ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (1) To meet the acute food shortage in the district:—

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(a) The first thing that was done was relaxation of the upper limit of population of 10,000 for opening of fair price shops. Consequently in all important centres where the Collector advised, fair price shops were opened. In all the places mentioned, one or more fair price shops have ben opened. A detailed list showing places and numbers of fair price shops has been placed on the table of the House.

(b) Maximum possible amounts of imported wheat have been diverted to Bharatpur District out of the quota allotted to the State Government and in the month of December an adhoc quota of 1,000 tons was specially allotted to the district. A statement showing the allotments made has been placed on the table of the House. The total quantity of foodgrains distributed since July last year has been more than 4,000 tons excluding 1,624 tons allotted this month.

(2) Some panchayats did represent to Collector Bharatpur.

(3) Imported wheat has not been given to any panchayat for distribution. However, a number of Co-operative Societies who were advised to act as whole-salers and retailers have been brought into the picture.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम ।

भाखरा नांगल परियोजना के अन्तर्गत चुरू जिले को बिजली उपलब्ध होना

२५२. श्री रावतराम (चुरू–मु०) : क्या विद्युत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भाखरा नांगल परियोजना के अन्तर्गत चुरू जिले को बिजली कब तक उपलब्ध हो सकेगी ?

(२) क्या यह सही है कि हिसार से राजगढ़ तक बिजली के खंभे व तार नहीं लगाये गये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि कस्बा राजगढ़ में बिजली के प्रबन्ध हेतु जेनेरेटिंग सेट पड़ा है ? यदि हां, तो वहां कब फिट किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) भाखरा नांगल परियोजना के अन्तर्गत मिलने वाली बिजली की दर प्रति यूनिट क्या होगी ?

(५) क्या यह सही है कि भाखरा बिजली गांवों को भी मिलेगी ? यदि हां, तो कितने गांवों को और नहीं, तो क्यों ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) इस ही वर्ष में मिलने की आशा है ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं ।

(४) पंजाब सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली दर से १५ प्रतिशत ऊपर बिजली की दर होगी ।

(५) जी हां, ५६ स्थानों को ।

Page No.12

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : क्या कोई निश्चित महीना भी बता सकते हैं कि इस साल में कब से बिजली मिलने लगेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : निश्चित महीना तो बताना मुश्किल है। अन्दाजन जून के करीब गंगानगर के आसपास और सितम्बर–अक्टूबर में राजगढ़ के आसपास।

श्री रावतराम : राजगढ़ में जेनेरेटिंग सेट पड़ा हुआ था उसका क्या हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : जरूरत नहीं है।

श्री रावतराम : मंगवा लिया या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मंगवा लेंगे नहीं मंगवाया होगा तो—Transmission lines are to be completed...

श्री चन्दनमल वैद : Each time you say that it is uncertain when it will be supplied to Churu.

श्री रामकिशोर व्यास : सुन लीजिये जरा। पोसिबली जून के करीब गंगानगर के आस पास और सितम्बर-अक्टूबर में राजगढ़ के आसपास ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : How is the Hon. Minister in a position to say that possibly these transmission lines will be completed when the completion of these lines is dependant on the Punjab Government.

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो पंजाब गवर्नमेंट से डे-टू-डे प्रोग्रेस के टच में है।

श्री श्रीभानसिंह : Was there some agreement between the Rajasthan Government and Punjab regarding the supply of certain K. W. s to Rajasthan Government by a certain month.

श्री रामकिशोर व्यास : था न ; yes, it was there यह तो मैंने डिटेल में बताया है।

श्री श्रीभानसिंह : But the Secretary or the representative of the Punjab Government did not sign on that agreement.

श्री रामकिशोर व्यास : एग्रीमेंट किसका है, मैंने देखा नहीं। चीफ सेक्रेटरी के हैं या इर्रिगेशन सेक्रेटरी के दस्तखत हैं, यह नहीं कह सकता।

श्री श्रीभानसिंह : It is rumoured that the representatives of the Punjab Government refused to put their signatures to the Agreement regarding which the Hon. Minister is referring and in accordance with that Agreement the Hon. Minister is hopeful that the Rajasthan Government will get electrical energy by that month.

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा है कि काफी डिस्क्शन हुआ है, इर्रिगेशन मिनिस्टरी में डिस्क्स होकर फाइनेलाइज़ हो गया है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : दस्तखत नहीं हुए ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं हुए हैं तो हो जायेंगे।

श्री रावतराम : ५ का उत्तर स्पष्ट नहीं है ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया न। जी हां, ५६ स्थानों को ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : प्रश्न संख्या २२५ का उत्तर दे दीजिये ।

बीकानेर सिटी डिस्पेन्सरी का भवन निर्माण

श्री मुरलीधर व्यास (श्री गिरधारीलाल (नोखा) के द्वारा पूछा गया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर सिटी डिस्पेन्सरी के भवन का निर्माण किस साल में हुआ ?

(२) इसका ठेकेदार कौन था तथा उसके ठेके की शर्तें क्या थीं ? शर्तों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) ठेके में ठेकेदार को कौन कौन सा सामान देने का वायदा किया गया था ? वायदे के अनुसार कौन कौनसा सामान सरकार ने दिया ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार ने ईंटे देने का वायदा किया था पर ईंटे न मिलने के कारण खांडे का पत्थर लगवाया जिसकी अलग रेट निश्चित की गई ? पेमेंट किस आधार पर देना निश्चित हुआ था ?

(५) क्या इस निश्चित रेट के मुताबिक पेमेंट किया गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सन् १६४८ में।

(२) श्री तेजकरण पुरोहित। शर्तों की एक प्रति प्रस्तुत है ।

(३) पट्टी, कोयला, ईंटे, सीमेंट, लकड़ी, लोहा और रंग करने का सामान। सिवाय ईंट के सारा सामान दिया गया ।

(४) जी हां, निश्चित की गई रेट पर।

(५) जी हां ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

नगरपालिका किशनगढ़ के द्वारा कर्मचारियों का सस्पेन्शन

२३२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अध्यक्ष, नगरपालिका किशनगढ़

Page No.14

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जिला अजमेर ने पिछले एक वर्ष में किन-किन कर्मचारियों को सस्पेन्ड किया ?

(२) उक्त कर्मचारियों में से अध्यक्ष के थोड़े समय तक अनुपस्थित रहने की हालत में किन किन को उपाध्यक्ष ने बहाल कर दिया ?

(३) क्या उपाध्यक्ष की इस अनधिकार कार्यवाही के खिलाफ सरकार के पास कोई शिकायतें पेश हुई हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) एक चुंगी लेखक एवं एक चपरासी को।

(२) एक अपराधी को।

(३) जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें क्या कार्यवाही की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनको हिदायत कर दी कि ऐसा आयन्दा न करें।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

नगर विकास मंडल, जयपुर द्वारा भूमि का अलॉटमेंट

२३४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : (जौहरी बाज़ार; जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर नगर विकास मण्डल द्वारा सन् १९५६ एवं सन् १९५७ में किन किन व्यक्तियों को कहां कहां कितनी कितनी भूमि मकान बनाने के हेतु अलॉट की गई ? इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जिसमें इन व्यक्तियों का पूरा पता भी दिया हुआ हो तथा दरख्वास्त देने की तारीख भी हो।

(२) सन् १९५५ से पूर्व दरख्वास्त देने-वाले ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जिनको अभी तक भी प्लॉट अलॉट नहीं किये गये ? इसकी भी एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को प्लॉट्स नगर विकास मण्डल ने अलॉट किये थे उनमें से कुछ ने उन प्लॉट्स को ब्लैक मार्केट में बेच दिया और उस निमित्त आवश्यक कार्यवाही नगर विकास मन्डल कार्यालय में भी हो गई है ? यदि हां, तो इस प्रकार से ट्रान्सफर एवं री-ट्रान्सफर किये गये प्लॉट्स और उनके मालिकों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद-गुप्ता) ; (१) सूची सदन की मेज पर रखवा-दी गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पढ़ने में नहीं आती।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास दूसरी है ले लीजिये।

(२) १९५५ के पूर्व के प्रार्थना-पत्रों का हवाला देने वाले केवल १२ प्रार्थना-पत्र प्रेषित हुए। इन पर विचार किया जा रहा है और आशा है शीघ्र ही इन सभी व्यक्तियों को भू-खण्ड प्राप्त हो सकेंगे। इस

Page No.15

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

प्रकार के प्रार्थियों की सूची संलग्न है।

(३) सरकार द्वारा भूमि के विक्रय पर कोई नियन्त्रण नहीं किया हुआ है न निजी सम्पत्ति के विक्रय की कोई दर निश्चित की हुई है। ऐसी अवस्था में भूमि के ब्लैक मार्केट करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। हां, यह अवश्य है कि सरकार द्वारा दी गई भूमि से अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति को बन्द करने के लिये सरकार ने अब यह नियम बना दिया है कि भू-खण्डों को जब तक उन पर कोई मकान नहीं बने, हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार के तथा-कथित ब्लैक मार्केट में भू-खण्डों के ट्रान्स्फर व री-ट्रान्स्फर की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण) विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न दो में मैंने पूछा था, "सन् १६५५ से पूर्व दर्ख्वास्त देने वाले ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जिनको अभी तक भी प्लॉट अलॉट नहीं किये गये? इसकी भी एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।" और उत्तर दिया गया है, "सन् १६५५ के पूर्व प्रार्थनापत्रों का हवाला देने वाले केवल १२ प्रार्थनापत्र प्रेषित हुए उन पर विचार किया जा रहा है।"

आपने ५५ के पूर्व के जितने एप्लीकेन्ट हैं उनकी सूची सदन की मेज पर नहीं रखी। आपने तो उनकी सूची रखी है जिन १२ व्यक्तियों का केस कन्सीडर किया गया। मेरा प्रश्न यह है कि ५५ के पूर्व के कितने एप्ली-केन्ट हैं, मैंने उनकी सूची चाही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास सूची आई है List of the applicants who had applied before 1955 और जिनको नहीं मिले हैं इस लिस्ट में १२ के नाम मौजूद हैं : श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिया.... ..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको रहने दीजिये। तो क्या माना जाय कि १२ ने ही दर्ख्वास्तें दी थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ज्यादा ने दीं, पर जिनको अलॉट नहीं हुआ उनकी लिस्ट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि केवल १२ को ही अलॉट नहीं किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास (मंत्री) : Yes

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनको कहने दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास जो सूचना आई है वह यह है कि तीन चार साल किसी ने प्रेस नहीं किया। ५५ के पहले दर्ख्वास्तें दी हैं, पर जो अब जमीन चाहते हैं उनकी लिस्ट दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न यह है कि ५५ के पूर्व प्रार्थना-पत्र देने वाले किन किन को अलॉट नहीं की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास वही सूची प्राप्त है, जिन्होंने १६-१-५५ के पहले दर्ख्वास्तें दी थीं कि प्लॉट चाहिये और जो अब भी प्लॉट लेना चाहते हैं। पहले एप्लाई किया हो और अब नहीं लेना चाहते, यह हो सकता है।

Page No.16

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने दुबारा एप्लाई किया उनका नहीं पूछ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन साफ है जिन्होंने ५५ के पहले एप्लाई किया था और उनको प्लॉट नहीं मिला, तीन साल हो गये ऐसे सैकड़ों लोग हो सकते हैं उन लोगों की सूची कहां है ?

मेरा यह प्रश्न है माननीय अध्यक्ष और इसका अभी तक उत्तर नहीं मिला है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब तो अलॉटमेंट बन्द कर दिया गया है, अब तो कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : बन्द होने के बाद भी १०५ प्लॉट अलॉट किये गये और उस मण्डल की जो प्लॉट अलॉट करता है उसकी जिम्मेदारी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपके ऑर्डर पहुँचने के दो दिन बाद ही लोगों को ये प्लॉट्स दिये गये। दो दिन ऑर्डर को लेने में डीले की गई और मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। गवर्नमेंट ने जिस दृष्टि से, इकोनॉमिक लोस से बचने के लिये यह अलॉटमेंट बन्द किया उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलॉटमेंट पहले का हुआ होगा।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट ने जब आपका ऑर्डर हो चुका था उसके बाद ये प्लॉट्स लोगों में बांटे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलॉटमेंट तो कोई नहीं हुआ। यह मेरी जानकारी में नहीं है जो आप कह रहे हैं। इसकी जानकारी कर लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन १५ दिनों में लोगों की फर्जी दर्ख्वास्तें लेकर उनकी एन्ट्रीज़ कराई गई। इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी शामिल हैं। अगर आप उनके नाम जानना चाहते हैं तो मैं उनके नाम बता देना चाहता हूं और इन्क्वायरी करना चाहते हैं तो उसके लिये मसाला देने को तैयार हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बताया कि यह काम एक कमेटी करती है।

श्री भैरोंसिंह : कमेटी तो भ्रष्टाचारी कमेटी है और××

××उक्त अंश श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्य-विवरण में से पृथक किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को संयम से काम लेना चाहिये और संयम से कहना चाहिये। जो पोइन्ट्स उठाये गये हैं, उसका उत्तर दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, संयम ही संयम रखते रहें तो कोई सुननेवाला नहीं है। अगर संयम से कुछ कहते हैं तो रूल्स (अश्रव्य) नहीं करते और मैं तो यह कहूंगा कि इस राज्य में कोई सुनने वाला नहीं है यहां तो (इस राज्य में) बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी डाटा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सूची में ६१ नम्बर पर जिसको प्लोट अलॉट किया गया है, जिस देवी को अलॉट किया गया है इसमें उसका कोई एड्रेस नहीं है। ऐसी कई देवियां हो सकती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय ने अगला प्रश्न पूछने के लिये आदेश दे दिये हैं और मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ।

(दो-तीन माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री पी० के० चौधरी : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : न इनको मालूम है और न उनको मालूम है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो आपको स्वयं को ही मालूम है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

रामगढ़ गोविन्दगढ़ सड़क

२३५. श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) रामगढ़ गोविन्दगढ़ सड़क का निर्माण कब तक संभव होगा ?

(२) क्या इस सड़क का सर्वे हो चुका है तथा क्या इसको तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री : (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) यह कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं है।

(२) जी नहीं अभी तृतीय पंचवर्षीय योजना तैयार नहीं की गई है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : क्या इसकी सर्वे हो गई है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी नहीं हुई है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : क्या आगे योजना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी

२४७. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) राज्य में पुलिस कर्मचारियों को साल में कुल कितनी तथा किस-किस प्रकार की छुट्टियां दी जाती हैं ?

(२) क्या ये छुट्टियां नियमित रूप से दी जाती हैं ?

(३) बीकानेर जिले में ऐसे कितने पुलिस कर्मचारी हैं जिनकी छुट्टियां गत चार वर्ष से बकाया हैं और उन्हें छुट्टी मांगने पर भी छुट्टी नहीं दी गई ?

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास)

(१) राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स के अनुसार। हर पुलिस अधिकारी को मांगने पर अपने हक की छुट्टियां दी जाती हैं यदि सेवा-कार्य की परिस्थितियां विपरीत न हों।

(२) जी हां, जहां तक परिस्थितियां ऐसा करने की अनुमति देती हैं।

(३) कोई नहीं।

(४) कोई नहीं और इसलिए प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट,

श्री भैरोसिंह।

वैद्यों का स्थानान्तरण

२२३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५६-५७, ५७-५८ व ५८-५९ में आयुर्वेदिक विभाग में किन-किन वैद्यों के स्थानान्तरण के आदेश जारी होने के बाद रद्द किये गये और क्यों ?

(ख) किन-किन वैद्यों के स्थानान्तरण करने की मूल आज्ञा में स्थान का परिवर्तन किया गया और क्यों ?

(ग) स्थानान्तरण के आदेश रद्द करने तथा उनमें परिवर्तन करने के कारण यात्रा तथा दैनिक भत्ते के रूप में किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी रकम खर्च हुई ? कृपया इनके उत्तर से सम्बन्धित एक तालिका सदन की मेज पर रखें।

स्वास्थ्य मन्त्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(क) इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। रद्द व स्थागित करने का कारण कुछ मामलों में तो वैद्यों की घरेलू परिस्थिति व कुछ मामलों में प्रशासनिक दृष्टिकोण ही विशेष कर रहा है। कुछ ऐसे केसेज़ भी हैं जहां परिवर्तन आदेश जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर उनके डेप्युटेशन आने पर स्थगित करने को बाध्य होना पड़ा है।

(ख) इसका जवाब (क) में दे दिया गया है।

(ग) टी० ए० व डी० की रकम सम्बन्धित निरीक्षणालयों से उठाई जाती है जिसके रेकॉर्ड पूर्णरूपसे संचालक आयुर्वेदिक विभागके कार्यालय में नहीं रहते। अतः सम्बन्धित विभाग की जानकारी समस्त निरीक्षणालयों से मांगी गई है जिसके प्राप्त होने पर प्रेषित की जा सकेगी।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरोसिंह : जिनका स्थानान्तरण घरेलू परिस्थितियों के कारण रद्द किया गया क्या उसके लिये उन्होंने दख्र्वास्त दी थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन्होंने अपने केस को रिप्रेजेन्ट किया कि मेरी घरेलू परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरी औरत बीमार है या किसी ने यह कहा कि मेरे लड़के का इम्तिहान होना है।

श्री भैरोसिंह : क्या उन लोगों ने इस प्रकार का प्रार्थनापत्र लिखित में दिया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने लिखित में दिया है क्या ?

Page No.19

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि कुछ लोगों ने लिख कर दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने लिखित में दिया या जबानी ही रिप्रेजेन्ट किया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ ने लिख कर दिया और कुछ ने जबानी ही रिप्रेजेन्ट किया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने उसको तस्दीक किया कि यह किस हद तक सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ट्रान्सफर्स कैंसल हुये हैं वे डाइरेक्टर की तरफ से हुये हैं । उनको इतमिनान हुआ होगा ।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने उनके कहने से ही इतमिनान कर लिया या उन्होंने इस सम्बन्ध में जांच कराई या नहीं कि जो कुछ कहा जा रहा है उसमें तथ्य है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अधिकतर औरत की बीमारी या लड़के की बीमारी, लड़के का इम्तिहान हो रहा है, ऐसे केसेज़ में आम तौर से यह मान लिया जाता है और आम तौर से इसमें विश्वास किया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : आम तौर का प्रश्न नहीं है । जब तक अधिकारियों को लिखित रूप में नहीं देते तब तक ट्रान्सफर कैन्सल नहीं होते, ऐसा नियम है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा तो कोई नियम नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : जब तक कोई एड-मिनिस्ट्रेटिव रीजन्स नहीं हों तब तक तो है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रीज़न्स तो मालूम करने के बाद ही कैन्सल किया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : साधारणतः इन मामलों पर किसी का स्थानान्तरण नहीं रद्द किया जाता है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में ऐसे नियम नहीं है । अगर कोई ऑफिसर की डिफिकल्टी है तो वह एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है ।

श्री भैरोंसिंह : एडमिनिस्टेटिव रीज़न्स के अलावा और भी कई रीज़न्स हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रूल्स मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : कोई निश्चित नियम तो हो नहीं सकते, जैसी परिस्थिति होती है वैसा होता है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स से होती हैं क्या यह सही है कि यह बात भी नियम में है कि औरत आदि...

श्री अध्यक्ष : आपने तीन तरीके बताये हैं ।

घरेलू, परिवारिक और जनप्रतिनिधियों के कारण । इन तीनों में से कोई न कोई बात तो हुई होगी ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सारे के सारे रूल्स में आते हैं एक भी रूल्स के बाहर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

एक माननीय सदस्य : २२५ का उत्तर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २२५ का उत्तर दे दिया गया है।

बीकानेर शहर की ड्रेनेज योजना

२२६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या बीकानेर शहर के लिए ड्रेनेज की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : ड्रेनेज की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। सर्वे की स्कीम विचाराधीन है। सर्वे करा रहे है उसमें बीकानेर भी शामिल है।

श्री मुरलीधर व्यास : कौन सर्वे कर रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सर्वे की स्कीम विचाराधीन है तभी तो सर्वे कराई जारही है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं विचाराधीन का मतलब नहीं समझा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : इसकी सर्वे पहले की जा चुकी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे डिपार्टमेंट के सर्वे करने की बात है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह कब तक हो जावेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें टाइम नहीं बता सकते।

श्री मुरलीधर व्यास : आखिर योजना का प्रश्न है। कुछ न कुछ तो विचार किया जावे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राजस्थान में कोई ऐसा शहर नहीं है या इम्पोर्टेन्ट टाउन नहीं है जहां योजना न हो इसके लिये स्टाफ सैंक्शन किया जा रहा है। रुपया सैंक्शन किया जा रहा है। तीसरी पंच वर्षीय योजना में लेने की संभावना है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

सादूल कोलोनी बीकानेर में नालियों का निर्माण

२२८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या बीकानेर की सादूल कोलोनी में गन्दे पानी के निकास हेतु नालियां बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : ऐसी योजना सिटी इम्प्रूवमेन्ट कमेटी बीकानेर द्वारा चालू है। कुछ कार्य पूरा हो गया है और बाकी के काम के लिए टेन्डर मांगे गये हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या योजना है इसके बारे में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नाली बनाने की योजना है।

श्री भीमसेन : कितने एरिया में और कब तक बनायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ११,६३० का काम तो फरवरी १६५७ तक पूरा हो चुका है और १०,५६०) के काम के टेन्डर मांगे गये हैं जो काम १६६० में पूरा कराया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : कब तक पूरा कराने का निश्चय किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १६५६ तक के लिए भी स्वीकार किये गये हैं। ११.३०० रुपया खर्च हो चुका है, १०,५६० और खर्च करने की योजना है।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : कुल कितने की स्कीम है ?

श्री अध्यक्ष : योग कर लीजिये।

(विराम)

होता तो बता देते।

श्री भैरोंसिंह।

भंवरसिंह हैड कॉस्न्टेबल की बर्खास्तगी

२२६. भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि भंवरसिंह, हैड कान्स्टेबिल, आर० ए० सी० को उसके पास से एक मुलज़िम भाग जाने के कारण बर्खास्त किया गया है यदि हां, तो कब और किस अधिकारी द्वारा ?

(ख) श्री भंवरसिंह को किस अधिकारी ने कहां और कितने मुलज़िम किस जगह से किस जगह तकके जाने के लिए सम्भलाये थे ?

(ग) जो मुलज़िम भाग गया उसका नाम व पता क्या है तथा किस तारीख को किस अपराध में किस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया था ?

(घ) क्या वह फरार व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) जी हां श्री भंवरसिंह, हैड कान्स्टेबिल को डी० आई० जी० पुलिस आर० ए० सी० की आज्ञा दिनांक ६-७-१६५७ द्वारा डिस्चार्ज किया गया।

(ख) श्री भंवरसिंह तथा उसके नेतृत्व में गई एस्कोर्ट पार्टी को पी० एस० श्री खड़गसिंह ने चौकडी भागसर से थाना केशरीसिंह पुरा को ले जाने के लिये ५ अपराधी ता० २२-१२-५६ को सम्भलाये थे ?

(ग) श्री निहालसिंह पुत्र श्री सौदारसिंह घुनूर निवासी है। वह दिनांक २१-१२-५६ को आर० ए० सी० पार्टी नं० ५ द्वारा अन्य तस्कर व्यापारियों के साथ पकड़ा गया। उस पार्टी का अध्यक्ष पी० सी० श्री खड़गसिंह था और उसमें हैड कॉन्स्टेबिल श्री भंवरसिंह भी शामिल था।

(घ) श्री निहालसिंह को पुनः नही पकड़ा क्योंकि उसका तस्कर व्यापार मे बन्दी किया जाना नहीं दिखाया गया जिसके कारण उसका अपराध बाद में हस्तक्षेप करने योग्य नहीं रहा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस रोजनामचे के अन्दर मुलज़िमान सुपुर्द करने की एन्ट्री की गई थी उसमें केवल चार मुलज़िमान की सुपुर्दगी की एन्ट्री थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, यह सही है।

श्री भैरोंसिंह : फिर पांच अपराधियों को पकड़ने की हालत में पांच की ही एन्ट्री क्यों नहीं की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : पकड़ कर ले गये थे पांच को लेकिन थाने पर एन्ट्री चार की हुई।

श्री भैरोंसिंह : जिस निहालसिंह को पकड़ने का जिक्र किया जा रहा है उसकी रोजनामचे में एन्ट्री क्यों नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पांच को अरेस्ट किया गया था लेकिन फर्द गिरफ्तारी में बताया गया उसमें निहालसिंह का नाम ओमिट कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पकड़ा पांच को और रोजनामचा में एन्ट्री कराई चार की, फर्द गिरफ्तारी में से एक को छोड़ दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिस वक्त इत्तला मिली आर० ए० सी० वालों को....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिलकुल स्पेसिफिक है और मुझे उसका स्पेसिफिक ही उत्तर चाहिये कि गिरफ्तारी में से एक व्यक्ति को क्यों छोड़ दिया गया और वह कौन था ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप नहीं समझे तो...

श्री भैरोंसिंह : मैं सब समझ गया....

श्री रामकिशोर व्यास : समझदारी का ठेका आपने ही नहीं ले रखा है।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि रोजनामचे में चार ही की एन्ट्री हुई।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि गिरफ्तार के बाद चेक पोस्ट तक लगाया गया उस उक्त पांच मुलज़िमान थे लेकिन १ को छोड़ दिया और एन्ट्री चार की कर दी मुलज़िमान चार ही रह गये उस समय उनमें से कम हो गया तो....

श्री रामकिशोर व्यास : आप सुनना ही न चाहें तो इसका क्या इलाज है। शुरू में पांच आदमियों को पकड़ा गया। उनको आर० ए० सी० के थाने पर लाया गया, पुलिस कस्टडी में ले जाया गया तो पांच को ले जाया गया। और एक को रिलीज़ कर दिया, चार रह गये।

श्री भैरोंसिंह : जैसा कि माननीय गृह-मन्त्री जी कहते हैं कि पांच आदमियों को पकड़ा गया, उनकी लिस्ट बनी थी, लेकिन रोजनामचे में उनकी एन्ट्री पांच न होकर चार ही क्यों हुई, एक को क्यों रिलीज़ कर दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : एन्ट्री चार की ही हुई है।

श्री भैरोंसिंह : चार आदमियों को किसने भेजा था ?

श्री रामकिशोर व्यास : फिर दुबारा समझ लीजिये। जहां स्मगलिंग पार्टी थी वहां जाकर पांच को पकड़ा। आर० ए० सी० थाने में पांच को लाया गया, रात को वहां

(श्री रामकिशोर व्यास)

रहे। जब केसरीसिंहपुरा थाने में लेजाया गया तो उनमें से एक को रिलीज़ कर दिया, एन्ट्री चार की थी।

श्री भैरोंसिंह : जिस अधिकारी ने केसरीसिंह पुरा थाने में भेजने के लिए सम्भलाया वह इस बात के लिए भी जिम्मेदार था, कि पांच की ही एन्ट्री की जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी गलती थी इसलिए उसके खिलाफ़ कार्यवाही हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : निहालसिंह चला गया, उसके बाद न तो उसको गिरफ्तार किया गया और न कहीं कोई केस दायर किया गया।

श्री रामकिशोर व्यास : उसके खिलाफ़ एन्ट्री नहीं थी। नॉनकोग्नीजेबल ऑफेन्स था।

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं नॉन कोग्नीजेबल ऑफेन्स था, उसके खिलाफ़ केस नहीं बन सकता था तो फिर गिरफ्तारी किस कारण से हो सकती है।

श्री रामकिशोर व्यास : उस वक्त सम्भलाया था तो पांच आदमी थे, उनको ले लिया। लिस्ट में उसका नाम नहीं, तो गिरफ्तार किसको करते।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि नॉन-कोग्निजेबल ऑफेन्स में गिरफ्तार किया था और फिर उसको छोड़ दिया तो उसको क्यों छोड़ दिया केवल उसका नाम लिस्ट में नहीं होने से...

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने दो बातें कहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : दो नहीं चार कहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा था कि लिस्ट में नाम नहीं था गिरफ्तार किसको करते।

श्री भैरोंसिंह : निहालसिंह को गिरफ्तार किया गया था या नहीं? किया गया तो किस ऑफेन्स में? उसमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री रामकिशोर व्यास : सीज़ करते समय उसको लिया गया और दाखला नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : सीज़ करते समय उसको पकड़ा गया चाहे उसको माला पहनाई हो आपने, dont ask that question. whether he was arrested or not? This is my specific question for you to answer. जाब्ते में उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?

श्री रामकिशोर व्यास : ज़ाब्ते में नहीं हुई तो गैर जाब्ते में ले जाने के लिए हैड कॉन्स्टेबल को बर्ख्वास्त किया।

श्री भैरोंसिंह : उसका नाम लिखा जाना चाहिये था।

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी एन्ट्री नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन उसको रिलीज़ करने का प्रश्न नहीं था।

श्री रामकिशोर व्यास : केवल उसकी

Page No.24

(श्री रामकिशोर व्यास)

गिरफ्तारी गैर कानूनी थी क्योंकि उसकी एन्ट्री नहीं थी ।

श्री भैरोंसिंह : पांच आदमी को सम्भलाना चाहिये था...

श्री पी. के. चौधरी : If a particular person was not arrested, how a particular man who is not under arrest can be taken by tne Escort party ?

श्री अध्यक्ष : अरेस्ट हुआ या नहीं वह तो अब पता लगा । पांच आदमी सम्हलाये गये, लेकिन चार की ही एन्ट्री हुई । पांच आदमी एक जगह थे लेकिन वह उसमें से फरार हो गया ।

श्री भैरोंसिंह : फरार ही नहीं हुआ । गिरफ्तार ही नही हुआ । उसने कोर्ट में जाकर हलफ के साथ बयान दिये हैं कि उसका नाम झूठा लिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : टेक्निकल पॉइन्ट ऑफ व्यू से कह सकते हैं क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई ।

श्री भैरोंसिंह : नॉनकाग्निजेबल ऑफेन्स होने के कारण से एक्शन नहीं लिया गया या एन्ट्री रोजनामचे में न होने से एक्शन नहीं लिया, गिरफ्तार नहीं किया ?

अध्यक्ष महोदय उन्हें कस्टम वालों ने नहीं सम्भलाया आर० ए० सी० वालों ने उनको गिरफ्तार किया और उन्हीं के द्वारा वहां लाये गये । एन्ट्री करने वाले दूसरे थे । उसके लिये वहां के इन्चार्ज को सस्पेन्ड किया गया और डिग्रेड किया गया और भंवरसिंह को बर्ख्वास्त कर दिया गया ।

श्री रामकिशोर व्यास : तो आप क्या चाहते हैं कार्यवाही नहीं होनी चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : हमारी तो बहुत इच्छा है कि जो गड़बड़ी करते हैं उनको सज़ा दी जाय मेरा तो आप पर यह चार्ज है कि आप सज़ा नहीं देते और बचाने की कोशिश करते है ।

श्री रामकिशोर व्यास : जिनको हम सज़ा देना चाहते हैं आप उनको सज़ा होने नहीं देते ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब ठीक प्रकार से नहीं आया है ?

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया है जो वस्तु स्थिति है वही तो जवाब आयगा ।

अंचाबाई अस्पताल बीकानेर में दवाईयों की व्यवस्था

२३०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अंचा बाई अस्पताल, बीकानेर में सन् '५७ और '५८ में कितने रुपयों की दवाईयां सालाना दी गई ?

(२) उक्त वर्षों में मरीजों की संख्या कितनी बढ़ी ?

(३) मरीजों के बढ़ने के साथ दवाईयों का बजट बढ़ा या नहीं ?

(४) क्या वहां के टी० बी० क्लिनिक से नियमति रूप से मरीज़ों को दवाईयां दी जाती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) (१) ६,००० रु. की।

(२) कोई संख्या नहीं बढ़ी।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(४) जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या वहां मजदूरों की संख्या बढ़ी नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं।
श्री मुरलीधर व्यास : कितनी थी पहले ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: सन् ५६–५७ में २, १४,६५६ और सन् ५७.५८ में १,६६, ७७६।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह संख्या बारह महीनों की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, बारह महीनों की है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

बीकानेर जिले की सहकारी समितियां

२३३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) क्या मंत्री सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर जिले में कुल कितनी रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हैं ? उनमें से कितनी काम कर रही हैं ?

(२) बीकानेर में बजरी व कंकर उत्पादक समिति के कुल कितने सदस्य हैं व उस समिति की गत तीन वर्षों की क्या आमदनी रही ? इसकी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करें ?

(३) जामसर में कितनी सहकारी समितियें है वे क्या क्या काम करती हैं ? क्या इनकी ऑडिट रिपोर्ट सरकार के पास आई है ?

उप मंत्री सहकारी विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) १८७ जिसमें से १६४ काम कर रही है।

बीकानेर में बजरी व कंकर उत्पादक समिति के कुल १२७ सदस्य हैं। गत तीन वर्षों की आमदनी का हिसाब इस प्रकार है ?

८०७४, ०४,२८५१२, ६५ तथा ६३२७. ३१ नये पैसे हैं। इसकी ऑडिट रिपोर्ट संलग्न है। (देखें)

(२) जामसर में निम्नलिखित तीन सहकारी समितियां हैं जिनकी वांछित सूचना निम्न प्रकार है।

१. जामसर जिप्सम माइन्स कर्मचारी समिति लि० यह उपभोक्ता वस्तुओं का विक्रय करती है ?

२. जामसर जिप्सम उत्पादक सहकारी समिति लि० यह जिप्सम की खुदाई का ठेका लेकर कार्य करती है।

३. जामसर बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड। समिति कार्य प्रारम्भ करने वाली है। इसके कृषि व्यवसाय के लिये ऋण वितरण किया है।

इनमें से जामसर जिप्सम माइन्स कर्मचारी बहुधन्धी सहकारी समिति के हिसाबों की ऑडिट रिपोर्ट १६५६.५७ तक की आई

(श्री दौलतराम सारण)

शेष दो में से नं० २ के ऑडिट की व्यवस्था की जा रही है और नं० ३ का अभी ऑडिट ड्यू नहीं हुआ है।

(सूची अत्याधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मुरलीधर व्यास : कंकर उत्पादक सहकारी समिति की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें कहा है कि इसकी सदस्य संख्या है नहीं, क्यों कि सदस्य तो इसके बन चुके किन्तु हस्ताक्षर किसी के है नहीं तो आखिर इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : आप कौन सी समिति के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : कंकर उत्पादक सहकारी समिति जो बीकानेर के कांग्रेस कार्यालय में चलती है।

श्री दौलतराम सारण : इसकी ऑडिट रिपोर्ट मैंने आपको दे दी है।

श्री मुरलीधर व्यास : वह इस प्रकार है कि सदस्यों में किसी के हस्ताक्षर नहीं है तो मेरा यह निवेदन है कि बिना सदस्यों के हस्ताक्षर के यह सोसाइटी रजिस्टर कैसे हुई ?

श्री दौलतराम सारण : ऑडिट रिपोर्ट में एक जगह जरूर लिखा है कि समिति के पास जो सदस्यों का रजिस्टर है उसमें उनके हस्ताक्षर है नहीं हस्ताक्षर करने के लिये रजिस्टर भेजा हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : रजिस्टर में जब हस्ताक्षर नहीं है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : सदस्यों का रजिस्टर जिसमें सदस्यों की सूची रखी जाती है उसमें हस्ताक्षर नहीं है, यह बात नही है। कागज़ पत्र जो तैयार किये जाते हैं उनमें हस्ताक्षर नहीं हो ऐसा हवाला नहीं है। जब किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है उस समय के हस्ताक्षरों के लिये नहीं कहा गया है। यहां उसके लिये कहा गया है कि जो कागज़ दफ्तर में हैं उन पर किसी पर हस्ताक्षर नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : लाखों रुपयों की कमाई हुई तो वह बिना सदस्यों के किस प्रकार ठेका गया जब कि उसमें मजदूर सदस्य नहीं हैं ?

श्री दौलतराम सारण : सदस्य तो हैं उनकी लिस्ट भी है सदस्यों का रजिस्ट्रेशन भी है यह है कि सदस्यों के नाम के आगे हस्ताक्षर नहीं कराये हस्ताक्षर करने के लिये दिया हुआ है। ऑडिट पार्टी ने यह हिदायत दी थी कि इन पर हस्ताक्षर कर लिये जांय।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा यह निवेदन है कि बिना हस्ताक्षर के कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता नही ?

श्री दौलतराम सारण : रजिस्ट्रेशन के लिये जिनके हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है उनके हस्ताक्षर रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त पर हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : वह है नहीं तभी तो लिखा गया है। उसके अलावा यह भी लिखा है कि बनिया पद्धति से हिसाब

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं रक्खा जाता है जिसको वह समझ नहीं पाये। ऑडिट रिपोर्ट है उसके अन्दर यह भी कहा गया जहां सेक्रेटरी के दस्तखत होने चाहिये वहां है नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : यह बात ठीक है कि कई जगह सेक्रेटरी के दस्तखत नहीं हैं, कहीं अध्यक्ष के दस्तखत नहीं हैं यह नहीं लिखा कि इस कारण इस समिति का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वह अवैधानिक है।

श्री मुरलीधर व्यास : ऑडिट तो आपने जो जो गलतियां की हैं उसको बताने वाला है जैसा कि उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया है कि सदस्यों की जो संख्या है उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं है इसके अलावा हिसाब जिस ढंग से रखा जाना चाहिये, उस ढंग से नहीं रक्खा गया है उन्होंने अपने ढंग से ही बनिया पद्धति से जिसे वे समझते नहीं उस पद्धति में हिसाब रखा गया है पांच साल से यह चल रहा है लेकिन इसका पता नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : उसको पूरा करवाने के लिये कह दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह जानना चाहता हूँ.....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा हुआ कि हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेम्बर हैं प्रेजीडेन्ट या सेक्रेटरी हैं वे कई दफा प्रोसीज़र की गलती कर जाते हैं। प्रोसीज़र के मुताबिक उनके कई जगह दस्तखत होने चाहिये, वे नहीं कर सके हैं जब इस बारे में ऑडिट ओब्जेक्शन सामने आया तो हमने उनसे कहा कि आप दस्तखत करके ठीक कर लिया करें। बेसिकली सोसाइटी के मेम्बर हैं उनके हिसाब किताब हैं उनके नफे नुकसान का हिसाब है और जो कुछ अनियमितता ऑडिट वालों ने बतलाई है उसकी तकमील के लिये कह दिया है। और आप क्या चाहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा यह निवेदन है कि इस सहकारी समिति ने मजदूरों के नाम से भारत सरकार से ठेका लिया है और वास्तव में उसमें कोई मजदूर सदस्य है नहीं, यह समाजवाद के सिद्धान्त के खिलाफ पड़ता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बतला दीजिये कि कौन पूंजीपति उसमें है तो हम उसको निकाल देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने पूछा है इसके सदस्य कौन हैं, जब सदस्यों की लिस्ट नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने सदस्यों के नाम नहीं पूछे, आपने सदस्यों की संख्या पूछी थी वह बता दी गई। इसके अलावा जो मेम्बर पूंजीपति हैं और आपके ध्यान में हैं, तो बता दीजिये जिनको मजदूर कहकर लगा दिया गया हो अगर स्पेसिफिक सवाल रखेंगे तो जांच करा लेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : यह बिल्कुल रिलेवेन्ट क्वेश्चन है जब कि पांच साल से यह समिति लाखों रुपयों का ठेका लेती जा रही है आज तक जिनके दस्तखत नहीं हुए जब उनके सदस्य ही नहीं हैं तो यह इन्डीकेशन साफ तौर से हैं कि दे आर फाल्स ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप यह समझ

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सकते हैं कि जहां कंकर पत्थर का काम होता हो, वहां कोई पूंजीपति होगा और लाखों रुपयों का बिजनैस होगा? यह तो काम मजदूर ही कर सकते हैं पूंजीपति नहीं!

श्री पी० के० चौधरी : It is not, the question of a Majdoor or a Punjipati It is a question of honest dealings.

श्री नाथूराम मिर्धा : It is a most honest dealing. It is a bonafide mistake by those who dont' know the procedure.

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो कहा गया है कि लाखों रुपये का काम नहीं है। १ लाख १२ हज़ार का हमारे सामने है।

श्री अध्यक्ष : जहां तक ऑडिट रिपोर्ट का सवाल है उसमें किसी बुनियादी अनियमितता नहीं बतायी है जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा। अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ में थोड़ी बहुत गलतियां रह जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : गलतियां को मान लें।

श्री अध्यक्ष : यह तो वे मानते हैं, पर इसमें कोई एम्बेज़ल्मेंट हो, बदयान्ति हो और ऐसा कुछ सीरियस एलीगेशन हो तो बता दीजिये। उसको ठीक किया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका हिसाब बनिये तरीके से रक्खा गया है जो समझ में नहीं आता है। इसके सदस्यों का रजिस्टर नहीं है। इसमें किसी भी सेक्रेटरी के हिसाब के खर्चे खाते में दस्तखत नहीं हैं। तो ये आखिर किस बेसिस पर यह कह रहे हैं। वे लोग यह कहते हैं कि बोगस सदस्य बनाये हैं क्या, या मुनाफ़ा व्यक्तिगत तौर पर रख लेते हैं। मैं यह सब भी बता दूँगा पहले आप उन सदस्यों के नाम तो बताइये, कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम बता दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : आपने पूछा कि कितने सदस्य हैं और वह बता दिया गया आप उनके नाम पूछते तो वे भी बता देते, पर आपने नाम नहीं पूछे पहले, अब इस समय सदस्यों की सूची देना संभव नहीं है। फिर एक बात यह भी है कि रिपोर्ट में कोई गम्भीर अनियमितता की बात नहीं बताई गई। प्रोसीज़र की साधारण अनियमितताएं बताई गई हैं जो पूरी कराली जावेंगी और जिन्हें समिति ने भी मन्जूर किया है। फिर ऐसी कोई बात नहीं बताई गई कि कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया हो।

श्री मुरलीधर व्यास : बहुत गम्भीर बात बताई गई है। चौदहवें और पांचवें पैरा में देख लीजिये कि यह बहुत गम्भीर शिकायतें हैं। एक ऑडिटर यह कहे कि सदस्य रजिस्टर नहीं है और सदस्यों के दस्तखत नहीं है जिसके ऊपर सारा दारोमदार होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, फार्म भरना पड़ता है।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य को यह पता नहीं कि सदस्य का और समिति का रजिस्टर कैसे होता है और वह समिति कैसे रजिस्टर्ड होती हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मिनिस्टर महोदय को पता नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : जब समिति रजिस्टर्ड होती है तो एक निश्चित फार्म पर

(श्री दौलतराम सारण)

सभी सदस्य दस्तखत करते हैं फिर रजिस्ट्रेशन का प्रार्थनापत्र दिया जाता है उस पर सबके दस्तखत होते हैं, तब उस पर कागज बनते हैं और रजिस्ट्रेशन होता है। बिना इसके रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता और यह मैं बताना चाहता हूं कि यह समिति बोगस नहीं है। अगर आप बोगस के लिये चैलेंज़ करते हैं तो लिखकर दीजिये आप ऐसा। हम इसकी जांच करावेंगे। फिर ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा कोई संगीन आरोप नहीं लगाया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : यह आरोप हैं, मैं पढ़कर सुनाता हूँ, आप आरोपों की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्र का समय समाप्त है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इतना जानना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : Order please ! order !!

१२. २ म० प०

राज्यपाल महोदय का, धन्यवाद के प्रस्ताव पर सन्देश

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न सन्देश प्राप्त हुआ है :—

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक १६ फरवरी, १९५९ को विधानसभा में दिये गये मेरे अभिभाषण पर सदन के सदस्यों ने जो आभार प्रदर्शित किया, उस को प्राप्त करके मुझे अत्यन्त सन्तोष हुआ है।

भवदीय,
गुरुमुखनिहालसिंह
राज्यपाल,
राजस्थान।

१२. ३ म० प०

विधायी कार्य

नाथद्वारा मन्दिर विधेयक, १९५९

(अग्रेतर विचार विमर्श)

नाथद्वारा टेम्पल बिल, १९५९ पर बहस हो रही थी। जैसा कार्यक्रम इसके लिये पहले से निर्धारित था उसके अनुसार आज इसकी बहस समाप्त होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज तो नहीं होगा। (विराम) आज तो इस पर बहस समाप्त नहीं हो सकेगी, समय कम है और नाथद्वारा का मामला इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : काफी बहस हो गई है, अगर और कहना चाहते हैं तो अमेन्डमेन्ट्स पर बहस कर लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : यह काफी महत्वपूर्ण मामला है साहब। सदन ने काफी इन्टरेस्ट इसमें लिया है और इसको माननीय राजस्व मन्त्रीजी भी स्वीकार करते हैं।

श्री अध्यक्ष : तो माननीय सदस्य और एक दिन बढ़ाना चाहें तो शनिवार को तो यह हो सकता है। आगे समय नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में जैसे तय किया गया

(श्री दामोदरलाल व्यास)

था उसके हिसाब से समय इसके लिये रक्खा गया था और फिर यह बिल विधान सभा के शुरू होने से छः सप्ताह में पास होना लाज़िमी है। आगे बजट सैशन आ रहा है। बजट २ तारीख को पेश होगा। इसके लिए सब बातों को ध्यान में रख कर इसके दिन फिक्स्ड कर दिये गये हैं। फिर भी इस पर माननीय सदस्य चाहते हैं कि समय दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर फिर सदन को सटरडे को इसके लिये बैठने को तैयार होना चाहिये। कॉन्स्टिट्यूशनली तो जितने समय में इसको पास होना चाहिये, उसे पास करना है। और अगर माननीय सदस्य बजट के दिनों में से दिन काटने को तैयार हों तो मुझे आपत्ति नहीं है। डिमान्ड के दिनों में से काट सकते हैं। और यदि इस के लिये तैयार नहीं हैं तो २८ तारीख को सटरडे है उस दिन बैठक हो जावे।

श्री अध्यक्ष : यह बिल्कुल ठीक है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इस २८ तारीख को शनिवार पड़ता है और इस दिन सर्वोदय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें काफी सदस्यों की दिलचस्पी हो सकती है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : This Legislature has no relation with the Sarvodaya Sammelan.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सुबह, दोपहर और रात तक भी बैठ सकते हैं, आज ही आप रात को क्यों नहीं बैठ जाते हैं ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : We are prepared to sit on Saturday, Sir,

श्री अध्यक्ष : तो फिर शनिवार २८ को सदन की बैठक होगी। जिसमें इस बिल पर विचार किया जावेगा

श्री किशनलाल।

श्री किशनलाल (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष कल मैं निवेदन कर रहा था कि श्रीनाथजी का मन्दिर और महन्त श्री का क्या सम्बन्ध है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब श्रीनाथजी मथुरा से उदयपुर पधारे या पधराये गये उस वक्त...

श्री श्रीभानसिंह : Be sure about the facts first...

(हंसी)

श्री अर्जुनदास (अजमेर) : And how are we interested in it ? We are interested in the Bill and not the facts.

श्री किशनलाल : Beg your pardon.

श्री अध्यक्ष : आप बोलते जाइये।

श्री किशनलाल : तो इसके बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस समय भारतवर्ष में एक ऐसा आन्दोलन चल रहा था कि मूर्त्तियां तोड़ी जा रही थीं और जगह जगह इस तरह की घटनाएं भी हुईं। अगर माननीय सदस्य उन बातों को तथ्य नहीं मानते हैं तो भारतवर्ष का इतिहास उठाकर देख लें। सोमनाथजी के मन्दिर की क्या घटना घटी। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त श्रीनाथजी की यह मूर्त्ति उदयपुर में पधराई

Page No.31

(श्री किशनलाल)

गई और उस मूर्त्ति के साथ गोस्वामीजी और कुछ लोग मेवाड़ में आये। वे आज भी मेवाड़ में पीढ़ियों से रहते हुए भी बृजवासी के नाम से ही कहलाते हैं।

अब मैं आपसे यह अर्ज करूं कि जो कुछ भी भेंट और पूजा श्रीनाथजी को अर्पित की जाती हैं उसमें श्रीनाथजी का हिस्सा अलग होता है और गोस्वामीजी का हिस्सा अलग। एक जमाना था जब यह सारी सम्पत्ति गोस्वामीजी के आधीन रहा करती थी। सम्वत् ८३ से नाथद्वारा में ऐसा प्रोसीजर एडोप्ट किया गया कि श्रीनाथजी की सम्पत्ति का खाता अलग हो और गोस्वामीजी की सम्पत्ति का खाता भी अलग, तब से बराबर आज दिन तक वह व्यवस्था चली आ रही है। तो मेरा अर्ज करना है कि जो सम्पत्ति श्रीनाथजी को भेंट की जाती है उसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों को यह भ्रान्ति हुई है कि वह सम्पत्ति गोस्वामीजी अपने काम में ले लेते हैं। पर दर असल में बात ऐसी नहीं है। उनको अलग से भेंट आती है और उसी के आधार पर आज उनके पास भी लाखों रुपयों की सम्पत्ति है। अध्यक्ष महोदय, जिन वैष्णव लोगों का विश्वास इस सम्प्रदाय में हैं वे गोस्वामीजी को श्रीनाथजी के बाद गुरु के स्थान पर सबसे ऊंचा व्यक्ति मानते हैं और यही कारण है कि लोग आज अच्छे अच्छे विद्वान् होते हुए भी उनकी इस मर्यादा को निभाते हुए चले आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज के जमाने में कई ऐसे लोग भी बम्बई और अहमदाबाद में हैं जिन्होंने गोस्वामीजी का डटकर विरोध किया है। मगर उन्हीं के घर के लोग उन्हीं गोस्वामीजी की पूजा श्रीनाथजी की तरह करते हैं। तो मैं इस विवाद में तो नहीं पड़ना चाहता कि गोस्वामीजी की पूजा क्यों की जाती है, क्यों नहीं की जाती है ? मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि माननीय सदस्य यहां बैठ कर बगैर किसी ठोस आधार के किसी के आचरण पर इल्ज़ाम लगावें। अध्यक्ष महोदय, गोस्वामीजी की सारी व्यवस्था मन्दिर की व्यवस्था से अलग है ऐसी सूरत में गोस्वामीजी पर किसी तरह का चार्ज लगाना मेरे ख्याल से न्यायोचित भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस बोर्ड में—जिसका गठन सरकार करने जा रही है उसके बारे में कुछ अपने आपको प्रगतिशील कहने वाले सदस्यों ने यह बातें बताई हैं कि यदि सरकार का नियंत्रण इस पर हो जायेगा तो वहां अच्छी यूनिवर्सिटी खुल जायगी और सार्व-जनिक भलाई के कार्य शुरु किये जा सकेंगे। इस ओर भी, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आपके जरिये दिलाना चाहता हूं कि जब तक नाथद्वारा की सारी व्यवस्था मन्दिर के अधीन थी उस समय तक नाथद्वारा में हाई-स्कूल चल रहा था, हॉस्पीटल्स चल रहे थे और सड़कें वगैरह की सारी व्यवस्था उसी के जरिये की जा रही थी। इससे आप अन्दाज़ लगा सकते हैं कि वहां जो कुछ भी आमदनी होती है वह मन्दिर की आमदनी है और बिलकुल मन्दिर के ही काम में आती है और उसका एक पैसा भी दूसरा आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से वहां एक अच्छी गोशाला चलती है। आज हिन्दुस्तान के हर हिस्से की गायों की नसल वहां की गौशाला में मिलेगी। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सिर्फ यही निवेदन है कि मैं इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में देने

(श्री किशनलाल)

का प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और इसी आशय से उसका समर्थन करना चाहता हूँ कि इस बिल में जिस बिल को राजस्थान सरकार इस सदन के जरिये पास कराना चाहती है वह बिल बहुत ही क्रांतिकारी बिल है। भूमि संबंधी कई कानून हमारे सामने बने और सदन ने उन्हें पास किया। मैं यह चाहता हूं कि यह भी इसी प्रकार का एक आध्यात्मिक तरह का और एक महत्वपूर्ण कानून है। तो मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बिल इस समय सदन के सामने है उसमें कोई ऐसी चीज न रह जाये कि जो हमारे सम्प्रदाय के मन्दिर हैं उनकी किसी तरह की व्यवस्था बिगड़ जाये। अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी गलतफहमी हुई है कि इस प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार जाहिर किए हैं उन्होंने यह अन्दाज लगाया है कि सभी बिल का विरोध कर रहे हैं। मगर मैं जहां तक समझा हूँ और मैं ही नहीं बल्कि भारतवर्ष का हर एक वैष्णव, जिसका इस मन्दिर के प्रति विश्वास है और जो इस मन्दिर की तरक्की चाहता है, वह ऐसे कानून के लिए कि जिससे इस मन्दिर की भलाई है और इस मन्दिर से सम्बंधित जनता की, वैष्णव सम्प्रदाय और वैष्णव लोगों की भलाई है कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता। एक बात की ओर, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूँ कि उन्होंने इसी बिल की धारा १२ में एक क्लॉज़ रखा है जिसमें यह बात बताई है कि बोर्ड को अगर किसी तरह का नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी एक्स ऑफिशियो और प्रेसीडेन्ट के ऊपर नहीं होगी। यह बात एक ऐसी है कि जब आप एक जिम्मेदारी सारे बोर्ड पर डालना चाहते हैं तो फिर इन दो सदस्यों को क्यों जिम्मेदारी से मुक्त करना चाहते हैं? इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय २२ वीं धारा है इस बिल की, जिसमें वहां के रीतिरिवाजों के बारे में जिक्र है। तो मैं उन माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जो यह कल्पना लगाये बैठे हैं कि इस बिल के पास होने के बाद में कई प्रगतिशाली कार्य वहां होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये उन सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह २२ वीं धारा को अच्छी तरह से देख-लें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सार्वजनिक कार्यों का सवाल है नाथद्वारा का ही नहीं, राजस्थान का ही नहीं, बल्कि भारत का बच्चा बच्चा इन बातों का स्वागत करता है, तो इसके लिए मैं ऐसी बात कहना न्यायोचित नहीं समझता। इसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड का गठन होने वाला है और इसके बारे में जो सदस्यों ने रूपरेखा बताई है और जो कुछ रूपरेखा माननीय सदस्यों ने बताई उसके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। मान लीजिए कि हम एक बोर्ड का गठन कर रहे हैं जैसे कि राजस्थान में रेवेन्यु बोर्ड का गठन हुआ और उसके सदस्यों के बारे में अगर अच्छा कोई एक्सपर्ट इन्जीनियर हो, और हम अगर यह कल्पना करें कि राजस्थान के रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर अच्छे इन्जीनियर्स हों तो मेरे ख्याल से यह बात चलने वाली नहीं है और न यह उचित ही होगा। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये याद दिलाना चाहता हूं कि इस बोर्ड के सदस्य वही होने चाहिए जो कि इस सम्प्रदाय को समझने वाले और मानने वाले हों। बल्कि बहस के दौरान में एक बात आई।

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

ने यह बात रखी कि जो आभूषण श्रीनाथजी के काम में आने वाले हैं उनको वहां न रख कर ट्रेजरी में रखा जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि वहां की ऐसी परम्परा है कि जो कुछ आभूषण और वस्त्र उनके काम में लिये जाते हैं वह बड़ी पवित्रता से रखे जाते हैं। और तो और वहां के जो सेवा करने वाले हैं उनको भी यह अधिकार नहीं है कि वह उन आभूषणों को टच करे। आज के जमाने में इसे दकियानुसी और रूढ़िवादिता कह सकते हैं, आज के प्रगतिशील युवक इसको अपने दृष्टिकोण से देख सकते हैं। दृष्टिकोण जरूर बदला, जमाने के साथ दृष्टिकोण बदलना भी चाहिए। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जिस ज़माने में यह सम्प्रदाय चल रहा था इसका भी अपना एक उसूल था और वह था भारत में आध्यात्मिकवाद को प्रोत्साहन देने का और अपने धर्म का प्रचार करना यही उसका उद्देश्य था। आज के जमाने में दृष्टिकोण बदला आज प्रचार के तरीके बदले, आज उसूलों के और उनके द्वारा प्रभावित करने के तरीके बदले। आज हिन्दुस्तान में कई ऐसी संस्थायें चल रही हैं जो सहअस्तित्व का और भाईचारे का दृष्टिकोण अपनाती हैं। एक परेशानी हम महसूस कर रहे हैं कि आज भारत में, संसार में और राजस्थान में चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अध्यक्ष महोदय, उस जमाने में यही खराबियां थीं और उन्हीं खराबियों पर नैतिक प्रतिबंध लगाने के लिए ये सम्प्रदाय आदि थे और इसी के माफिक एक विचार धारा फैलाई जाती जिससे इस देश के रहने वाले नागरिक एक सम्प्रदाय के आधार पर कुछ कार्य करें ताकि वह समाज विरोधी हलचलों की ओर आकर्षित न हों। अध्यक्ष महोदय, यह भी चर्चा इस सदन में कल आई कि युग बदला, आज देश प्रगति कर रहा है लेकिन ऐसी क्या बात है कि आज का इन्सान पत्थर की मूर्ति की तरफ क्यों जाता है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात कहना किसी हद तक ठीक है कि जो महापुरूष इस भारतवर्ष में हुए हैं और आगे होने वाले हैं भारतवर्ष का इतिहास बराबर यह रहा है कि उसने महापुरूषों का हमेशा आदर किया है और आदर करेगा.......

आज भी इस जमाने में हम कई जयन्तियें मनाते हैं, कई उत्सव मनाते हैं उन सब के पीछे एक ही भावना है। जिस महापुरूष की हम जयन्ती मानते हैं उसके कार्य की ओर हमारा ध्यान जाता है और उससे हमको प्रेरणा मिलती है जिसमें हम अपने जीवन को उनके द्वारा बताये हुए रास्ते पर चला सकें। इसी ख्याल से ये संप्रदाय और मंदिर थे। आज हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। हम इस दृष्टिकोण में सुधार करना चाहते हैं उसका मैं विरोध नहीं करता। लेकिन एक दम ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जिससे आज करोड़ों अनुयायियों के दिलों में ठेस पहुंचे। अंत में मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव बिल को सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने का सदन के सम्मुख है, आप उसका समर्थन करें और मैं सिलेक्ट कमेटी को इसे सुपुर्द करने के बारे में मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, आज जो नाथद्वारा बिल पर जो प्रस्ताव सदन में आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमने अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा, मुसलमानों का इतिहास पढ़ा और राजपूतों का इतिहास भी पढ़ा लेकिन किसी ने भी कभी धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया। मुगलों के

(श्री लक्ष्मीचन्द)

समय में औरंगजेब ने जरूर हस्तक्षेप करके मंदिरों को तोड़ कर मस्जिदें बनाई थी लेकिन आज हमारी सरकार इस तरह के मंदिरों को तोड़ कर मस्जिदें नहीं बना सकती। आज सरकार कानून के ज़रिये हमारे धर्म को नष्ट करने जा रही हैं, हमारे मंदिरों की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चलने देने के लिये कानून ला रही है। इस प्रकार का क़ानून भारत के संविधान के प्रतिकूल है। एक तरफ हम सदन में बैठ कर भारत के संविधान के माफिक कानून बना रहे हैं और दूसरी ओर उसके विपरीत जा रहे हैं। संविधान के आर्टिकल २६ में यह है कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसी तरह से नाथद्वारा टेंपल बल्लभाचार्य सम्प्रदाय वालों का है। सरकार जब तक अपने आपको यह घोषित नहीं करती है कि वह बल्लभाचार्य सम्प्रदाय की है तब तक इस प्रकार से उस मंदिरपरकब्जा करने का अधिकार उसको नहीं है। सरकार पहले अपने आपको बल्लाभाचार्य पथ की माने, उसके बाद में इस प्रकार के टेम्पल पर कब्जा करने का उसको अधिकार है। सरकार कहती है मंदिर की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल रही है इसलिये वह ठीक ढंग से व्यवस्था करेगी। अध्यक्ष महोदय, एक केसरियानाथजी का मंदिर हैं। वह सरकार के संरक्षण में चलता है। उसकी व्यवस्था किस तरह की है इसका यदि उल्लेख किया जाय तो सदन को आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से वहां की हालत बिगड़ रही है ? उस मंदिर में से ७०० तोला सोना गायब हो गया, चोरी हो गया। सरकार रिप्लाई में या जवाब में यह कह सकती है कि हमने चोरी करने वाले को सज़ा करा दी लेकिन सज़ा कराने से ही सोना वापिस आ गया क्या ? सज़ा तो वह आदमी भुगत लेगा। ७०० तोला सोना ७० हज़ार रुपयों का होता है उसके लिये एक आदमी को यदि चार छः महीनों की सज़ा हो जाय तो क्या आश्चर्य की बात है ? उसको तो ७० हज़ार रुपयों की मिलकियत मिल जाती है उससे वह जिन्दगी भर सुख से चलायेगा। इस सोने की जिस प्रकार से दुर्दशा हुई है उसी प्रकार आज मंदिर की भी दुर्दशा हो रही है और यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वहां की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल रही है। इस मंदिर में जितने जाने वाले हैं और जो इस मत को मानने वाले हैं वे बात करते हैं कि सरकार ने जबर्दस्ती से इस पर कब्जा किया है। उनसे व्यवस्था सँभलने वाली नहीं है। क्या आज जैन धर्म में कोई ऐसा नहीं है जो इसकी व्यवस्था संभाल सके ? इस मंदिर की प्रोपर्टी में से २ लाख ६५, हजार रुपये आर्य समाज को कर्ज दिये हैं। क्या मंदिर की प्रोपर्टी इसलिये थी कि उसमें से दूसरों को कर्जा दिया जाय ? सन् ५१ में कर्जा दिया था उसका सूद भी वसूल नहीं हो रहा है। उसकी मिलकियत का पता नहीं है, उसके ब्याज का पता नहीं है और असली रकम का पता नहीं है। क्या सरकार यह सोचती है कि मंदिर की प्रोपर्टी को मनमाने आदमी को देकर फायदा पहुंचा सकती है ? यदि सरकार की यही नीति है तो जनता इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए केसरियानाथजी का मंदिर प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके अलावा सेठ श्री गोपालजी मोहता को ६५ हज़ार रुपये दिये गये थे, वे भी वसूल नहीं हो रहे हैं। लोगों ने रकम धर्म के नाम पर दी है। आज की ही नीति यदि पहले होती और यह पता होता कि सरकार इस प्रकार का कानून बनायेगी और मंदिरों पर कब्जा करेगी

(श्री लक्ष्मीचन्द)

तो शायद ही धर्म के नाम पर कोई पैसा देता। लोगों को मालूम था कि धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जायगा लेकिन आज धार्मिक प्रवृतियों में हस्तक्षेप करने के लिये कानून बनाया जा रहा है। यह कोई गांधीवादी मंदिर नहीं है या सार्वजनिक मंदिर नहीं है जिसको आप अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। हिन्दू ट्रस्ट बिल सदन के सामने आया था जिसके बारे में एक याचिका सदन में प्रस्तुत हुई थी। जब तक उस याचिका के बारे में याचिका की समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होती तब तक इस प्रकार का बिल पेश नहीं करना चाहिए। इसको पास करना नाथद्वारा कांड को छिपाना है। जिन व्यक्तियों ने नाथद्वारा की प्रोपर्टी को खत्म किया है उनको कानून से किस प्रकार बचाय जाय। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय और वहां पर पहले इस पर विचार किया जाय। राजस्व मन्त्रीजी से भी प्रार्थना करूंगा कि इस पर गौर से विचार करें कि केसरियानाथजी के मन्दिर की हालत को देख कर क्या इस पर भी हाथ डाला जाय ? आज वहां की क्या हालत हो रही है ? सांचोर तहसील में भी एक गांव है। उसमें भी मन्दिर की बड़ी दुर्दशा हो रही है। उसमें कोई जाता नहीं है और लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। सरकार कानून बड़े बना देती है लेकिन उसकी व्यवस्था ठीक नहीं होती। सरकारी महकमों की व्यवस्था भी कहीं कंपलीट नहीं है। कोई ऐसा महकमा नहीं है जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला न हो। मन्दिर की व्यवस्था को कौन चलायेगा, कौन जांच करायेगा ? इसलिये मैं राजस्वमन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको पास करने से पहले इस पर गौर से विचार करें। यही प्रार्थना मैं सदन से भी करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) माननीय अध्यक्ष, नाथद्वारा मंदिर के संबंध में जो ऑर्डिनेन्स बिल इस सदन में प्रस्तुत हुआ है उस संबंध में सबसे पहले, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि ऑर्डिनेन्स इश्यू करने के जो कारण इस बिल में हमें देखने को मिले वे इस भाषा में लिखे हुए हैं कि जिसके द्वारा यह बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं आती है कि किस कारण को लेकर सरकार को ऑर्डिनेन्स इश्यू करने की आवश्यकता महसूस हुई है ? जहां तक राजस्थान विधान सभा में प्रचलित रूल्स का प्रश्न है इन रूल्स में रूल ६४ के द्वारा इस बात की व्यवस्था हुई है कि जब भी कोई बिल ऑर्डिनेन्स को रिप्लेस करने के लिये पेश किया जाय तो उसके साथ एक स्टेटमेन्ट इस बात का रखा जाय, इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कि किस कारण से ऑर्डिनेन्स को लाने की आवश्यकता पड़ी है जैसा कि इसमें लिखा है : "Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without notification is introduced in the House there shall be placed before the House along with the Bill a statement explainating the circumstances which necessitated immediate legislation by Ordinance." मैं समझता हूं कि मुझे जितने भी पत्र राजस्थान विधान सभा से मिले हैं उन पत्रों के साथ या राजस्थान विधान सभा में माननीय राजस्व मन्त्रीजी की ओर से जबानी इस प्रकार का कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेन्ट दिया गया हो ऐसा नहीं मिला इसलिये मेरे सामने....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री):

(श्री दामोदरलाल व्यास)

I may inform the Hon'ble member that I have placed such a statement on the table of the House. मैंने यह सदन में पेश किया है।

श्री भैरोंसिंह : कब ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब बिल को इन्ट्रोड्यूस करने के लिए पर्मीशन मांगी थी।

श्री अध्यक्ष : उस दिन दोनों स्टेटमेन्ट रखे हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे तो मिसप्लेस हो गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई हर्ज नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा ख्याल है कि मिले ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : सर्क्युलेट नहीं हुए हैं। यह लिखा था कि कारणों के साथ पेश करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : हाउस में पेश किये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : "There shall be placed before the Hous e".

इसका मतलब यह हुआ : Rule 94 reads : "Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without notification is introduced in the House, there shall be placed before the House along with the Bill a statement explaining the circumstances which necessitated immediate legislation." वे स्टेटमेंट आपने रख दिये टेबिल ऑफ दी हाउस पर, लेकिन मेम्बर्स को नहीं मिले। मैं समझता हूं कि इससे रूल्स की कम्प्लायन्स नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : The compliance has been made.

श्री भैरोंसिंह : इसमें है 'shall be placed before the House.' There is a difference between this and 'shall be laid on the table of the House.'

श्री अध्यक्ष : ६४ (२) देखिये।

श्री भैरोंसिंह : "Whenever an Ordinance, which embodies wholly or partly or with modification the provisions of a Bill pending before the House......"

यह तो पेंडिंग बिल के सम्बन्ध में है। यहां तो ऑर्डिनेन्स को नये बिल से रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें सब रूल (२) एप्लाई नहीं करता है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : On the contrary, Sir, Sub rule (2) strengthens our argument that "shall be placed before the House" means that copies are to be supplied to every member of the House. The phraseology of Sub rules (1) and (2) of this Rule is quite different. In the case of clause (1) it is 'shall be placed before the House' and in clause (2) it is 'shall be laid on the Table'.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : And the construction

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

of the two sub-rules is absolutely different. In sub-rule (1) it is 'shall be placed before the House' which means it will be circulated to all the Hon. Members along with a Statement of Reasons explaining the circumstances which necessitated the legislation. मेरा सब्मिशन यह है कि पहले में यह है कि जब ऑर्डिनेन्स पहले जारी हो जाय और बाद में बिल ऑर्डिनेस को रिप्लेस करने के लिए हो तो स्टेटमेंट रखना जरूरी है। दूसरे में ऐसा है कि ऑर्डिनेन्स बाद में जारी करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप चाहें तो कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : हमें कारण पता नहीं है कि किस कारण से ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है ? फिर किस पर बहस करें ?

श्री अध्यक्ष : मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री भैरोंसिंह : आप पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री अध्यक्ष : "The affairs of the Temple of Shri Shrinathji at Nathdwara in Udaipur District are not being properly managed. A scheme for the management of the temple was drawn up in consultation with the Gosawmi of the temple and was submitted to the Court under section 92 of the Code of Civil Procedure, 1908. That scheme is now being contested and the Court case may take a long time to finalise. In these circumstances, it was considered necessary to provide by means of legislation for the better administration and governance of the said temple. As the Assembly was not in session and immediate legislative action was called for to prevent furthur deterioration, an ordinance entitled 'Nathdwara Temple Ordinance, 1959' was promulgated by the Governor.

Damodar Vyas.

Minister for Revenue"

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जो पढ़ कर सुनाया, उसमें और स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में जो बातें हैं, उनमें कोई अन्तर नहीं है। उसकी कापी ही स्टेटमेन्ट के रूप में उन्होंने दी है। इसी से मतलब होता तो अलग से एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेन्ट देने की आवश्यकता नहीं होती और वह आवश्यकता नहीं होती तो रूल्स में प्रोविज़न नहीं रखा जाता। जब रूल्स में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेन्ट का प्रोविज़न रखा गया है तो इसका स्पष्ट रूप से मतलब है कि जो कारण स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में दिये जाय, वे चूंकि प्रिन्सिपल को लेकर होते हैं उसके अलावा कुछ तथ्य ऐसे हों जिनके कारण सरकार को ऑर्डिनेन्स के इश्यु करने की आवश्यकता महसूस होती है। केवल स्टेटमेंट की आवश्यकता हो, तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स देख लिया जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार के पास कारण हैं जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि महन्त से मिल कर एक योजना तैयार की और वह योजना विचारार्थ है और सिविल प्रोसीज़र कोड के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है। इसलिए कम से कम मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि कौनसी योजना है, किस प्रकार की योजना है, महन्त किस हद

(श्री भैरोंसिंह)

तक उसे कन्सीड कर चुका है, कौनसे सुझाव हैं महन्त की तरफ से, सरकार कौन से सुझाव लेना चाहती है; सरकार यह भी बतावे कि कब योजना बनी थी और कब तक उस पर अन्तिम निर्णय होने वाला है; उसके बाद सदन में डिस्कशन हो तो ज्यादा अच्छा हो। सरकार का यह कहना है कि सरकार और महन्त दोनों ने मिल कर एक योजना बनाई थी, उसके फैसले में अदालत में समय लगने वाला है। मैं समझता हूं कि सरकार सदन को अन्धकार में रख रही है कि किस प्रकार की योजना है, क्या उसका प्रारूप है ? सरकार यह महसूस करे कि उन्होंने जो कुछ योजना बनाई है उसे कोर्ट में एक उसके सिद्धान्त को स्वीकार करके पेश की गई है, मैं समझता हूं कि कोर्ट में इसे भेजने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि असेम्बली का उस सम्बन्ध में वरडिक्ट बन जायगा। मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्वमंत्री जी एक स्टेटमेंट के द्वारा तथ्यों पर प्रकाश डालें कि कौनसी योजना थी, वह किस प्रकार बनी, उसका कौनसा प्रारूप कोर्ट के सामने विचारार्थ है और उसका कब तक निर्णय हो जायगा ? इसके अलावा इस बीच छः सात दिन में, तारीख १० से तारीख १६ तक, १० तारीख को ऑर्डिनेन्स पब्लिश हुआ, १६ तारीख को विधान सभा की बैठक होने वाली थी। इस छः दिन के अर्से में महन्त की ओर से क्या प्रयास किये गये, जिन प्रयासों को लेकर वे मंदिर की सारी सम्पति को ले जाने वाले थे, मंदिर को एक इन्डिपेंडेन्ट स्टेट डिक्लेअर करने वाले थे, वहां जो सरकार का हस्तक्षेप था कर्मचारियों के द्वारा उन कर्मचारियों को निकालने वाले थे, जो समिति बनी हुई थी उसको भंग करने वाले थे, कौनसी ऐसी परिस्थिति बनी है कि सरकार छः दिन का समय गुजार नहीं सकी और मजबूर होकर सरकार को छः दिन पहले ऑर्डिनेन्स इश्यू करना पड़ा ? मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि पहले वे एक स्टेटमेंट हाउस में दें ताकि बहस उचित रूप से की जा सके।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जनरल बातें बता दी हैं।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने कुछ नहीं बताया। यह नहीं बताया कि योजना क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझता हूं इसकी जरूरत नहीं है। जो स्कीम है वह कोर्ट में चल रही है और इस पर एक बार नहीं अनेक बार सदन में बहस हो चुकी है, सदन को इस सम्बन्ध में पहले बता दिया है। जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, उस योजना का असर इस बिल पर नहीं पड़ता सिवाय इसके कि एक योजना है और जो सिविल कोर्ट में पेंडिंग है दफा ६२ सी. पी. सी. के अन्तर्गत सूट चल रहा है। उसको फाईनेलाइज़ होने में समय लगेगा। लेकिन हमें टेम्पल के मैनेज़मेंट के लिए व्यवस्था करने की जरूरत थी, इसलिए यह बिल पेश नहीं किया है। योजना में कितनी देर लगेगी, इससे इसका सम्बन्ध नहीं है। मैं उसको बताने की आवश्यकता नहीं समझता। अगर माननीय सदस्य जानना चाहें तो उनके पास अपने जरिये हैं। मैंने इस सम्बन्ध में अनेक बार कहा है और उस पर रोशनी डाली है, उसको लेकर बहस हो चुकी है। उससे इस बिल का सम्बन्ध नहीं है। इसलिए मैं बताने की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह

Page No.39

(श्री भैरोंसिंह)

होगा कि मामला सब जुडिस है, कोर्ट के अन्दर है , उस पर कोर्ट डिसीजन ले लेती है और इधर हाउस डिसीजन ले लेता है तो कोर्ट के डिसीजन का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : वह रहेगा नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : फिर योजना विथड्रो क्यों न कर लें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कानूनी मामला है और फिर माननीय सदस्य इसमें उलझ रहे हैं । सब-जुडिस क्या है, उसका असर क्या है, यह मैं समझता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि योजना चलेगी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : योजना मैनेजमेंट के लिए है, कानून की जो धारायें हैं वे मैनेजमेंट कर देगी तो फिर योजना का सवाल कहां रहता है ?

श्री भैरोंसिंह : कोर्ट के सामने कोई योजना नहीं है, यह मतलब है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मतलब कुछ भी समझ लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : आप साफ कह दीजिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह प्रयास किया गया है कि योजना के द्वारा मैनेजमेंट को ठीक किया जाय । वह कोर्ट के सामने पेश की है, उसमें अड़चन आई, तीन साल में कुछ नहीं हो सका इसलिए कानून बनाने की बात सोचते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : कोर्ट के सामने योजना है, वह कोर्ट में पेंडिंग है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पेंडिंग है ।

श्री भैरोंसिंह : पेंडिंग है और विथड्रॉ नहीं हुई । कोर्ट के सामने पेंडिंग है, कोर्ट उस पर कोई एक्शन लेना चाहे, जुडिशियल एक्शन लेना चाहे और उसके साथ ही उसी विषय पर सदन निर्णय दे, मैं, अध्यक्ष महोदय, समझता हूं कि जुडिशियरी के नाते यह अच्छा नहीं होगा । पहले सरकार उसे विथड्रॉ करे, उसके बाद में सदन में बिल पेश करे और उसमें यह रीजन्स बताये जा सकते हैं कि कोर्ट में समय लगने की सम्भावना थी, विथड्रॉ किया गया है और ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है । पहले उसको कोर्ट से विथड्रॉ करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में जो मामला चल रहा होता है उसके बारे में हम प्रश्न तक नहीं पूछ सकते । माननीय मंत्रीजी बतायें कि वह विथड्रॉ हुआ या नहीं ? अगर नहीं हुआ और इस प्रकार के केस में असेम्बली कोई कानून बनाती है तो मैं समझता हूं यह किसी प्रकार उचित नहीं होगा ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : अब तो ऑर्डिनेन्स इश्यू हो गया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सवाल यह है सिविल कोर्ट में इस मामले में कुछ देर हो सकती है । आपने कहा कि उसे विथड्रॉ कर सकते हैं । मैं आपको बताऊं कि सब-जुडिस होने के बावजूद भी बिल पर विचार करने में दिक्कत नहीं आती है—

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न दूसरा है ।

Page No.40

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार का मकसद था कि एक समिति बनाई जाय और गोस्वामीजी की सहायता से योजना बनाई जाय जिसके कारण व्यवस्था अच्छी तरह चल सके। अब सरकार महसूस करती है कि उस तरह करने में देर लगेगी और जो हम चाहते हैं वह नहीं हो सकता है। इसलिए कानून बनाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह बतावे कि वह योजना क्या थी जो देर से पास होती। सरकार तो उसको मंजूर करती है और वह योजना देर से होने वाली है तो केवल देर से स्वीकार होने वाली थी इसलिए इस तरह का बिल पास कर दें, यह उचित नहीं है।

यहां इसका कोई परिणाम नहीं है कि उस योजना को कानूनी स्वरूप दिया जाय और नाथद्वारा टेम्पल पर उसको लागू किया जाय। फिर सरकार अपनी योजना बताये कि यह योजना थी और योजना कोर्ट के डिसीजन के लिए पड़ी है, कोर्ट को डिसीज़न लेना है। सरकार ने सरकार की तरफ से कोई सूचना कोर्ट को नहीं दी है कि हम कार्यवाही कर रहे हैं कोर्ट अपनी कार्यवाही बन्द करे। कोर्ट कार्यवाही कर रही है और इधर विधान सभा इस पर डिस्कशन कर रही है। तो ऐसी सूरत में सरकार को अपनी योजना जो उसने कोर्ट के सामने रखी है फिर इस विधान सभा में उस पर डिसिजन करें।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व): On a point of information, Sir, I would like to know whether that scheme which has been placed before the Civil Court was with the consent of the Governor as a party and whether this Bill is in accordance with that scheme or contrary to it ?

श्री दामोदरलाल व्यास : So far as that scheme is concerned, a suit was filed be the Government in the court of District Judge at Udaipur and I will draw the attention of the Hon. Members to clause 34 of the Bill in which this Act shall have effect, notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being inforce or in any scheme of management framed before the commencement of this Act or in any decree, order, practice, custom or usage.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : That scheme shall be ineffective ?

श्री अध्यक्ष : The Hon. Member only wants to know what sort of immediate necessity was felt, why it was thought necessary to depart from the established policy of the Government to resort to that ordinance.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already given my reasons for promulgation of the ordinance. A suit was pending for a long time and recently a lot of jewellery was seized from the possession of the Mahant alleged to be belonging to the temple. Therefore, there were naturally reasons to believe that...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार: मेरा प्रश्न केवल-

Page No.41

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

मात्र इतना था कि अदालत के सामने जो स्कीम पेश की गई है वह सरकार की रज़ामन्दी से पेश की गई है या बिना रज़ामन्दी के ? यदि सरकार की रज़ामन्दी से पेश की गई तो यह बिल उस स्कीम के अनुसार है या खिलाफ है ? अगर खिलाफ है तो एक बार रज़ामन्दी उस स्कीम को सरकार ने दी उसे क्यों बदला ? यही इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि वह स्कीम, सेक्शन ६२ का दावा किया गया है, वह Government... Government and Goswamiji and the prominant Vaishnavas of the country ने आपसी बातचीत करके एग्रीड स्कीम बनाई थी और यह ख्याल था कि अन्कन्टेस्टेड दावा ही सारा हो जायगा and that was considered to be the easiest and shortest manner of improving the management of this temple...

मगर जब दावा दायर किया गया तो मेनिपुलेशन्स यह हुए कि कई पार्टीज ने अपने आपको डिफेन्डेन्ट कायम कराया, the result is that for a minor point it was taken to High Court and other courts. और बहुत सारी अड़चनें इसमें पैदा की गई । इसके बीच में मेनेजिंग कमेटी काम कर रही थी वह इनइफेक्टिव हो गई, महन्तजी की तरफ से बहुत से मामलात में इन्टरफियरेन्सेज़ किये गये Besides the arrangement of Power of Attorney Holders was interim only.

चूंकि कानूनी तौर पर पॉवर ऑफ अटार्नी को महन्त जब भी चाहें विथड्रॉ कर सकते हैं इसलिये यह बिल पेश करना पड़ा । Looking to all these circumstances and the recent occurence of seizing the property from the Mahant it was considered necessary.

श्री अर्जुनदास : Sir, the Hon. Minister has been too good to evade the issue. The question is something different and your reply is quite different. Why could not you tell us straightaway what the question needs ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I said we had instituted the suit.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्वेश्चन इस बात का है कि सेक्शन ६२ का सूट पेन्डिंग है वह कन्टेस्ट किया जा रहा है, नं० १ । कन्टेस्ट करने से मेटर हाई कोर्ट में जा रहा है । सरकार चाहती थी अन्कन्टेस्टेड में वह स्कीम मान ली जावे, वह लागू नहीं हो रहा है ।

प्रश्न यह है कि इसी कारण यह कानून बनाने की जरूरत पेश आई तो वह स्कीम जो पेश की गई थी वही इस बिल में रख कर कानून क्यों नहीं बनाते ? यह नया बिल पेश किया है और वह स्कीम दोनों डिफरेंट है । तो फिर आप बताते हैं कि डिले के कारण यह बिल यहां ला रहे हैं यह आपका कहना बोनाफाइडी नहीं रहेगा । या तो यह कहिये कि वह स्कीम which was filed by the Government in that particular Court in the form of a suit is identical to this Bill. If it is not, then the

Page No.42

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

explanation given by the Hon. Minister is not bonafide.

श्री अध्यक्ष : But he can give reasons why a different thing has been put up now. There is no question of bonafides.

श्री अर्जुनदास : Then let him say where the difference lies.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not possible for me to explain each and every aspect of the scheme here. The scheme is there and the Bill is there. There may be differences and it is not necessary...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It means that we have been mis-guided that the suit is being delayed, questions are taken to High Court etc...That explanation is not bonafide.

श्री अध्यक्ष : Broadly speaking. the scheme also contemplates a Board for managing the affairs of the temple and that is also the purpose of this Bill.

श्री भैरोंसिंह : सरकार कोर्ट में कोई सूचना नहीं भेज रही है कि यह कार्यवाही यहां चल रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बताया क्लॉज़ ३४, इससे अपने आप कोर्ट में खत्म हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह : कोर्ट की प्रोसिडिंग्स आई नहीं हैं। जिन्होंने दावा दायर किया उनकी तरफ से होना चाहिये कि इस तरह की सूचना कोर्ट को दे कि इस प्रकार की कार्यवाही यहां चल रही है। सरकार ने इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की है। ऐसी सूरत में कानून विधान सभा में बनाना अनुचित होगा। और दूसरी बात यह है कि ६ दिनों में ऐसी परिस्थितियां कौन सी थीं जिनके कारण आॅर्डिनेन्स इश्यू करना पड़ा। गवर्नमेंट ने विधान सभा की बैठक की इन्तज़ार नहीं की जो कि ६ दिन बाद ही होने वाली थी। ऐसी क्या परिस्थिति थी? ऐसी सूरत में हम उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो दे चुके हैं, आपको संतोष है कि नहीं यह अलग बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्लॉज़ ६२ है उसकी लैंग्वेज़ अर्ज कर दूं :

"92 (1) In the case of any alleged breach of any express or constructive trust created for public purposes of a charitable or religious nature, or where the direction of the Court is deemed necessary for the administration of any such trust, the Advocate General, or two or more persons having an interest in the trust and having obtained the consent in writing of the Advocate General, may institute a suit, whether contentious or not, in the principal Civil Court of original jurisdiction or in any other Court empowered in that behalf by the Provincial Government within the local limits of whose jurisdiction the whole or any part of the subject matter of the

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

trust is situate, to obtain a decree...

(a) removing any trustee;" etc.

मेरा सबमिशन यह है कि क्लॉज़ ६२ में किसी प्रकार से डिसीजन दिया व for some reason or the other, by any provision in that law विथड्रॉ हो सकता है, कोई भी पोज़िशन हो सकती है। इस बिल के कुछ प्रोविज़न्स और कुछ प्रोविज़नल उसके आइडेन्टिकल हैं। हमारे विधेयक में भी यह है कि किसी ट्रस्ट को अगर यूज़ को नहीं समझेंगे तो रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई चाहे तो क्लेम कर सकता है। आपके यहां कौनसा चैप्टर ऐसा है जिसमें इस प्रकार की कोई चैक है? अगर हो, तो माननीय राजस्व मंत्री बतावेंगे। सेक्शन ६२ में कानून बनने के बाद भी हर एक व्यक्ति को राइट है इसलिये दोनों के प्रोविज़न्स आइडेन्टिकल हैं।

श्री अध्यक्ष : यह सेक्शन इसमें लागू नहीं होगा। ट्रस्ट डीड के लिये बने हैं न कि इसके लिये है जो आप पढ़ रहे हैं।

सिविल प्रोसीज़र कोड में ट्रस्ट को हटाया जा सकता है जिसके अन्तर्गत मन्जूर किया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें कोई जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह तो स्पेशल एक्ट है। इसके द्वारा स्पेशल एक्ट लागू किया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मद्रास में भी इस प्रकार के आइडेन्टिकल provision हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें आपका क्या मतलब है, मैं समझ नहीं सका। क्या आपका यही मतलब है कि जब तक सूट चल रहा है यह नहीं लाया जा सकता? हमको विथड्रॉ करना चाहिये या नहीं। जब तक हम इसको विथड्रा नहीं करें तब तक यह लेजिटिमेट तौर पर नहीं लिया जा सकता क्या यही आपका मतलब है?

श्री अध्यक्ष : इनका मतलब है कि न ले सकते हैं और न लेना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : न लेना चाहिये या लेवें, इसका फैसला जरूर किया जाए। We have submitted our case, now it is for the Chair to decide.

श्री अध्यक्ष : I think there is no bar to proceeding on this Bill.

(करतल ध्वनि)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मद्रास, १६५२ में there is a provison...

श्री दामोदरलाल व्यास : That has been decided, Sir. Now there should be no arguments on this point.

श्री अध्यक्ष : इस तरह का प्रोविज़न नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सेक्शन ६३। सेक्शन ६२ में सूट को जारी किया है। सी. पी. सी. में ९२ का भी प्रोविज़न है। इसमें दोनों आइडेन्टिकल हैं। अगर सूट सेक्शन ६२ की तहत में चल

Page No.44

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सकता है तो ऐसी सूरत में सूट विथड्रॉ नहीं होगा और डिसाइड होगा। इसके अलावा रिमूवल के बारे में दो तीन बातें ऐसी हैं जो इस बिल में हैं। ऐसी सूरत में गवर्नमेंट विथड्रॉ करने की कार्यवाही करे। यदि ऐसा नहीं करेगी तो लॉ में ठीक नहीं होगा। इसलिये इस पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट एक तरफ से विथड्रॉ नहीं कर सकती और कुछ लोग दूसरे भी अगर चाहें तो सूट चला सकते हैं। ऐसी हालत में क्या आप यह चाहते हैं कि कोर्ट का फैसला नहीं हो तब तक यह लागू नहीं हो ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करूंगा कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है कोर्ट के फैसले पर। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस मामले मे एडवोकेट जनरल की राय ले ली जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास : I may just inform the Hon. Member that this Bill has not only been examined by the Advocate General, but the Law Department of the Government of India and our own Law Department also on all points.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But not in this particular light which I have submitted.

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, on that point also, I can assure you.

श्री भैरोंसिंह : एडवोकेट जनरल को हाउस में बुला कर उनकी राय जान ली जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, मेरा अर्ज करना है....

श्री भैरोंसिंह : I am in possession of the House. The Minister should know the decorum of the House.

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या कहा आपने ?

श्री भैरोंसिंह : जब मैं खड़ा हूं तब आपको खड़ा नहीं होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास: I take objection to these words, Sir.

श्री भैरोंसिंह : You should raise a point of order first and then stand.

श्री दामोदरलाल व्यास : At least he should know how to address an Hon. Member of the House. यह क्या, आप चाहे जो कह दें ?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मामला क्रिटिकल है। विधान-सभा कानून बनाती है। सरकार ने कई कानून बनाये और हमने पास किये। लेकिन जो कानून बने, वे किसी न किसी रूप में अवैध हाई कोर्ट द्वारा घोषित हुए। उन पर सरकार को संशोधन पेश करने पड़े और सरकार ने संशोधन पेश किये और वह भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पास किये। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार एडवोकेट जनरल की राय ले ले और डिपार्टमेंट की राय तो ली है ! मगर एडवोकेट जनरल की और डिपार्टमेंट

Page No.45

(श्री भैरोंसिंह)

की राय, इन सब पर विधान सभा की राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिये जो प्रश्न उठाया गया है उससे कॉम्पलीकेशन्स पैदा हो सकते हैं। इस लाइट में विधान सभा एडवोकेट जनरल को सुन कर उसकी राय भी सदन में रहे और उसके बाद जिस तरह से अध्यक्ष आज्ञा देंगे और आदेश सदस्यों को देंगे उसी प्रकार से यह होगा। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार स्पष्टीकरण होना चाहिये इसमें नहीं है इसलिये राजस्व मंत्री महोदय की तरफ से सारी बातों का स्पष्टीकरण होना चाहिये। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि एडवोकेट जनरल की राय सदन में ले ली जावे।

एक बात राजस्व मंत्री ने स्पष्ट कर दी कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कन्ट्रोवरशियल हैं और कुछ आइडेन्टिकल हैं। मान लें कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका तसफिया हाउस करता है और एक तरफ उन्हीं बातों का तसफिया कोर्ट में होता है। मान लें कि कोर्ट में कोई निर्णय नहीं हुआ और उस पर हाउस का निर्णय पहले हो गया तो मैं यह निश्चित रूप से निवेदन करूंगा कि आइडेन्टिकल पॉइन्टस पर निश्चित रूप से जो इन्डिपेन्डेन्ट जस्टिस मिलनी चाहिये नहीं मिल सकेगी। ऐसी स्थिति में मैं अध्यक्ष महोदय से यही निवेदन करूंगा कि एडवोकेट जनरल की राय ले ली जावे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डिनेन्स बनने के कारण जो बाधाएं आईं उनमें मुख्यतः यह है कि दावा कोर्ट में चल रहा है उसको तय करने में बहुत समय लगेगा। कई माननीय सदस्यों ने ऐतराज़ उठाया कि जब तक दावा समाप्त न हो जाय तब तक कानून नहीं बनना चाहिये। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि यदि उस अदालत के निर्णय तक ठहरते हैं तो बहुत ही विलम्ब होने की सम्भावना है। सरकार चाहे तो उसे विथड्रा कर ले मगर फिर भी वह किसी अन्य पार्टी द्वारा लाया जा सकता है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा सकता है। सदन के सामने केवल यह सवाल है कि वैधानिक तौर से हमें कोई इसको लेने में आपत्ति है क्या इस बिल को पास करने में या इस पर विचार करने में? मेरे ख्याल से दावा चल रहा है, सबजुडिस, इसका आगे क्या असर पड़ेगा, इस कानून के बनने के बाद अधिकारियों पर क्या असर होगा, इन सब बातों पर जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो यह देखना है कि आज यह सदन इस के लिये कॉम्पीटेन्ट है या नहीं? इसके लिये मेरी यह निश्चित राय है कि हम इसे पास कर सकते हैं और ले सकते हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो बिल आपके सामने है और जिस बिल पर चर्चा हो रही है उस पर अपना भाषण दें।

श्री अर्जुनदास: Hon. Shri Mahendra Singh raised a point of information and I believe that point of information is really genuine and I should also adopt it. That question has not yet been answered by the Hon. Minister. What is the difference between the understanding previously come to by the Government and the Goswami and the present Bill? We are really groping in the dark. I cannot really understand why the Hon. Minister refuses or avoids to give us the information about that understanding.

(श्री अर्जनदास)

I think there should be no objection. The House would be wiser by that information. If the Hon. Minister does not know it then ofcourse we cannot force him to know it but if he has the information then he should let us know what that 'Samjhota' was so that we may proceed in the light of that.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already submitted, Sir, that in that scheme also it was provided to manage the affairs of the Nathdwara Temple through a Board of Management and in this Bill also there is a Boaad of Management and that has to manage the affairs of Nathdwara Temple. There may be minor changes in the membership and other things but so far as the principles of the Bill and scheme are concerned there is no difference.

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : योजना की कॉपी पहले हमें दिलाई जाय।

श्री अध्यक्ष : देखिये, उसकी आवश्यकता नहीं है। पब्लिक डॉक्युमेन्ट है, छिपी हुई कोई बात है नहीं। वह अदालत में पेश है। माननीय मंत्रीजी छिपाना चाहते हों, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि बहस को रोकना चाहें तो यह दूसरी बात है।

१.१ म० प०

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय हुआ कि सदन के ऊपर कोई बार नहीं है कि इस विषय में कोई कानून पास न करे। मैं भी आपकी इस आज्ञा को मान कर एक निवेदन और स्पष्टीकरण चाहूंगा कि यह मामला सब जुडिस है या नहीं ? और यदि यह मामला सबजुडिस है तो उसके उपरान्त भी सदन कार्यवाही करता है, यह बात दूसरी है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह बात जो किसी खास बात को लेकर चल रही है, दूसरे दावे को लेकर यह मामला अदालत में पेश है, उसके सामने है, उनको लेकर कानून पास करने जा रहे हैं। किसी व्यवस्था के लिए कोर्ट में केस पेश हो जाता है, सरकार पार्टी है, कोई आदमी उसमें शामिल हो जायगा, सरकार उसके लिए बिल पेश कर रही है और पेश करने के उपरान्त भी उसको वापिस ले लेना चाहिये था क्योंकि सरकार द्वारा एक व्यवस्था को लेकर कोर्ट में दावा पेश किया हुआ है, जैसा माननीय राजस्व मंत्रीजी ने कहा कि इसमें और उसमें माइनर चेन्जेज हैं, मेजर बातें दूसरी हैं और उसको कानून के रूप में पास करने के लिए हाऊस कम्पीटेन्ट हैं लेकिन मेरा तो इतना ही निवेदन है कि यह मामला सब जुडिस है या नहीं इसका स्पष्टीकरण हो जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूँ कि एक दफा नहीं दो दफा इस विषय में आप ने व्यवस्था दे दी है कि उस वजह से इसको रोका नहीं जा सकता है फिर भी बार बार पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ कर रहे हैं, यह एक ठीक परम्परा नहीं डाली जा रही है। अध्यक्ष के ऑर्डर का पालन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करना चाहिये। बार बार उसी बात को दूसरे शब्दों में पेश कर दिया जाय यह तो कोई हाऊस के लिए उचित परम्परा नहीं है। स्पीकर के आदेश का पालन हम सब को मिल कर करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस व्यवस्था का काफी अच्छी तरह से पालन करता हूँ। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, आप यह इज़ाजत दें कि मैं बोलूं नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, की हमेशा से आज्ञा मानता हूं, आगे भी मानता रहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक चीज़ क्लीयर नहीं हुई है जिसका मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यह सबजुडिस है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : किस रूल के अन्तर्गत यह रोक कर रहे हैं कि सबजुडिस होने पर नहीं कर सकते?

श्री भैरोंसिंह : यह इस सम्बन्ध में है कि सब-जुडिस होने पर, मैं रूल कोट करता हूं........

श्री अध्यक्ष : वह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक है कि क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। किन्तु लॉ बनाया जा सकता है। यदि मैं यह भी मान लूं कि सब-जुडिस है तो फिर भी कानून तो बना सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन मैं तो इतना-सा ही स्पष्टीकरण चाहता था कि यह सब-जुडिस है या नहीं? यह एक दफा तय हो जाय तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : मामला कोर्ट में चल रहा है इसमें दो राय नहीं हो सकती।

श्री भैरोंसिंह : तब सब-जुडिस है?

श्री अध्यक्ष : है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order Sir, अभी माननीय मंत्रीजी ने बताया कि स्कीम वहां सबमिट की थी उसमें और इस बिल में जो प्रोविज़न रखा है उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। कल भी माननीय सदस्य ने रेफरेन्स दिया था क्लाज २ (सी) में कि पर्सनल प्रोपर्टी एग्जेम्प्ट की गई है कि महाराज की रहे। महाराज ने जो हाई कोर्ट में रिट पेश की और फैसला हुआ उसकी कॉपी मेरे पास है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए थोड़ा उसमें से कोट कर देना चाहता हूं। पेज ७ पर है :

"...What is of importance to mention at this stage is that the Collector of Udaipur duly vested with powers of the Advocate General has filed a suit (being suit No. 1 of 1956) under Sec. 92 of the. Code of Civil Procedure against the present Tilakáyat and the dieties of Shrinathji. Shri Navnitpriayaji and Shri Madanmohanlalji, through the Tilkayat, in the court of the District Judge, Udaipur, praying that the scheme annexed with the plaint for the better management and administration of the temple properties be settled and approved, and that an order be made vesting the properties in the Committee of management and that such further or other relief might be granted as be

just and necessary. Our attention has been particularly drawn in this suit to that portion of the plaint (see para 5) wherein it is mentioned that the present Tilkayat Maharaj manages both the spiritual and temporal affairs of the temple. Our attention was next drawn to para four of the scheme, which it is claimed, clearly envisages that the properties comprised under the scheme would consist of the immoveable properties belonging to the idols of Shrinathji, Shri Navnitpriyaji and Shri Madanmohanlalji, and all other properties appertaining or attached thereto wherever situate, even though the same may be standing in the name of the Tilkayat Maharaj for the time being or of the former Tilkayat Maharaj, and also all such property which may be hereinafter acquired by all means whatever. It has, however, been made clear in the same paragraph that the scheme 'shall' not include any property belonging to the Tilkayat Maharaj, for the time being, personally although the same or the income thereof might hitherto have been utilised in part or in whole in the service of Shrinathji or Shri Navneet Priyaji or Shri Madanmohanlalji or any of the said other dieties."

In short, the vesting order has been claimed only with respect to the properties to be comprised under the scheme. This scheme suit is still pending in the court of the District Judge. In his reply to this suit, the defendant No. 1 therein, who is the present petitioner, accepted that various grants, donations, gifts and offerings both of immoveable and moveable properties were made by the rulers of Indian States and the followers of the Vallabh Sampradaya and the public for the benefit of the said idols, and that the high priest for the time being managed the properties belonging to the idols of Shri Nathji, as well as Shri Navneetpriyaji and Shri Madan Mohan Lalji. It was also admitted that these gifts were made from all over the country."

मैंने इसमें से कुछ कोटेशन दिये हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्कीम के बारे में पिटीशन में चीज आई है, पेराग्राफ और रेफरेन्सेज इसमें आये हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय को जानकारी दूं, विथ ऑल ड्यु रेस्पेक्ट्स कि इसमें माइनर चेन्जेज नहीं किन्तु इस जजमेन्ट को पढ़ने से मालूम होता है कि मेजर चेन्जेज हैं और कई मेटीरियल बातें ऐसी हैं जिन पर कि डिफरेन्स है और उन पर विचार करके फिर इसको पास किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हाऊस के पावर्स काफी वाइड हैं। मेजर चेन्जेज हो तब भी हम कर सकते हैं। स्कीम से हाऊस को बाध्य कर दें, यह नहीं हो सकता है। We can substitute a new scheme altogether. That was an agreed scheme between two or three parties, but because it has not been possible to implement it, we are now bringing in a law वैधानिक तौर से लॉ बन सकता है। उस स्कीम में क्या था, मेजर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

चेन्जेज़ हैं या माइनर चेन्जेज हैं, ये बिलकुल इम्मेटीरियल हैं, they are not connected with this Bill at all.

श्री अर्जुनदास : NO, Sir, the point is that it is just possible that this House may well accept that scheme itself rather than this Bill. If you give us the two together, then we will be able to understand the difference between the two and might be able to say that the former scheme was much better than the present Bill

श्री अध्यक्ष : Even if there is a material difference, the Government, we can presume, has changed its mind and do not want to stick to that scheme and have come up with this Bill which is what is at issue.

श्री अर्जुनदास : But if we come across the previous scheme, then we will be wiser by it and nothing will be lost.

श्री नाथूराम मिर्धा (सार्वजनेक निर्माण मंत्री) : वह तो अदालत में कई दिनों से पड़ा हुआ है, आप अकलमंद होते तो अच्छा होता।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी आज्ञा से, अध्यक्ष महोदय, आपका रूल नं० २२२ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं इस सम्बन्ध में बहस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बहस २२२ से रेगुलेट होगी। उनमें जिन बातों की रोक है उनका मैं ज़िक्र नहीं कर सकता, उनमें एक बात है :

"A member while speaking shall not :

(1) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending;"

मैं समझता हूं सारे नाथद्वारा खज़ाने को लेकर के सरकार के बीच में और महन्त के बीच में और वैष्णव सम्प्रदाय के बीच में जो झगड़ा है और जिस पर कोर्ट को डिसीजन देना है अगर इस पर बहस करेंगे तो मैं समझता हूं कि अदालत में जो मामला चल रहा है उस पर असर पड़ सकता है। माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दे दिया है कि यह मामला सब जुडिस है वैसी हालत में यह बहस इस रूल से कवर नहीं होती। वैसी स्थिति में मैं सदन से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि यह रूल मेरे ऊपर एप्लाई होता है या नहीं ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : यह स्पष्टीकरण आप किस रूल के मातहत मांग रहे हैं, This rule is meant for observing formalities.

श्री भैरोंसिंह : इसी रूल के मातहत should I observe this procedure or not ?

श्री अध्यक्ष : यहां इस समय प्रोपर्टी के बारे में बहस नहीं हो रही है इस रूल का मतलब यह है कि माल या ज्वैलरी जो पकड़ी गई उसके पजेशन के बारे में बहस न करें। The fact of possession or ownership is pending in a judicial court...

इसके बारे में बहस नहीं कर सकते। आप जनरल डिस्कशन टेम्पल के बारे में टेम्पल की प्रोपर्टी के बारे में कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो महाराज माल ले जा रहे थे, उसके लिये एक माननीय

Page No.50

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सदस्य ने जो रुपवास से आये हैं, कहा था कि महन्त उस माल को चोरी करके ले जा रहे थे। जब तक कोर्ट से यह तय न हो जाय कि वह चोरी थी या नहीं, जब तक यह मामला डिस्प्युटेड है, जब कि यह मामला सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में डिसिजन के लिये पेन्डिंग है वैसी स्थिती में इस बारे में नहीं कह सकते।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में नहीं कह सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल उन्होंने तो कह दिया था।

श्री अध्यक्ष : आप और कह कर उसको सुधार नहीं सकते।

श्री श्रीभानसिंह : Sir, actually these are all the circumstances which led to bringing about of this Bill. I was just listening to the Hon. Members and keeping quiet, but I myself feel that this legislation has come about in very unhappy circumstances. Somehow or the other the Government has by-passed the judiciary. First the Government should have withdrawn that Scheme from the court and then brought forward this Bill. But now that it has been brought, let us accelerete its passage rather than delay it in arguments.

श्री अध्यक्ष : Should I put the question ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिन कारणों को लेकर सरकार ने यह ऑर्डिनेन्स इश्यू किया है उन कारणों के विषय में सिवाय इस के कि जो कोर्ट में कार्यवाही चल रही है उसमें देरी होने की सम्भावना है इसलिये उससे बचने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि छः दिन का इन्तज़ार न किया जाकर चाहे किसी प्रकार की गलत परम्परा का निर्माण होता हो ऐसी पम्परा बनाये जाने के लिये एक ऑर्डिनेन्स इश्यू कर दिया जाय। मैं तो ऐसा समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कई बार इस सदन में चर्चा हुई है, विरोधी दल के सदस्यों के ओर से ही नहीं बल्कि सरकारी पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने इस बात का कड़े शब्दों में विरोध किया था कि साधारणतया ऑर्डिनेन्स इश्यू नहीं किये जाय। इस पर अभी अभी लोक सभा के अध्यक्ष श्री अनन्त शयनम आयंगर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भाषण की ओर भी संकेत किया गया और उन्होंने उसमें कहा था कि ऑर्डिनेन्स इश्यू करने की प्रणाली बहुत घातक है। इसका भी ज़िक्र किया। ऐसा लगता है कि सदन में इस प्रकार की चर्चा होने के बावजूद सरकार द्वारा समय समय पर इस बात को महसूस करने के बाद भी कि ऑर्डिनेन्स इश्यू नहीं किये जायं फिर भी सदन की बहस या सदन के माननीय सदस्यों की मन्शा को बहुत लाइटली सरकार ने लिया है और लेती है। आज वह चाहे बहुमत के आधार पर इन सब बातों को गम्भीरता से न ले लेकिन ऐसा मैं कह सकता हूं आज वह इन चीजों से अपने आपको बड़ा समझे, अपने आपको बुद्धिमान समझे, जनता का सेवक समझें, लेकिन धीरे धीरे वह इस जनतंत्र के लिये कब्र खोदते जा रहे हैं। जहां तक लोगों का विश्वास विधान सभा में है, एक प्रश्न सामने खड़ा होता है कि विधान सभा के सभी सदस्य मिल कर कानून बनायें।

(श्री भैरोंसिंह)

चूंकि कानून बनाने का अधिकार विधान सभा को मिला हुआ है, लेकिन सरकार को भी अपने आप में कानून बनाने का अधिकार मिला है, वह इस तरह से नहीं मिला है कि असेम्बली को बाई पास करते हुए कानून बनाने की चेष्टा करें। आज वे कह सकते हैं कि असेम्बली को बाई पास करने का प्रश्न नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि बाई पास करने का प्रश्न पैदा होता है, वह इस तरह से कि गवर्नमेन्ट ने अमुक डिसीजन लिया और उसके लिये किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर दी और उस अफसर ने चार्ज भी ले लिया। कौन कौन सी प्रोपर्टी पर अधिकार करना है यह भी निर्णय ले लिया। हाउस इस बात के लिये कोम्पीटेन्ट है कि जो कुछ निर्णय लिया गया है वह उसके विपरीत निर्णय भी ले सकता है। बहुमत भी बदल सकता है। जिस प्रकार उड़ीसा विधान सभा में बदला। आज नहीं, कभी हो सकता है। आपने जो डिसीजन ले लिया यह ख्याल करके कि हम जो कुछ करते हैं उसको हाउस बदल नहीं सकता, आपका निर्णय हाउस पर एक प्रकार से बाइन्डिंग है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): आप इस बिल के पक्ष में बोल रहे है या विरोध में ?

श्री भैरोंसिंह (जारी): आप धैर्य रखिये। अभी आपको पता चल जाता है। वैसी स्थिति के अन्दर इस प्रकार की योजना बनाकर, इस प्रकार का कानून बनाकर लागू कर देना और लागू करने के बाद में विधान सभा में पेश करना और इस रूप में, वह इस बात का संकेत करता है कि विधान सभा के ऊपर भी आप चाहे जैसा निर्णय लाद सकते हैं। इन्डिपेंडेन्टली उसको बदलने का राइट नहीं है। राजस्व मंत्री कह सकते हैं आपको स्वतन्त्रता है, निर्णय बदलने की। लेकिन ऐसी हालत में स्वतंत्रता रह नहीं सकती। मौखिक रूप में आप कह सकते हैं। लेकिन आप यदि भावना की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे तो आप को पता चलेगा। हाउस को स्वतंत्रता नहीं रहेगी। आज इस प्रकार की दिक्कत पेश नहीं होती जिस प्रकार की दिक्कत पन्द्रह मिनिट पहले पेश हो गई थी। सरकार को चाहिये तो यह था कि इस सम्बन्ध में एक विस्तृत स्टेटमेन्ट सदन के सामने रखती और हाउस को सारी बातों का जानकारी देती। क्या इन छः दिनों में महन्त जी द्वारा कृष्ण भंडार के माल में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना थी ? क्या वे वहां के कागजात गायब करने वाले थे या क्या ये सब चीजे संभव हो सकती है ? लेकिन जब कानूनी कार्यवाही कोर्ट में चल रही है और उसमें समय लगने का सवाल है इसलिये यह बिल लाया जा रहा है। यह जो रीजन बताया गया है इसमें कितना औचित्य है यह भी देखना है। मुझे याद है जब कोई मामला कोर्ट के विचाराधीन होता है उसके बारे में सदन में यदि कोई बोलना चाहें तो बोल नहीं सकते। लेकिन आज सरकार विधान सभा में बिल ला रही है और ऑर्डिनेन्स के रूप में लागू करना चाहती है। तो मैं समझता हूँ यह हमारे सदन के लिये उचित परम्परा नहीं होगी। मैंने इस बिल की गहराई में जाकर देखा है आखिर इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई ? दलेला साहब को चार्ज लेने की आवश्यकता महसूस क्यों हुई ? कमिश्नर साहब को चेयरमैन बनाने की आवश्यकता, इसका एक ही कारण था जिसे

(श्री भैरोंसिंह)

आप चाहे राजनैतिक कारण कहें, इसको इकोनोमिक कारण कहें या आपकी निगाह में भ्रष्टंट भी हो सकता है, जिस भाषा में आप चाहें विचार कर सकते हैं। तीनों बातें स्पष्ट रूप से सामने आयेंगी।

मैं समझता हूं पिछले सत्र में नाथद्वारा खज़ाने को लेकर मांग की गई थी कि इसकी जांच की जाय।

उस जांच की बात को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया। नाथद्वारा के गोस्वामीजी ने कोर्ट में दावा पेश किया कि जांच करने का किसी को अधिकार नहीं। इसमें दो—तीन महिने का अर्सा लगा। जो जांच इम्मीजिएटली होनी चाहिये थी, वह नहीं हुई। इम्मीजिएटली होती तो मैं समझता हूं कि इसके कई प्रकार के निर्णय और फल होते। अब वह जांच नहीं हुई कि चीफ जस्टिस का तबादला हो गया। पर चीफ जस्टिस ही जांच करे ऐसी बात नहीं। और भी चीफ जस्टिस की जगह काम कर रहे थे, दूसरे भी जेज़ थे, वे जांच कर सकते थे। पर यह रास्ता अपनाया गया। जांच करने की दृष्टि से नहीं बल्कि उसे अवोइड करने की दृष्टि से और इस मंशा से कि जितनी डिले हो सके अच्छा है, की जाय। वे जानते हैं देर होगी तो लोग इस मामले को भूल जावेंगे। अव्वल तो लोग सो गये हैं और अगर सो गये हैं तो उनको सुषुप्तावस्था में रक्खा जाय अगर जाग भी जावें और मांग भी कर लें गुप्त खज़ाने की जांच के लिये तो कहा जावेगा कि नये से जांच करवाई जावेगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपको बाकी की जुडिशियरी पर विश्वास नहीं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह इस समय तक काम कर रहे थे उन पर विश्वास नहीं। अगर आप जांच ही करवाना चाहते तो किसी भी जज को आप मुकर्रर कर सकते थे और अब तक तो फैसला भी हो जाता और ये रेवेन्यु मिनिस्टर साहब जो बार बार इस तरह के कानून पेश करते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वयं वे इस मामले में किस किस प्रकार से दोषी हैं। अपने दोषों को छिपाने के लिये ये यह कानून लाना चाह रहे हैं। वे दुनियां को यह दिखाना चाहते हैं कि कानून यह हमने बनाया है गोस्वामीजी के खिलाफ और हम कितने ऊंचे हैं, यह दुनियां देखे। जो लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं उसमें कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ मामला यह जांच का है। जांच के वक्त सारी चीजें जो आज की स्थिति में जांच कमीशन के सामने आ सकती थी, वे आ कैसे जावें? इस नीयत से वे उन चीज़ों को, उन एवीडेन्सेज़ को, उन डॉक्युमेन्टरी सुबूतों को समाप्त करने के लिये आज वहां की व्यवस्था इस कानून के द्वारा अपने चाहे आदमी के हाथों में लेना चाहते हैं और इस तरह से उन डॉक्युमेन्टरी एवीडेन्सेज़ को समाप्त करने का खेल खेलना चाहते हैं। इस नीयत से पहुँच गये वहां दलेला साहब। जाच के वे कागज़, वे तथ्य जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि राजस्थान के मंत्रियों के कारण, राजस्थान के रेवेन्यु मन्त्रीजी के लालच व लाचारी के कारण नाथद्वारा का गुप्त खजाने का माल गायब हुआ। उन सबूतों को, उन कागजों को दबाने के लिये आई० ए० एस० अफसर की नियुक्ति की गई है। (विरोधी पक्ष से शेम शेम की आवाजें) नहीं तो कोई आवश्यकता दलेला साहब को वहां भेजने की नहीं थी। आज राज्य सरकार सफाई देती है, कहती है एड-

(श्री भैरोंसिंह)

मिनिस्ट्रेटर जावेगा, इन्तज़ाम अच्छा होगा। मैं मानता हूं एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर आई० ए० एस० की श्रेणी का आदमी है। मुख्य मन्त्री महोदय का और रेवेन्यु मन्त्री महोदय का दोनों का उन पर विश्वास भी है। उनका ऊंची, आई० ए० एस० की सर्विस से चुनाव हुआ है। इसलिये उन पर उनका पूर्ण विश्वास है, होना भी चाहिये। ऐसी स्थिति के अन्दर यह मैं मानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में, पूर्ण विश्वास पात्र व्यक्ति को जिम्मेदारी की जगह पर लगाना भी चाहिये। इसमें स्वस्थ एडमिनिस्ट्रेशन के लिये कोई दिक्कत की बात नहीं। पर मैं कहना चाहता हूँ कि पहले भी गुप्त खज़ाना उनकी मौजूदगी में गया था। सरकार की तरफ से उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेटर की जगह एक व्यक्ति, उनके विश्वासपात्र व्यक्ति, काम कर रहे थे और वे भी कोई आर० ए० एस० आया, ऐसे वैसे ऑफिसर नहीं थे, मामूली लोकल बोडीज़ की सर्विस के आदमी वे नहीं थे, पंचायत में काम करने वाले सरपंच नहीं थे। पर वह, वह आदमी था जो राजस्थान के रेवेन्यु बोर्ड का चैयरमैन था, आई० ए० एस० का सबसे सीनियरमोस्ट आदमी था, उसकी मौजूदगी में, सीनियर मोस्ट आई० ए० एस० ऑफिसर की मौजूदगी में यह गुप्त खजाने का सारा काण्ड हुआ है। अब यह कहा जावे कि जो काम एक सीनियर मोस्ट आदमी की मौजूदगी में हुआ वह इन जूनेयर की मौजूदगी में नहीं होगा, यह समझ में नहीं आता। एक बात समझ में आ सकती है कि उस पर विश्वास नहीं होगा, इस पर है। इस प्रकार के विश्वसनीय आदमी की वहां आज इनको आवश्यकता थी। अगर अनावश्यकता हो तो हमारी दृष्टि में हो। आज इस प्रकार की कार्यवाही की जांच करवाने के साथ साथ आवश्यकता यदि होती है तो वे सारे कागज़ात, जो कृष्ण भण्डार के सामने गुप्त खज़ाने की बातों के बाबत थे, जो इन्वेन्टरी थी और वे आठ बक्स किस तरह से गये और किस तरह से वापिस आये इस बारे में जो जो कागज़ात कृष्ण भण्डार में हैं, उसके सामने आने की सम्भवना थी। और इसी नीयत से आज वहां अपना आदमी भेजने की इनको चिन्ता लगी है। सरकार के मन्त्री महोदयों की नोलेज़ में ये बातें आईं या नहीं, मैं सदन में यह स्पष्ट रूप में कहूं तो वह इल्ज़ाम इन मन्त्री महोदय पर आने वाला है। मैं वह बात सदन में रखता हूं कि वह इल्ज़ाम आने वाला है। गुप्त खज़ाने से मिली सम्पत्ति जब महन्त श्री के पास गई थी तो उस समय उसके बारे में कमेटी की मार्फत कोई निर्णय नहीं किया गया कि इसकी इन्वेन्टरी बननी चाहिये या नहीं। वह सम्पत्ति कहां रहनी चाहिये, महन्त से वापिस ली जानी चाहिये या नहीं, इन सब बातों से पहले उस समय के एडमिनिस्ट्रेटर ने इन सब बातों की रेवेन्यु मिनिस्टर को सूचना दे दी थी। अगर रेवेन्यु मिनिस्टर को कोई एक्शन लेना था तो उस तारीख को लेते। पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके कारण माल को दबाये जाने में कई प्रकार की कार्यवाहियां उनकी तरफ से और कइयों की तरफ से हो सकती हैं और उन सबसे बचने के लिये इससे बचने के लिये कि मुझे सूचना समय पर मिली या नहीं और मिली तो किस तरह से किससे मिली इस को अस्पष्ट रखने के लिये, मैं कार्यवाही नहीं कर सका, इस दोष से मैं मुक्त हो सकूंगा या नहीं इन सारे कारनामों पर पर्दा डालने के लिये कोई कार्यवाही अगर

(श्री भैरोंसिंह)

होती है तो मुझे तो खुशी नहीं। उनकी मंशा इस कानून के लाने में स्पष्ट नहीं है। इस कानून के जरिये वे अपने काले कारनामों को छिपाना चाहते हैं, उनका पर्दाफाश होने देना नहीं चाहते। यह स्पष्ट मंशा है उनकी इस कानून से। इसलिये विरोध करना इसका ज़रूरी है। पर कानून को बहुमत के आगे बदलना मेरे वश की बात नहीं। मैं विरोध कर सकता हूँ, सारी बातें स्पष्ट रूप से सदन के सामने रख सकता हूँ पर बदलना या इसको रद्द करवा देना मेरे वश की बात नहीं। अगर कानून को बदलने की कोशिश करनी होती, कानून बदलने की शक्ति विरोधी दल के हाथों में होती, सरकार के इन मन्त्रियों के काले कारनामों के करने वालों को दंड देने की शक्ति विरोधी दल में होती तो, यह गुप्त खज़ाना का घोटाला नहीं होता, गुप्त खज़ाना इधर से उधर जाता नहीं, बल्कि वह कृष्णा भंडार में रक्खा जाता। लेकिन फिर किसी भी सूरत से सरकार ने यह विचार कर लिया कि आॅर्डिनेन्स इश्यू करके और वह भी सदन प्रारम्भ होने की जानकारी होते हुए भी उसके प्रारम्भ होने के कुछ ही दिन पहले इश्यू करके मन्दिर का काम अपने हाथों में लेना है, ले लिया। अब वे निश्चिन्तता से रह सकते हैं। उस दिन के लिये जब कि इन्क्वायरी होने वाली है। उसमें जिस प्रकार के तथ्य पेश करना चाहिये उस तरह के ही तथ्य अपने आदमी से पेश करवा देंगे। अब तो अच्छी तरह से इन्क्वायरी हो जावेगी और वे साफ साफ बरी हो जावेंगे, मैं उनके एग्ज़ोनेरेट हो जाने के एन्टीसिपेशन में बधाई दे देना चाहता हूँ। मैं समझता हूं कि वे इस बधाई को स्वीकार करेंगे।

लेकिन अब प्रश्न एक आता है। जहां तक इस इन्क्वायरी का प्रश्न है वहां तक मैंने यह ज़िक्र किया है। पर जहां तक सिद्धान्तों का सवाल आता है कि आॅर्डिनेन्स इश्यू करके और बिल पेश करके मन्दिर की सम्पत्ति पर इस तरह से अधिकार करना चाहिये या नहीं, मुझे इस बात का अफ़सोस है कि कल जिस समय रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य ने अच्छे शब्दों के अन्दर इस बात का जिक्र किया कि जो मन्दिर के गोस्वामी हैं उनमें दुनिया भर के ऐब हैं। वह किसी भी प्रकार से गोस्वामी रहने के लायक नहीं है। उनके हाथ में किसी भी प्रकार से सत्ता नहीं रहनी चाहिये। उन्होंने नहीं, बल्कि कुछ माननीय सदस्यों ने यहां तक कह डाला कि उनके पास जितना भी रूपया पैसा या साधन हैं उन साधनों को उनके ऐश आराम के अन्दर इस ढंग से खर्च किया जाता है कि वह खर्चा किसी भी प्रकार से मन्दिर में आस्था रखने वाले व्यक्तियों के लिये अच्छा नहीं है। जो लोग अपनी भक्ति के कारण चढ़ावा देते हैं उनके लिये भी किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि महन्तजी के प्रश्न को अलग से लें। इस प्रश्न को अलग से लेकर विचारें। महन्त और मन्दिर ये दोनों अलग अलग हैं, मैं यह मानता हूँ। कई ने यहां तक कहां कि महन्त और मन्दिर का मसला दोनों आइडेन्टिकल हैं। उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। मैं इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। मैं समझता हूँ इनको अलग अलग किया जा सकता है। जहां तक महन्त का प्रश्न है हिन्दुस्तान की संस्कृति में आज तक की परम्पराओं के अनुसार हमारे यहां हीरो वर्शिप का सिस्टम है। आज भी हम सत्ता पर

(श्री भैरोंसिंह)

रहें मुख्यमन्त्रियों, और मन्त्रियों को सबको नमस्कार करते हैं, पर अविश्वास का प्रस्ताव उन पर आया कि फिर पूछते नहीं हैं। यह हीरो वर्शिप की बात केवल महन्त के लिये ही नहीं है, बल्कि अपने राजनैतिक क्षेत्र में भी हैं। जिसके हाथ में सत्ता है उसकी पूजा होती है। यह मैं नहीं कहता। भूदान आन्दोलन के प्रवर्त्तक और गांधीजी के परम अनुयायी और भक्त आचार्य विनोबा भावे का यह कथन है। आचार्य विनोबा भावे ने अभी पदयात्रा के सिलसिले में जब उदयपुर में थे तो हमीरगढ़ में कहा कि उदयपुर के जैसे चाटुकार कार्यकर्त्ता और नेता मैंने कहीं नहीं देखे। मन्त्रियों की खुशामद करना उनका परम कर्तव्य है। (हंसी) मुझे अफसोस है कि उन जैसे व्यक्ति ने ऐसे विचार प्रकट किये। उनको आज ये सारी बातें किसने बताई ? मैं भी बताने नहीं गया, और मेरे साथी लोग भी नहीं गये। फिर किसने बताई ? किसी ने नहीं बताई पर साधारण समाज में, साधारण जन समूह में जो आम चर्चाएं होती हैं उनके आधार पर उन्होंने यह निर्णय बनाया और अपनी यह धारणा बनाकर उन्होंने जनता के सामने अपने ये विचार प्रकट किये। मैं समझा हूँ कि इसका प्रभाव माननीय राजस्व मंत्रीजी पर पड़ेगा या नहीं, यह कहना कठिन है। पर एक प्रकार की यह ऊंचे विचारक व्यक्तियों की विचारधारा थी, जिसकी ओर मैंने संकेत किया है।

तो आज देश में एक हीरो वर्शिप की भावना है और इसके आधार पर कोई नाथद्वारा के महन्त की पूजा करे और इस बात को जानते हुए पूजा करे कि उसमें कई ऐब हैं तो यह उसका दोष नहीं है, यह तो हमारे यहां की परम्पराओं का दोष है, हमारी मान्यताओं का दोष है, जिस प्रकार के अपने संस्कारों का निर्माण हुआ है, उनका दोष है। सरकार कहेगी यह संस्कारों का दोष निकालने के लिये ही हमने यह प्रगतिशील कानून बनाया है। पर आज मैं सोचता हूँ कि जिसको प्रगतिशील कानून की संज्ञा दी जाती है और खुद प्रगतिशील बनते हैं, वे कितने प्रगतिशील किस प्रकार से हैं। मैं कहता हूं पहले में और अब में कोई अन्तर नहीं है। केवल नाम बदला है। जागीरदारों और राजा महाराजाओं के जमाने में बेगार ली जाती थी उसके बदले में केवल नाम बदल कर आज के जमाने में श्रमदान लिया जाता है। दोनों में कोई अन्तर नहीं है। कहा यह जरूर जाता है कि वालन्टरिली लोग वर्क करते हैं इसमें। पर यह वालन्टरिंग एजेन्सी आज फोर्सफुल बनती जा रही है। आज कहा जाने लगा है कि फलां काम के लिये दस हजार रूपया दिया जावेगा सरकार की तरफ से इस शर्त्त पर कि अगर तुमने पचास हजार का श्रम किया तो और उससे कोई सड़क बन जावेगी, कोई कुछ बन जावेगा। पैसे के लालच पर बेगार लेने की परम्परा पहले भी थी, चली जा रही थी, जिसको हम बहुत बुरा बताते थे, आज भी वही पैसे के लालच पर श्रम लिया जाता है, केवल नाम में अन्तर आया है। यह इसी प्रकार का सिस्टम राजाओं और जागीरदारों के जमाने में शुरू हुआ था। इनीशियेटिव तो इसी ढंग से हुआ था। केवल नाम बदलते जा रहे हैं। महन्त का नाम बदलकर नाथद्वारा के महन्त की संज्ञा को न रखकर दूसरे महन्त बन जायेंगे, उनकी पूजा होगी और पूजा होगी उस व्यक्ति की जो कि वहां पर चीफ एग्जीक्युटिव ऑफिसर रह

Page No.56

(श्री भैरोंसिंह)

कर काम करेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम इस सारे बिल को एक व्यक्ति के नाते देखें और व्यक्ति में दोष हो, महन्त में दोष हो इसलिए मन्दिर की सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया जाये यह बिलकुल अनुचित है। मेरी तो यहां तक मान्यता है कि सेवा का और भक्ति का जहां तक दृष्टिकोण है, लोगों की आस्तिकता का जहां तक दृष्टिकोण है वहां अगर महन्त किसी रूप में बाधक बनता है तो उसके साथ बैठकर बातें करने की आवश्यकता नहीं है, उसके साथ बैठकर चाय पीने की आवश्यकता नहीं है, उसके साथ बैठकर किसी प्रकार की योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे महन्त को जेल में रख दिया जाये। पर होता यह है कि उसके साथ बैठकर चाय पी जाती है, उसके साथ बैठकर बातें की जाती हैं उसके साथ बैठकर योजनायें बनाई जाती हैं और उसके साथ बैठकर वकीलों से मशवरा किया जाता है। तो इसके लिए वह व्यक्ति सीधे रूप से दोषी नहीं है बल्कि दोषी तो है हमारी सरकार। यदि गुप्त खजाने की बात को लेकर हमारी सरकार तत्परता से काम करती तो वह माल जो वहां से गायब किया गया और उसको लेकर जो दिल्ली भाग जाने की योजना बनी थी वह आमेर में नहीं पकड़ा जाता। लेकिन जब उस महन्त ने देखा कि यहां पोपाभाई का राज्य है, मैं चाहूं जो करूं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो इस माल को आमेर की घाटी होकर जयपुर भेज दो। मैं कहता हूं कि भारत-सरकार की इन्टेलीजेन्स ब्यूरो को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि जिसे यह बात मालूम हो गई कि महन्त खजाना लेकर दिल्ली भाग जाने वाला है। तो उसने उसे, महन्त को, आमेर की घाटी में पकड़ा और अगर वह माल नहीं पकड़ा जाता तो यह पांच छः लाख रुपये का जेवरात सारे सत्ताधारियों के बीच में होता हुआ राजधानी में से होता हुआ दिल्ली चला जाता और उसका पता नहीं चलता। लेकिन, खैर, वह किसी प्रकार से माल पकड़ा गया। अब इसके लिए महन्त जी के ऊपर बहुत से इल्जाम लगाये गये और अब इस चीज को कैसे रोका जाये तो सरकार ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर कायम कर दो और बोर्ड कायम कर दो। यह तो ठीक उसी प्रकार की कार्यवाही है कि जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई और उसके लिए दुनियाभर का इलाज कर लिया पर ठीक नहीं होता तो उसके लिए कहा जाता है कि इसको रामबाण औषधि दे दें। रामबाण औषिधि से या तो वह मर जायेगा या फिर ज़िन्दा रहेगा। तो इसी प्रकार से हमारी सरकार द्वारा रामबाण औषधि दी जाती है जिससे यह होगा कि या तो वह मर जायेगा या जी जायेगा। इस रामबाण औषधि के दो अर्थ निकलते हैं, मरने का और जीने का, परन्तु आज हमने स्पष्ट देखा है कि कोई सरकार की इस औषधि से जीता नहीं, मरता है। सरकार द्वारा यह रामबाण औषधि जीने के लिए नहीं दी जाती वरन् मरने के लिए दी जाती है। तो सरकार की नीति है कि ऐसे इन्स्टिट्यूशन को मारना है और उसी दृष्टि से कानून बनता है। सरकार की एक तरह से यह स्लो पोइजनिंग की नीति है। अच्छा हो सरकार कानून एक साथ बना दें, ट्रस्ट बनाने की कोई बात नहीं है, बोर्ड की कोई बात नहीं है। बहुमत आपके हाथ में है और आप कह दें कि जितने भी मन्दिर हैं वह सारे के सारे भारतसेवक समाज के अन्तर्गत होंगे और

(श्री भैरोंसिंह)

जितने भी पुजारी है वह कांग्रेसी होंगे, चुनावों में काम करेंगे। ऐसे कानून आप बना सकते हैं, कानून बनाना तो आपके हाथ में है, आपका लॉ डिपार्टमेन्ट कानून बनायेगा और कानून यहां विधान सभा में आयेगा और बहुमत के जोर पर वह पास हो जायेगा। जिस तरह से आपको खर्च करना है उसी तरह से खर्च हो जायेगा। एक दिन तो आप कहेंगे कि ट्रस्ट बनाया जाये और पैसा सारा कब्जे में ले लिया जाये, दूसरे दिन वैष्णव सम्प्रदाय पर हमला होगा और फिर कहेंगे कि मन्दिरों में नहीं आ सकते। तो इन सारी बातों से काम होने वाला नहीं है। ये कोई प्रगतिशील बातें नहीं है आज देश में आवश्यकता इस बात की थी कि उसका नैतिक स्तर बढ़े किन्तु चाहे किसी तरह से भी कहें, मैं भी अपने आपको मुक्त नहीं मानता हूं कि आज समाज का स्तर नीचे गिरते जा रहा है। मैं भी उसी समाज का एक अंग हूं और दूसरे भी इसी समाज का अंग हैं और जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं वह भी उसी समाज से निकले हुए हैं। आज हम चारों तरफ इस बात की चर्चा सुनते हैं कि समाज का स्तर नीचे गिरता जा रहा है और दूसरी ओर हमारी पंचवर्षीय योजना प्रगति करती जा रही है। तो एक ओर तो समाज का स्तर गिरता जा रहा है और दूसरे ओर हमारी योजनायें प्रगति कर रही हैं तो ऐसा नही होना चाहिए समाज और योजना का समन्वय इस प्रकार से होना चाहिए एक दूसरे का पूरक हो और दोनों का परस्पर समन्वय हो लेकिन आज हमारी परिस्थिति ऐसी है कि एक गिरता जा रहा है और दूसरा बढ़ता जा रहा है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार। वैसे पता नहीं सत्यता क्या है? तो एक गिरता जा रहा है और दूसरा प्रगति करता जा रहा है इसका मूल कारण यह है कि समाज के और इस देश के जितने बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने कहा है कि यह जीवन स्तर केवल इसलिए गिर रहा है देश में लोगों को धार्मिक तत्वों का ज्ञान नहीं कराया जाता है। मनुष्यों का जो काम है क्या अपने प्रति देश के प्रति और समाज के प्रति उनका ज्ञान नहीं कराया जाता है। पहले इन सब बातों की शिक्षा ली जाती थी लेकिन आज के युवकों से पूछ तो वह नहीं बता सकेंगे। उनसे आज सिनेमा के एक्ट्रेसेज का नाम पूछना चाहें तो उनका नाम ही नहीं परन्तु उनके सारे जीवन चरित्र की बात बता देंगे। इसके अलावा राम क्या हैं, कृष्ण क्या हैं। अल्ला और अकबर क्या हैं इसकी जानकारी किसी के पास नहीं मिलेगी। हमारे देश में इन पिछले दस वर्षों में जो पढ़ाई हुई है उनको किसी तरह का कोई याद नहीं कि राम कौन था और कृष्ण कौन था और अल्ला और अकबर कौन था। तो आखिर यह दोष किस बात का है? यह दोष सरकार की इस सारी शासन व्यवस्था का है। अब शासन व्यवस्था ने धीरे धीरे प्रगति करना आरम्भ कर दिया है और वह प्रगति यह की है कि जिन धार्मिक स्थानों पर थोड़ा बहुत भी धार्मिक प्रचार होता है उनको भी खत्म कर दिया जाये। यदि लोगों के अन्दर धार्मिक ज्ञान हुआ तो उनके अन्दर धार्मिक ज्ञान होने के कारण से वह उनका साथ नहीं देंगे इसलिए उन्होंने यह स्लो पोइजनिंग शुरू किया और सरकार ने सोचा कि मन्दिरों को समाप्त कर दिया जावे। मुझे पता नहीं एक बिल के बारे में शायद इस सदन में सरकार ने पेश भी कर दिया होगा और वह है हिन्दु ट्रस्ट बिल। ऐसे ही कानून बनाये

(श्री भैरोंसिंह)

जायेंगे। मैंने स्पष्ट कहा है कि ऐसे कानूनों की आज आवश्यकता नहीं है और इनकी आवश्यकता क्यों नहीं है वह इसलिए कि अध्यक्ष महोदय, कल अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने विधान से प्रदत्त कुछ अधिकारों का उल्लेख किया था। उस समय माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था कि यह कानून संविधान में दी हुई बातों के प्रतिकूल नहीं है। वह निर्णय मुझे उनका शिरोधार्य है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है कि जिस बात का उल्लेख संविधान में हुआ है वह किसी मसलत से हुआ है, ऑर्डिनरेली ऐसी बात रख दी गई हो ऐसी बात नहीं है, आज चाहे हम अपनी ओर से किसी बात का इन्टरप्रिटेशन किसी तरह भी करें लेकिन उसके पीछे एक भावना है और वह भावना यह है कि धार्मिक मामलों के अन्दर स्वतंत्रता का उपभोग करना होगा और वह स्वतत्रता उनमें रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को कहूंगा और सरकारी पक्ष के लोग भी कहेंगे कि इसके अन्दर संविधान के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही लेकिन संविधान में जैसे अधिकार हमको मिले हैं उनके पीछे जो भावना है उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है। कार्यवाही यह हो रही है कि ठाकुरजी की मूर्ति के सामने नत मस्तक होकर भेंट चढ़ायें और ठाकुर जी में आस्था रखें। हमारे राजस्थान में एक छोटी सी कहावत है और वह यह है कि मन्दिर के आगे होकर और राजा के पीछे होकर जाना चाहिए। क्योंकि राजा के आगे से होकर जायेंगे तो नुकसान उठायेंगे और मन्दिर के आगे से होकर जायेंगे तो फायदा उठायेंगे। यह बात पहले के लोगों ने कही है यह कोई मामूली बात नहीं है या आज जो बातें करते हैं वैसी बात नहीं है। इसके पीछे भी यह भावना है कि मंदिर के आगे से निकलेंगे तो कुछ सुधार होगा, कुछ लेंगे, लेकिन यदि राजा के सामने से निकलेंगे तो नुकसान होगा। इससे मंदिर का महत्व है। आज यदि यह कह दें कि मंदिरों में किसी प्रकार की बात नहीं तो मैं यह मानता हूँ और किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करता कि इस प्रकार से क्यों कहते हैं लेकिन हमारे यहां पुराण और प्राचीन धार्मिक ग्रन्थ जो हैं, आज बदकिस्मती से उनकी पूजा हम नहीं करते लेकिन विदेशों में उनकी पूजा होती है, लोग अपनी भाषा में उनका अनुवाद कराते हैं और वे पढ़ाये जाते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : कहां पढ़ाया जाता है ?

श्री भैरोंसिंह : रूस और जर्मनी में रामायण का अनुवाद उनकी भाषा में कराया गया है और रूस में गीता पढ़ाई जाती है।

श्री जनार्दनराय नागर : गीता पुराण नहीं है, गीता को भी आप पुराण कहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैंने गीता, पुराण वगैरह अलग अलग बताया है। पुराण आप के लिये भी बन रहा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : साहित्य एकेडेमी से गीता का अनुवाद हुआ है क्या ?

एक माननीय सदस्य : साहित्य एकेडेमी बोल रही है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे लिये यह भी आफत हो गई कि साहित्य

Page No.59

(श्री भैरोंसिंह)

एकेडेमी में इनका अन्वेषण होता रहता है।

श्री जनार्दनराय नागर : समय समय पर शिक्षा देनी पड़ेगी, बहुत अज्ञान है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : पढ़ना नहीं आता हो, तो हम शिक्षा देंगे।

श्री भैरोंसिंह (जारी) : अध्यक्ष महोदय, हमको आवश्यकता आज इस बात की है कि धार्मिक शिक्षा दें। नहीं दे सकते तो जहां से धार्मिक शिक्षा मिलती है उन इन्स्टिट्यूशन्स को सुधार करके रखें। मैं यह नहीं कहता कि यदि इसमें किसी प्रकार की प्रशासनिक खराबी हो तो उसको नहीं निकाला जाय। इस बारे में मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि जो तरीका है वह किस प्रकार का है। यदि तरीका अच्छा है जिसके कारण भक्ति भाव में लोगों पर लान्छन नहीं आता, कोई रुकावट नहीं आती तो हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिये, इस प्रकार की व्यवस्था बनावें। लेकिन संकोच यह है कि जैसा कि कल कहा था वैष्णव लोग भक्ति से पूजा करते हैं, मैं, अध्यक्ष महोदय, यदि यह कहूं कि राजस्व मंत्रीजी यदि सरकार के स्थान पर वैष्णव समाज को हो अधिकृत करते और उनसे यह कहा जाता कि महन्त को अलग करते हैं कानून के जरिये और मंदिर की व्यवस्था तुमको करनी है तो मैं समझता हूँ कि वैष्णव सम्प्रदाय निष्क्रिय, हतोत्साह या अयोग्य नहीं है कि अपने मंदिर की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं कर सकें, जो लोग लाखों रुपये भेंट करते हैं वे मंदिर की व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकें। सरकार को चाहिये था कि इसकी व्यवस्था वह उनके हाथ में देती। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि हम पॉवर को डीसेन्ट्रलाइज़ कर रहे है, धन को हटा रहे है वहाँ इस चीज़ से सरकार दूर रहती है, पब्लिक को कहती है कि महन्त की, व्यवस्था मंदिर में ठीक नहीं है, इसलिये वैष्णव सम्प्रदाय की एक बॉडी बनाई जावे, सरकार उसका रजिस्ट्रेशन करे और उसको मान्यता देकर उसके द्वारा चलाये जाने वाले प्रशासन को मान्यता दे। लेकिन सरकार ने इस प्रकार की कोई बात नहीं की। उसने बोर्ड बनाया तो अपने आदमियों को लेने की नीयत से, एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर रखा तो अपने आदमी को, चेयरमैन बनाया तो कमिश्नर को। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जो कानून है उसके एक पेज से लेकर अखीर पेज तक में बोर्ड को कोई पॉवर्स नहीं दिये गये हैं, बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, सारे पॉवर्स सरकार को हैं, बोर्ड के मेम्बर्स को हटाना, उसको सुपरसीड करना आदि बोर्ड के नाम पर सरकार ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं। कल एक प्रश्न आया था जो बड़ा मजेदार था। जोश से एक माननीय सदस्य ने कह दिया कि जितनी नाथद्वारा की प्रोपर्टी है वह सब ब्लेक मार्केटियर्स की प्रोपर्टी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे संकोच नहीं यह कहने में कि ब्लेक मार्केटियर्स या चोरी करने वाले जितने भी इस समाज के अंग हैं उनको भेंट चढ़ाने का कोई अधिकार न हो, ऐसी बात नहीं है। वे भी भेंट चढ़ा सकते हैं। चोर चोरी करके लाता है, पकड़ा नहीं जाता और मंदिर में खड़ा होता है तो वह भी पूजा कर सकता है। अब यदि ब्लेक मार्केटियर्स ने पैसा दे दिया, दिया या नहीं यह मामला किसी तथ्य के आधार पर कह सके ऐसी बात नहीं है, लेकिन

Page No.60

(श्री भैरोंसिंह)

उनके खिलाफ़ कहना था इसलिये कह दिया। सारा धन नाथद्वारा में जमा हो गया और ब्लेक मार्केटियर्स के धन से कोई मंदिर बनता हो या चलता हो तो उससे ब्लेक मार्केट की प्रेरणा मिलेगी। यदि वास्तव में यह बात सही है तो मुझे संदेह है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड से सरकार ने २ लाख रूपये कांग्रेस को चुनाव के लिये चंदे के दिलाये...

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से हट कर जयपुर उद्योग पर आ गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक घंटा ले लिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, और भी बोलने वाले हैं, टाइम रेग्युलेट किया जाय तो अच्छा हो। अभी जयपुर उद्योग पर आये फिर और कुछ कहेंगे He is not discussing particularly on this Bill.

श्री नाथूराम मिर्धा : लहज़े से बोलना कम करें तो समय कम लग सकता है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री जी की परेशानी को मैं समझता हूँ....

श्री दामोदरलाल व्यास : (राजस्व-मन्त्री) मैं इतमीनान दिलाता हूं कि इनको मुझसे परेशानी नहीं होनी चाहिये। आप मेरी परेशानी की चिन्ता नहीं करें अपनी परेशानी की चिन्ता करें।

श्री भैरोंसिंह : (जारी) मुश्किल यह है कि परेशानी समझदार को होती है।

(हंसी)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि केवल यह कहना कि ब्लैक मार्केटियर्स का धन है कहां तक ठीक है, मैं यदि उन फर्म्स का उल्लेख करूं, जिन फर्म्स का पैसा लेकर बहुमत प्राप्त किया है। वह पैसा भी ब्लेक मार्केट का था। मेरे कहने का मतलब यह है कि नाथद्वारा में यदि ब्लैक मार्केट के पैसे से भेंट चढ़ाकर प्रसिद्धि में आता है तो मैं यह भी कह सकता हूं कि ब्लेक मार्केटिंग के पैसे पर इलेक्शन जीत कर आज शासन चलाते है तो वे भी ब्लेक मार्केटियर हो सकते हैं।

(हंसी)

अब यदि यह कहा जाय कि बदइन्तज़ामी थी, इसलिये श्री दलेला को भेजा गया तो कोई यह कहे कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार होता है इसलिये इनके स्थान पर किसी काजी तानाशाह को भेजा जाय, लेकिन हमारा प्रजातन्त्र में विश्वास है, इसलिये, हम इनको पनपने नहीं दे सकते। कांग्रेस चाहती है कि इस प्रकार के अवसर का निर्माण करे जिससे प्रजातन्त्र खत्म हो जाय, लेकिन हम ऐसी स्थिति आने नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, इस मन्दिर के लिये जो कानून बन रहा है उससे अच्छी व्यवस्था होगी, यह संभव नहीं है। देवस्थान विभाग के बारे में जनलेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, राजस्व मन्त्री जी के दफ्तर में भी उसकी कॉपी गई है, उनको यदि समय मिला होगा तो उन्होंने उसे पढ़ा होगा। इस विभाग के लिये उक्त कमेटी ने जो रिमार्क्स लिखे हैं उनको उन्होंने देखा होगा। उसको देखने के बाद यदि कोई यह कहे कि देवस्थान विभाग का काम अच्छा है तो यह हो नहीं सकता। जो रकम उन्होंने उधार दी है उसका कोई हिसाब नहीं है, जो

(श्री भैरोंसिंह)

रकम जमा हुई है उसका कोई हिसाब नहीं, उसमें से कोई लेकर चला गया तो उसका भी कोई पता नहीं, रकम वापिस लेने का कोई कानून नहीं, कोई कर्जा मयाद बाहिर हो गया तो उसे मयाद में लाने की कोई गुंजायश नहीं, इस पर भी यदि कहा जाय कि देवस्थान का काम बहुत अच्छा है इसलिये नाथद्वारा का भी काम अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है। काम तो वहां का अच्छा होगा या नहीं लेकिन देवस्थान विभाग जैसी बात अवश्य हो जायगी। केवल यही कह सकते हैं कि भक्तिभाव से चढ़ाये हुए धन का दुरुपयोग होगा। मन्दिर में जाकर भक्त के रूप में मैं यदि कोई भेंट चढ़ाता हूं उसका सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा इसका प्रश्न उस वक्त सामने नहीं रहता है। जो आदमी मन्दिर में जाकर भगवान के सामने ५) रु० भेंट चढ़ाता है तो इसलिये नहीं चढ़ाता कि उसकी इच्छा से खर्च होगा, लेकिन उसके दिल में एक प्रकार की त्याग की भावना है, इस कारण अपने धन को भगवान के सामने भेंट करता है। भगवान के मन्दिर में व्यवस्था किस प्रकार की है, वहां पर खर्च करने का तरीका क्या है, यह दूसरा प्रश्न है, लेकिन यदि कोई कहे कि वहां पर धन का दुरुपयोग होता है तो भेंट करने वाला सोचेगा और गम्भीरता से विचार करेगा। आज राजस्थान में मन्दिरों के धन का दुरुपयोग होता है उसको कौन रोकता है, जो भेंट चढ़ाते हैं उनको चिन्ता है, गरीब जनता के लाखों रुपयों का दुरुपयोग होता है उसको रोकने वाला कौन है? इसको रोकने वाले हम और नाथद्वारा में जो भेंट चढ़ाई जाती है, उसको लाकर उसका उपयोग करने वाले हम, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। हम मजबूर हैं, इसलिए आपकी मर्जी फलीभूत हो सकती है। मगर इन दोनों दृष्टिकोण को सामने रख कर पहले आपका प्रशासन अच्छा हो, इसका सबूत रखें। इसका सबूत रख देंगे तो मन्दिर की व्यवस्था आपके अधिकार में आ जायेगी। अभी जनता आपसे डरती है, जनता आपके घोटाले से चमकती है और चमक कर कहती है कि सरकार को मत देओ, सरकार के कब्जे में पैसा गया तो उसका दुरुपयोग होगा, उस पैसे को टैक्सटाइल मिल्स के लिए दे दिये जायगा, कुछ लोगों को पैसा उधार दे दिया जायगा। वह पैसा वापिस आयेगा, या नहीं आयेगा, इसकी सिक्योरिटी नहीं है, जो पैसा मन्दिर में रहेगा, उसका हिसाब रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी कोई गारन्टी नहीं है। वह पैसा ऐसे लोगों के पास जायगा, जो सरकार के कृपा पात्र होंगे। पैसा कृपा पात्रों के लिए होगा तो भेंट नहीं आयेगी, लोग भेंट नहीं चढ़ायेगी और लोग भेंट नहीं चढ़ायेंगे तो जो इकोनॉमिक प्रिन्सिपल है, उसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होगा। हमारे देश की एक अर्थ व्यवस्था है, उसके अनुसार मनी को डिस्ट्रिब्यूट करने में गिफ्ट का स्थान महत्वपूर्ण है, गिफ्ट के द्वारा मनी डिस्ट्रिब्यूट किया जा सकता है, मनी को समाज में नीचे से ऊपर तक पहुँचाने की व्यवस्था है। भेंट के प्रति धारणा ऐसी बन गई है कि भेंट से मनी डिस्ट्रिब्यूट होती है, धन का वितरण होता है। वह वितरण किस प्रकार होगा, जब भेंट देने वाले भेंट देना बन्द कर देंगे, लोग विचार करने लगेगें कि भेंट का फायदा दूसरे लोग राजनैतिक आधार पर उठाने वाले हैं। वे भेंट देने को तैयार नहीं होंगे, ऐसी कोई भेंट नहीं आयेगी तो मन्दिर की

Page No.62

(श्री भैरोंसिंह)

व्यवस्था वह नहीं रहेगी और मन्दिर में जो धार्मिक भावना को लेकर यात्री आते हैं, वे उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस सारी स्थिति को रख कर, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के कानून की राजस्थान में अभी कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार को चाहिए कि सरकार वैष्णव समाज के महन्त को हटा कर वैष्णव समाज के जो लोग हैं, उनकी एक समिति का निर्माण करे और उसमें सरकार का हस्तक्षेप न हो। सरकार यदि चाहे तो इस प्रकार के नियम बना दे कि जिनके आधार पर समिति काम करे। उस स्थिति के अन्दर भी सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए ताकि लोग धार्मिक भावना का धार्मिक स्वतन्त्रता का पूर्ण उपभोग कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था हो। इस स्थिति को रख कर मैं इस बिल का विरोध करते हुए, मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार का कानून हमने बनाया तो कल जाकर हमारी राज्य सरकार सारे मन्दिरों पर अधिकार कर लेगी। यह कहा जाता है कि महन्त ने अपने पक्ष की पब्लिक ओपिनियन नहीं बनाई है, अपने खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बनाई है। महन्त ने जो पब्लिक ओपिनियन बनाई है, वह अपने लिये बनाई है लेकिन नाथद्वारा के मन्दिर में वे लोग जाते हैं जो लोग वहां भेंट चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करके अपनी आस्तिक भावना का परिचय देते हैं। उनकी इस भावना के ऊपर सरकार किसी प्रकार से आघात नहीं पहुँचाये ताकि वे लोग धार्मिक कार्य के अन्दर अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग कर सकें, उनको उनकी स्वतन्त्रता का उपभोग करने दिया जाय। अगर पब्लिक ओपिनियन महन्त के खिलाफ है तो महन्त के खिलाफ कोई अफेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। यह सरकार के ऊपर है कि वह एक्शन ले, हमें इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल।

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा (किशनगढ़) अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन हो तो ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) सण्डे को क्लॉज बाई क्लॉज लें।

श्री अध्यक्ष : एक दिन में नहीं हो सकेगा।

श्री भैरोंसिंह : जनरल डिबेट में सब बोल लें बिल को एक दिन में निकलवा देंगें, एक दिन में पास करवा देंगें।

श्री अध्यक्ष : उसमें दिक्कत होगी, आज क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन शुरु कर दें।

श्री भैरोंसिंह जनरल डिस्कशन के बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : मेरे अर्ज करने का मतलब है कि यह पता लग जाय कि कितने साहब बोलने वाले हैं। इसमें ६५ अमेंडमेंट हैं, इससे अन्दाजा लगा लिया जाय कि अमेंडमेंट पर ६५ मूवर होगें। इतने पर एक दिन में माननीय सदस्य खत्म करना चाहें, मैं नहीं समझता कि कैसे कर सकते हैं। समय थोड़ा रेग्युलेट हो जाय। जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, उनके लिए

(श्री दामोदरलाल व्यास)

थोड़ा समय फिक्स कर दें। मैं समझता हूं तीन बजे हम क्लॉज बाई क्लॉजडिस्कशन शुरु कर दें। मैं क्लोज़र मोशन मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष : तीन बजे जनरल डिबेट समाप्त कर दें। माननीय सदस्य फन्डामेंटल इश्यू से ज्यादा न बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री दामोदर लाल व्यास : मुझे भी जवाब देना होगा, मेरे जवाब के लिए भी समय दे दें।

श्री पुरुषोतमलाल शर्मा : (जारी) अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने यह प्रश्न है कि जो बिल पेश हुआ है, उस पर हम विचार करें या सिलेक्ट कमेटी में भेज दें, ये दो प्रश्न है। सिलेक्ट कमेटी में इसे भेजने के लिए जिन्होने प्रस्ताव रखा है, मैं उनका विरोध करता हूं।

प्रस्तावक महोदय ने जो अपने विचार प्रगट किये, उनमें यह बताया और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी यह बताया कि हम एक धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप करते हैं और जो महन्त जी के अधिकार हैं, उनमें हस्तक्षेप करते हैं, पुष्टि मार्ग का जो धार्मिक कार्य है, उसमें हस्तक्षेप करते हैं, ब्रह्म सम्बन्ध में जो महन्त जी का अधिकार है, उसमें हस्तक्षेप करते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर न तो कोई पुष्टि मार्ग को बन्द किया गया है और न ब्रह्म सम्बन्ध देने वालों पर, लेने वालों पर कोई रोक लगाई है। वे ब्रह्म सम्बन्ध लें और रोजाना लें, इससे इस बिल का कोई तालुक नहीं है।

दूसरी बात यह बताई गई कि निजी सम्पत्ति नाथद्वारा महन्त की है, उसके बारे में इस बिल में उल्लेख है और उसको क्यों रखा जायगा, इत्यादि बातें कही गईं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने राजाओं से राज्य लिये और जागीरदारों से जागीरें ली, उनके लिए भी पर्सनल प्रोपर्टी रखी है। ऐसी हालत में महन्त की पर्सनल प्रोपर्टी न हो, यह उपयुक्त बात नहीं है। उनकी पर्सनल प्रोपर्टी होती है, उसका कारण यह है कि ब्रह्म सम्बन्ध लेने में जो धन गुरु को लोग देते हैं, वह अलग चीज है और जो श्रीनाथ जी के दर्शन करके भेंट चढ़ाई जाती है, वह दूसरी चीज़ है। गुरु से दीक्षा लेकर भेंट चढ़ाते हैं वह व्यक्तिगत सम्पत्ति है और जो श्रीनाथ जी के दर्शन कर चढ़ाते हैं, वह मंदिर की सम्पत्ति है इसलिए मंदिर की सम्पत्ति और पर्सनल प्रोपर्टी में फर्क है।

मैं निवेदन करूं कि यह भी कहा गया है कि वैष्णव सम्प्रदाय के लोगों के अलावा दूसरे लोगों से इसका मैनेजमेंट कराया जायगा, यह उपयुक्त नहीं है। वैष्णव सम्प्रदाय के जरिये ही इसका मैनेजमेंट कराया जाना चाहिए और मैनेजमेंट कमेटी उन्हें ही बनाने देनी चाहिए। मैं निवेदन करूं कि वैष्णव सम्प्रदाय के लोगों पर मैनेजमेंट छोड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि जो वैष्णव सम्प्रदाय के लोग नहीं है, वे भी इस मैनेजमेंट कमेटी में जाने के लिए वैष्णव सम्प्रदाय के बन जायेंगे क्योंकि वे वैष्णव हैं या नहीं है, इसका उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए सरकार का ऐसा कानून बन जाय कि किस प्रकार मंदिर की व्यवस्था को ठीक करें, पैसे का जो दुरुपयोग होता है, उसको ठीक करें, और दुरुपयोग कर रहे, तो मैं समझता हूं यह उचित

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

ही रहेगा। जब हम लेजिस्लेशन बनाने के लिए बैठते हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस कानून से क्या क्या नुकसान व फायदा होने वाला है। यह कहा जाय कि पुष्टि मार्ग के लोगों को ही मैनेजमेंट समिति बनाने को दें, मैं निवेदन करूं कि पुष्टि मार्ग के लोग देश में कितने हैं, उसकी पहले गणना करानी चाहिए, पहले सब के नाम रजिस्टर करने चाहिए और ब्रह्म सम्बन्ध गुरु से लें, उसका नाम रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। ऐसी स्थिति में पुष्टि मार्ग वालों को मैनेजमेंट समिति बनाने के काम को सुपुर्द किया जाना मेरी समझ में उचित नहीं है। नहीं तो आपने यदि चार व्यक्तियों इस कार्य के लिये को मुकर्रर कर दिया तो १० और कहेंगे कि हमको भी मुकर्रर किया जाय। ऐसी स्थिति है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह न कहा जाय कि वैष्णव सम्प्रदाय की जिम्मेदारी पर यह काम उनके सुपुर्द कर देना चाहिए और सरकार को सदस्य नोमीनेट नहीं करने चाहिए, यह गलत बात है। मैं समझता हूं कि इस बिल के जरिये एक संस्था के धन के दुरुपयोग को रोक रहे हैं, उसके लिए लेजिस्लेशन बना रहे हैं, यह तो उपयुक्त है। यह भी कहा गया कि सरकार पहले सदस्यों को मुकर्रर करेगी और कुछ महीने के बाद उन्हें हटा देगी मैं समझता हूं कि उन्होंने शायद इस बिल को पढ़ा नहीं। मैं आपको बताऊं कि इस बिल में कहा है कि तीन वर्ष तक वे नहीं रहेंगे। इस बिल के क्लॉज पांच और सात में बताया है कि उनमें क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन आ जायेगी। यदि कोई पागल हो जायगा, कोई अपराधी हो जायगा, तो उसे समय से पहले हटासकेंगे। इसमें यह लिखा है....

इससे यह साफ और क्लीयर है। ऐसी स्थिति में आप कह देवें कि सरकार ने सब कुछ हाथ में ले लिया है। सरकार ही मुकर्रर करती है और सरकार ही हटाती है तो कोई दूसरा तरीका आप बताइये कि सदस्य कौन किस तरह मुकर्रर करे ?

और यह बताया गया कि धन का दुरुपयोग होता है, सरकार के खजाने में रुपये का दुरुपयोग होता है। मन्दिरों के धन का दुरुपयोग होता है। अभी महन्तजी अगर दुरुपयोग करते हैं धन का तो आपको उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर सरकार धन का दुरुपयोग करती है तो आप यहां कह सकते हैं और ऐसी सरकार को हटा सकते हैं। इसलिये सरकार की व्यवस्था रहना तो ठीक है और जो बिल सरकार लाई है वह बिलकुल ठीक है।

२,१ म० प०

हमने प्रजातन्त्र के तरीके को अपनाया है, प्रजातन्त्र के तरीके से ही धन का दुरुपयोग और सदुपयोग कर सकते हैं, प्रजातन्त्र के तरीके से सरकार बनी है, फिर यह कह देना कि धन का दुरुपयोग किया जाता है, तो धन का दुरुपयोग व्यक्ति कर सकता है, सरकार नहीं। और इस तरह से जो धन का दुरुपयोग करता है उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है।

ऐसा भी कहा गया कि महन्तजी को ही व्यवस्था का भार सब कुछ वापिस दे दिया जाय। तो फिर नाथद्वारा काण्ड के लिये इतनी आवाज, अखबारों में इतना प्रोपोगन्डा करने की क्या आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में यह कह देना कि सरकार धन का दुरुपयोग करेगी, इसे मैं बिलकुल गलत मानता हूं।

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

यह भी कहा गया कि कोर्ट में मामला पेश था और ६ दिन बाद ही असेम्बली हो रही थी तो फिर एक दम ऑर्डिनेन्स क्यों जारी किया गया, तो इसके लिये मेरा निवेदन है कि एक तरफ हम देखते हैं कि महन्तजी माल लेकर जारहे हैं, वह उनका है या किसका है, यह डिसाइड हम नहीं कर सकते पर यह तो हमारे सामने है कि एक व्यक्ति नाथद्वारा का माल ले जा रहा है उसे हमारी सरकार ने, हमारी पुलिस ने पकड़ा, उसमें यह तय नहीं हो पा रहा है कि यह उनकी पर्सनल प्रोपर्टी है या टेम्पल की प्रोपर्टी है, यह झगड़ा चल रहा है। ऑर्डिनेन्स होने पर भी इतनी बात कर रहे हैं तो वह ऑर्डिनेन्स नहीं होने पर महन्तजी सारी की सारी प्रोपर्टी को पर्सनल प्रोपर्टी करार दे देते तो फिर क्या होता ? मैनेजिंग कमेटी को हटाने का महन्तजी को पूर्ण अधिकार है, एक लाइन लिख कर दे-देते कि इस कमेटी को मैं हटाता हूँ तो क्या फिर उसका इलाज किया जाता ? वे सारा धन ले जा सकते थे। समाज का धन अपने काम में ले सकते थे।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : यह इन्फरेंस है या इन्फोर्मेशन।

श्री पुरुषोत्तमलाल : अभी कहा गया कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के सामने इस नाथद्वारा के मामले को जांच के लिए क्यों नहीं रखा, इसकी जांच अभी तक क्यों नहीं कराई गई और लीपापोती के लिये यह बिल लाया गया है। आज जिन माननीय सदस्य ने यह बात कही है उन्होंने ही पहले यह मांग की थी कि नाथद्वारा काण्ड में जांच करने के लिये मुख्य मंत्री, मुख्य न्यायाधीश को मुकर्रर करें और अब कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश ही क्यों दूसरे न्यायाधीश से क्यों नहीं जांच कराई जाती। अभी कहा कि यहां के जो अभी मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे जांच क्यों नहीं कराई गई, अगर उनसे कराते तो यह भी आप कह सकते थे कि वे टेम्प्रेरी थे उनको पर्मानेन्ट करने का लोभ दे दिया होगा।

फैसला जो भी देने वाले हैं, वो चाहेंगे वैसा निर्णय दे देंगे तो यह कह देना कि इसके लिये बिल लाया गया है, यह गलत है। यह भी कहा गया कि गुप्त खज़ाना वहां से चला जाता है उसका सरकार को ध्यान रखना चाहिये था। मैं कहता हूँ सरकार को क्या हक था उसमें जब आप स्वयं कहते हैं कि वह माल महन्तजी का है, उस सम्प्रदाय का है तो फिर सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकती थी ? सम्प्रदाय के लोग अमानत में खयानत करने वाले के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं न कि दूसरा, इसी वजह से खज़ाना गया। आइन्दा कोई सम्पत्ति इस तरह नहीं जाय, इस लिये ही तो यह ऑर्डिनेन्स इश्यु किया गया है।

यह भी कहा गया कि धर्म के नाम पर स्लो पोइज़न दिया जा रहा है, अरे ! धर्म तो आत्मा से सम्बन्ध रखता है.....

श्री अर्जुनदास : On a point of order, Sir, He can not use the word 'arey', He used this word here he should not.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैंने किसी सदस्य के लिये नहीं कहा है।

श्री अर्जुनदास : फिर बोलें सदस्य,

(श्री अर्जनदास)

माननीय सदस्य कहिये।

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : माननीय सदस्य को बड़ी चिन्ता है। तो कहा गया कि स्लो पोइजन दिया जा रहा है। धर्म का और रुपये का और पोइजन का ऐक्य कैसे ? अगर किसी व्यक्ति को जेलखाने में भी डाल दिया जाय तो धर्म नहीं छोड़ता। पोइजन देने से भी धर्म तो उसके साथ जाता है। यहां तो यह इंतजाम किया जा रहा है कि धर्म का पैसा है उसका सदुपभोग हो, इसके लिये प्रबन्ध किया जा रहा है। संस्था का पैसा अगर कोई रंडीबाजी में, फिजूलखर्ची में, ऊलफैल में पैसा खर्च करता है और उसको आप धर्म समझते हैं तो यह हमारे धर्म के खिलाफ है। पैसा जो वहां है उसका सदुपयोग किया जाय, इन्डस्ट्रीज़ के काम में लगाया जाय तो इन्डस्ट्रीज़ राजस्थान की सेवा करेंगी। यह ठीक है कि किसी मंत्री महोदय ने मिल करके कुछ किया है अपने निजी लोभ के लिये हस्तक्षेप किया है तो वह गलत हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) आपका क्या ख्याल है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निर्णय देने वाला कौन हूँ, यह तो निर्णय देने वाले ही देंगे। कहा जाता है कि वैष्णव सम्प्रदाय का पैसा है, सरकार इसमें क्यों हस्तक्षेप करती है ? उस पैसे का सदुपयोग हो इसीलिये सरकार हस्तक्षेप करती है। महन्तजी द्वारा उस पैसे का दुरुपयोग किया जाता है तो उनको कहने वाला कोई नहीं है अगर सरकार द्वारा उस पैसे का थोड़ा भी दुरुपयोग किया जायगा तो अखबारों में उसके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। जनलेखा समिति इस चीज को बाकायदा एग्जामिन करेगी और इसके बारे में सरकार को लिखेगी। तो सरकार के इन्तजाम में आ जाने के बाद सरकार को चैक करनेवाली जनलेखा समिति है, जनलेखा समिति के जरिये यह सदन हमेशा चैक करता रहेगा। यदि यह सम्पत्ति महन्तजी के अधिकार में ही रही तो सदन को और जनलेखा समिति को उसके दुरुपयोग को रोकने के लिये कोई अधिकार नहीं रहेगा। या कोई मिनिस्टर मिले हुए हों उनको देना है तो उसके बारे में कहने का, हस्तक्षेप करने का किसको हक हो सकता है ? किसी की प्राइवेट प्रोपर्टी है वो चाहे जिसको दे सकता है। आप कौन होते हैं उन्हें कुछ कहने वाले ? जब तक सरकार अपने बिल द्वारा व्यवस्था न ले, ऐसा न करे तब तक कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि हम पुष्टिमार्गी तो हैं नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : पुष्टिमार्गी हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह कहा गया है कि समिति या ट्रस्ट कायम नहीं होना चाहिये। समिति या ट्रस्ट कायम करने से ठीक नहीं होगा। धर्म पर असर पड़ेगा। मगर मैं यह कह देना चाहता हूँ कि हमारे यहां किशनगढ़ के राजा हैं वहां पर श्री नाथजी का मन्दिर है। वे उनके भक्त हैं। वह सबसे बड़ा मंदिर है और वे पुष्टिमार्गी हैं। किशनगढ़ राज्य की गवर्नमेंट ने उस मन्दिर के प्रबन्ध के लिये ट्रस्ट बनाया और आज

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

उसके जरिये से उस मंदिर का सुचारू रुप से संचालन हो रहा है। आप बतावें कि कमेटी बन जाने से क्या असर होगा ? आज जब किशनगढ़ में श्री महाप्रभुजी के चित्र व श्रीनाथजी का मन्दिर है और हजारों लोग दर्शन के लिये आते हैं। यह कहा जाता है कि अगर ट्रस्ट या समिति बनेगी तो धर्म चला जायेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप वहां पर क्या थे ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : किशनगढ़ में मंदिर की कमेटी बनी हुई है। मैं वहां पर किसी समय मिनिस्टर था। वहां का धर्म नहीं गया। मेरी स्त्री, मेरे घरवाले सब कभी २, दर्शन करने के लिये जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका धर्म क्या है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मेरा धर्म तो सर्व धर्म है। यदि यह कहा जाए कि ऐसी व्यवस्था से पैसा देने वाले लोग पैसा देना बन्द कर देंगे मैं निवेदन करूंगा कि दानदाता जो दान देना चाहता है वह तो देगा ही। वह तो अब भी देगा और पहले भी देता ही था। अगर जिस दान के धन से समाज में कुरीतियें फैलती हों, जिस धन से भ्रष्टाचार फैलता हो, जिस धन से दुराचार फैलता हो अगर उसके लिये वह दान भी न आवे तो कोई चिन्ता की बात नहीं है। भगवान बिना दान के ही भक्ति से प्रसन्न रह सकते हैं।

२. १२ म० प०

([illegible] आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

यदि इस प्रकार की बातें पैदा होती हों तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के दान को लेना ही उचित नहीं है। इसलिये यह कहना कि अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो दान नहीं आएगा, यह उचित नहीं है और इसलिये इस बिल को न पास किया जावे यह कतई वाजिब नहीं है। मैं तो यह कहूँगा कि इसके बनने के बाद भी दान देनेवाले दान देंगे और मैं तो यह कहूँगा कि पहले जो दान देते थे उससे ज्यादा दान देंगे और यह समझ कर देंगे कि जो हम दान दे रहे हैं उस धन का सदुपयोग होता है। इसलिये माननीय सदस्यों को इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि दान नहीं दिया जावेगा।

इसके अलावा अभी यह कहा गया है कि जो ६ हजार लोग वहां पर काम करते हैं और १० हजार व्यापारी वहां रहते हैं निकम्मे हो जावेंगे। मेरी समझ में नहीं आया कि यह कैसे कहा जाता है ? क्या १० हजार व्यापारियों को नाथद्वारा से हटा दिया जावेगा ? मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रस्तावक महोदय ने भावावेश में आकर और नाथद्वारा में रहने के कारण यह बात बताई है जो उचित नहीं है। आज नाथद्वारा का नाम सारे भारतवर्ष में विख्यात है। यह जो बिल लाया गया है इससे किसी धर्म पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस बिल को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया तो ६ महीने लगेंगे और ६ महीनों के बाद यह ऑर्डिनेन्स खत्म हो जावेगा बल्कि तीन महीनों के बाद ही हो जावेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी पास किया जावे जिससे धन का सदुपयोग हो।

Page No.68

श्रीअर्जनदास (अजमेर सिटी पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के कई पहलुओं पर चर्चा हो रही है। पहली बात यह है कि ऑर्डिनेन्स के जरिये यह कानून लागू कर दिया उसके मैं खिलाफ हूँ। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई कारण नहीं था जो हाउस को बता सके कि उनको क्या जल्दी थी जब कि सदन १६ तारीख को मिल रहा था और यह ऑर्डिनेन्स १० तारीख को आपको निकालना पड़ा।

The Ordinance is the last resort and not the first. If the Hon'ble Minister could have shown some respect for this House he could have brought the Bill before this House before getting an Ordinance passed from the Governor. This, I believe, when the House is about to assemble, is, by itself if not legally, in my eye atleast, a contempt of the House. It is now simply to force the hands of the House to pass the Law. The law has been enacted. Very few of us will be reluctant to pass it. We will have to pass it, because the Governor has passed it. I take this opportunity to request the Government that hereafter things like this should not be repeated. If the Session was to commence after a few months, we could have accepted it but when there was a difference of six days only, I feelt here was absolutely no justification to pass this Law by an Ordinance.

So far as this Bill is concerned, the idea underlining the Bill is concerned, I accept it. But my grievance is, Sir, why only this Nathdwara Temple is being pointed out? Why not all other Hindu temples? I believe, I don't know the real position of Nathdwara, but I am told that the conditions of other Hindu temples are no better. The position of these temples may be worse. Some of the Mahants that I know they have been misusing the property to the detriment of the community. And earlier we do away with all these better it is for us. As such, I will request the Government to see that if they can bring Ordinance for all the temples in Rajasthan. At this stage, after the independence of India, we have done away with the Jagirdars and Zamindars because they were idlers. We want that everybody should work none should be parasites. Most of the Mahants are parasites. It will be for the betterment of the whole India if we remove these idlers.

Having expressed my views about it, I will suggest that there might be some difficulty about this Bill but it will be better if we could pay some attention to it and see if we can suggest some amendments. It has been suggested that the Commissioner of Udaipur Division shall be the Ex-Officio member of the Board. But what will be the position if the Commissioner at Udaipur happens to be a Muhammadan? Would the Minister-in-charge of the Bill expect us to accept that the Mohammadan would be a member of the Board? I believe, this point may not have occu-

(श्री अर्जुनदास)

red to him, and as such I would request him to please take a serious note about it and if possible to make an amendment in the Bill so that non-Hindus-Mohammadans or Christians or anybody else may not be the members of the Board. So there should be something to avoid any situation arising hereafter.

श्री उपाध्यक्ष : We have got various amendments on this Bill. It will be better if we discuss when amendments are raised.

श्री अर्जुनदास : Your suggestion is not acceptable to me, Sir......

श्री उपाध्यक्ष : Such suggestion and other discussion can be done even at the stage of amendments.

श्री अर्जुनदास : Sir, I am saying for the Government. At this stage, I am trying to use this opportunity to induce the Government to move amendments themselves rather than to expect amendments to be moved from this side. I hope...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : There are already amendments on which you can discuss better. There are 61 amendments.

श्री अर्जुनदास : I expect the Government to move these amendments rather than to expect from the Hon'ble members.

Another thing, what I feel is that probably it is nowhere given what will be the remuneration of the Goswamiji ? Does the Government expect him to live without any remuneration or the Government knows that he has enough to live ? I wish that this should be made quite clear in this Bill.

The other thing we find is that the members of the Board will be nominated by the Government. That position will not be a healthy one. Why should not the members be elected rather than nominated by the Board ? If this temple is of a particular community why not allow that community to elect their members ? Once we get this thing that may be mis-used. Any way you give others to suspect that the Government is trying to keep this weapon to be misused rather than to be used for the betterment of the whole religion. Therefore, I will request the Government to find out some means by which members may be elected. The method of election is a different matter for you. I am not suggesting the method of election. Members should be elected otherwise it will be a position that the party in power may take political advantage out of this position. I hope the Minister-in charge of the Bill may say we will not do so. Why not you leave it to the members of the community to elect themselves ?

With these remarks, I take my chair.

Page No.70

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्षजी, जैसी कि इस सदन में नाथद्वारा मन्दिर विधेयक पर चर्चा चल रही है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक को जल्दी से जल्दी पास किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अभी कुछ माननीय मित्रों के विचार सुने। मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस विधेयक के साथ में धर्म को जोड़ा है और कुछ ऐसी बातें जोड़ी हैं जिनका कि इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं था। वास्तव में हम किसी के धर्म पर कोई ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं व मंदिरों में जाने से किसी को रोक नहीं रहे हैं बल्कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि नाथद्वारा मंदिर में जो लाखों, करोड़ों की सम्पत्ति है, जिसके बारे में आज नहीं, अभी नहीं, साल डेढ़ साल से राजस्थान भर में जिक्र चल रहा है और सदन में भी जिक्र हुआ कि वह सम्पत्ति सुरक्षित नहीं है उसका दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग किसके द्वारा हो रहा है, यह दूसरी बात है। लेकिन माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है उन्होंने खुद ने कई बार विचार प्रकट किये हैं कि सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिये कि जिससे मंदिर की सम्पत्ति का सदुपयोग हो। फिर मैं यह नहीं समझ सका कि जब सरकार ने सदन के समक्ष विधेयक रखा है, हो सकता है कि उसमें कुछ खामियां हों लेकिन उसका उद्देश्य यह है कि नाथद्वारा मंदिर में जो सम्पत्ति है उसको एक मैनेजमेन्ट के अन्तगर्त रखा जावे न कि एक व्यक्ति के हाथ में उसको छोड़ा जावे, चाहे वह महन्त हों और जब सरकार की ओर से इसका इन्तज़ाम किया जा रहा है तो उन्हीं सदस्यों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और जब इस प्रकार की व्यवस्था के लिए विधेयक नहीं लाया गया था तो वे ही लोग सरकार पर लांछन लगाते थे और इस प्रकार की बातें कहते थे कि आया वहां पर धन है वह सुरक्षित नहीं है। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस विधेयक का विरोध नहीं होना चाहिये और जिन्होंने किया है उन्होंने खुद ने विचार व्यक्त किये हैं, उनकी पार्टी ने विचार व्यक्त किये हैं लेकिन आज राम, कृष्ण और खुदा को इसके साथ जोड़ कर विरोध किया जा रहा है। आखिर इसका मतलब क्या हुआ? इस विधेयक का मतलब तो यही है कि प्रोपर्टी व धन जो भी हो वह सुरक्षित रहे।

दूसरा अभी अभी एक माननीय मित्र ने कहा कि सरकार को नाथद्वारा मंदिर के बारे में ही नहीं बल्कि राजस्थान भर के अन्दर जो बहुत से मंदिर हैं उन पर भी ऐसा विधेयक लागू करना चाहिये जैसा कि पंजाब में गुरुद्वारा विधेयक बना है। यहां पर भी ऐसा ही कानून बनना चाहिये ताकि जो पैसा राष्ट्र निर्माण के काम में नहीं आ रहा है, और महन्त-पुजारियों, मठाधीशों के पास पड़ा हुआ है, तहखानों और तिजोरियों में और दूसरी दूसरी जगहों में पड़ा हुआ है उसका सदुपयोग हो सके और उसका सदुपयोग करने के लिए इस प्रकार के विधेयक की जल्दी से जल्दी जरूरत है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पास करने के साथ साथ अन्य मंदिरों के लिए भी कानून बनावे जिससे कि मंदिरों की सारी प्रोपर्टी है, सम्पत्ति है उसका सदुपयोग हो सके, जिसका सदुपयोग आज नहीं हो रहा है जब कि एक एक पैसे के नेशनल सर्टिफिकेट्स बेचने पड़ते हैं, एक एक पैसे के लिए तरसते हैं और एक तरफ मंदिरों में करोड़ों रुपयों की सम्पति दबी पड़ी हुई है जो किसी काम नहीं आती है, राष्ट्र के लिए काम में

(श्री गिरधारीलाल)

नहीं आती है। यह भी निश्चित बात है कि एक आदमी के पास ज्यादा पैसा हुआ तो वह उसको एशोआराम में खर्च करेगा, कोई आदमी भगवान् के समान नहीं पहुंचा, लेकिन पैसा होने से खराबियां आजाती हैं इसलिए सारी सम्पत्ति को राष्ट्र निर्माण के काम में लगाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां एक कहावत कही गई है कि मंदिर के सामने से जो आदमी निकलता है उससे उसकी भावना साफ हो जाती है और इस तरह की कुछ और बातें कही गई हैं। मैं सोचता हूं कि आखिर ऐसी बात होती कि मंदिर के सामने से निकलने से या मूर्त्ति के सामने खड़ा होकर पूजा करने से उसकी भावना शुद्ध हो गई तो वहां के महन्त अच्छे आदमियों में से होते ही हैं। लेकिन महन्त के बारे में कई माननीय सदस्य कह चुके हैं कि उनका आचरण अच्छा नहीं है..

श्री उपाध्यक्ष : उनके बारे में काफी कहा जा चुका है, कल से ही कहा जा रहा है ।

श्री गिरधारीलाल : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का काफी समय न लूंगा क्योंकि इस पर काफी माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला दिया है इसलिए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हुआ माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो बातें पहले कही गई थी और आज जो उनके विपरीत कहा जा रहा है दोनों में एक विरोधाभास है। इसमें आखिर माननीय सदस्यों का किस प्रकार का हित है और उनको क्या आपत्ति है और क्या आकांक्षा है, यह मैं नहीं समझ सका। आपने कहा कि बोर्ड पर कब्ज़ा कर लेंगे, बोर्ड पर आप का ही तो कब्जा हुआ, आखिर आपके द्वारा आदमी रखे जावेंगे। किसी को भी रखेंगे तो भी आलोचना करने के लिए आलोचना कर सकते हैं । इसलिए मेरा तो निवेदन है कि सारे मंदिरों के लिए भी एक कानून लाना चाहिये जिससे कि उनके पास जो सम्पत्ति है वह राष्ट्र निर्माण के काम में लाई जा सके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा मन्दिर विधेयक के सम्बन्ध में कल से यहां बहस चल रही है। बहस बहुत से पहलुओं पर चल रही है और जब मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं तो संभवतः कुछ माननीय सदस्य विचार करते होंगे कि मैं इसका विरोध करूंगा या समर्थन। क्योंकि जहां तक नाथद्वारा मन्दिर का सम्बन्ध है, उसमें होने वाली अनियमितताओं का सम्बन्ध है, महाराज ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिल करके वहां की सम्पत्ति का अपहरण किया है उसका प्रश्न है तो मैं यह समझता हूं मुझे स्मरण है कि यह प्रश्न विधान सभा के सन् ५८ के बजट सत्र में, मैंने ही रखा था। उस समय मैंने यह मांग की थी कि इन सारी बातों की जांच की जाय। अगर वहां के प्रबन्ध के विषय में कानून बनाने जा रहे हैं और उसका मैं यह कह कर विरोध करूं तो मेरे माननीय सदस्य यह कहेंगे, जैसा कि नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जनसंघ के सदस्यों ने ही इस मन्दिर के बारे में सारी बातें रखी थी और आज जब कानून आ रहा है तब उसका विरोध कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष, इस संबन्ध में मैं कुछ कहूं उसके पहले मैं माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण कर दूं मैं मूर्तिपूजा में विश्वास नहीं रखता, मैं सनातन धर्मावलम्बी नहीं हूं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं आर्य समाजी विचारों का समर्थक हूँ, वैसी, हालत में यह इन्कोंसिस्टेन्सी सामने आयगी कि मूर्तिपूजा में मैं विश्वास नहीं रखता तो फिर मन्दिरों के विषय में, मन्दिर के प्रबन्ध के विषय में जो बिल आया है उसका समर्थन करने के लिए कैसे खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम इस विधेयक पर विचार करने बैठे हैं तो सारा घटनाचक्र एकाएक सामने आ जाता है जिसके कारण कई माननीय सदस्यों के सामने एक ही प्रश्न उपस्थित होता है और वह यह कि हम लोगों ने ही इस सदन में यह प्रश्न उठाया था, नाथद्वारा में जो घोटाला हुआ उसको हम ही लोग सदन के सामने लाये थे और आज उसी नाथद्वारा मन्दिर के प्रबन्ध के लिये सरकार कानून बनाने जा रही है, उसमें व्याप्त जो रोग है उसको दूर करने जा रही है तो फिर हम उसका विरोध क्यों करते हैं ? मुझे इस संबन्ध में कुछ आगे कहने से पहले एक घटना याद आती है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई एक गांव का व्यक्ति था। वह किसी डॉक्टर साहब के पास पहुंचा और उससे कहा डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है। डॉक्टर साहब ने यह देखा कि इसके सिर में दर्द है इसका कारण कब्ज है, तो पहले कब्ज का निदान होना चाहिये। तो उसने उसका पेट साफ करने के लिये कई प्रकार की दवाइयां दीं फिर भी उसका पेट साफ नहीं हुआ। आखिर डॉक्टर ने उसके एनीमा लगा दिया। जब एनीमा लगा दिया तो उसका पेट साफ होगया और तबीयत हल्की होगई और सिर का दर्द भी दूर होगया। सिर के दर्द के दूर होने पर उस गांव के जाट ने कहा "वाह रे अंगरेज कहां तो मर्ज और कहां इलाज"। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार का अनाड़ी डॉक्टर वह था हालांकि उसके पास एम० बी० बी० एस० की कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी एम० बी० बी० एस० लगा लेते हैं उनका मतलब यह होता है कि मियां बीबी, बच्चों सहित जो होते हैं वे भी एम० बी० बी० एस० का खिताब लगा लेते हैं। जब अनाड़ी डॉक्टर ने देखा कि सिर के दर्द का इलाज एनीमा है तो ऐसे रोगी को जिसको पहले से ही दस्त हो रहे हैं अगर उसको भी एनीमा दें तो उसको दूसरा एनीमा लग जायगा। उसी प्रकार हमारे राजस्व मंत्री उसी अनाड़ी डॉक्टर की तरह प्रयोग कर रहे हैं। रोग कुछ है मर्ज कुछ है और इलाज कुछ ही हो रहा है। राजस्थान विधान सभा के सन् ५८ के बजट अधिवेशन में मैंने यह प्रश्न उठाया था उस समय आपने कानून बनाने का नहीं कहा था। विधान सभा में मैंने बात रखी थी कि नाथद्वारा मन्दिर के खजाने को खोल करके महाराज उसमें से ज्वैलरी ले गये, यह मैंने इल्ज़ाम महाराज पर लगाया था, तो आपको महाराज का इन्तज़ाम करना था। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिल करके खज़ाने की चोरी की, आपने उस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या किया ? मैंने ये आरोप खुले रूप में लगाये थे और यह भी कहा था कि इस खजाने के अपहरण के अन्दर हमारे यहां के कुछ मंत्रियों का भी हाथ है। उन आरोपों को आपने स्वीकार किया और आपने कहा था कि हम इसकी खुली जांच करायेंगे, मुख्य न्यायाधीश द्वारा जांच करवायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह जांच आपने पूरी करवाली ? चाहिये तो यह था कि जो आपने वादा किया उसकी जांच पूरी करवा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लेते ताकि मन्दिर की सम्पत्ति जिसे महन्त चोरी करके ले जा रहे थे वह रूक जाती।

सदन के माननीय सदस्यों को पता है कि जो माल वे ले जारहे थे उस माल को केन्द्रीय इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने आमेर के पास पकड़ा। पांच सन्दूक कब्जे में लिये गये। जब मैंने इसके बारे में प्रश्न पूछा कि उन पांच सन्दूकों में से तीन को क्यों लौटा दिया गया उसका क्या कारण था? क्यों नहीं इन्वेन्टरी बना दी गई? कानून की निगाह में चोरी करने वाला भी उतना ही मुजरिम है जितना अबेटर भी मुजरिम होता है। उसके लिये कोई इन्तज़ाम नहीं। आप उसके लिये इन्तज़ाम करने के लिये तैयार नहीं। नाथद्वारा मन्दिर में बड़ा ज़बर्दस्त घोटाला हुआ है, यह मैंने आरोप लगाया था और जहां तक सम्पत्ति का सवाल है उसको इधर उधर करने का काफी प्रयास किया गया। जहां तक इन बातों का सम्बन्ध है, मैं महन्त जी का समर्थन नहीं कर सकता। मेरा तो इसके लिये यह निवेदन है कि जिन जिन व्यक्तियों ने मिल कर इन सारी चीजों का अपहरण किया है उनका जहां तक सम्बन्ध है सरकार ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है। राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता ने यह मांग की थी कि जो नाथद्वारा में घोटाला हुआ है, जिसमें सरकार का हाथ बताया जाता है उसका क्या हुआ? क्या सरकार ने उस सम्बन्ध में जांच की? जब सरकार ने देखा कि दूसरा विधान सभा का अधिवेशन आने वाला है और शायद वह प्रश्न फिर से पैदा हो तो राजस्व मंत्री महोदय ने और मुख्य मंत्रीजी ने सोचा कि कहीं १६ तारीख को शुरू होने वाले सेशन में यह बखेड़ा खड़ा न हो जाय, फिर कहीं क्रोस एग्ज़ामिनेशन की नौबत न आजाय इसलिये उन्होंने सोचा ऑर्डिनेन्स इश्यु कर दिया जाय और ६ दिन पहले ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया गया। मैं राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि पहले वाला सेशन १९ दिसम्बर के करीब समाप्त हुआ था और उसको समाप्त हुए साल भर का समय होने आया उस बीच के समय में ऑर्डिनेन्स जारी क्यों नहीं किया गया? दिसम्बर में आप ऑर्डिनेन्स जारी नहीं करते, जनवरी में नहीं करते, १० फरवरी को जब केवल ६ दिन शेष रह जाते हैं असेम्बली का अधिवेशन शुरू होने में तब आप ऑर्डिनेन्स जारी करते हैं, इसका क्या मतलब है? मेरे मन में पूरी आशंका है ऑर्डिनेन्स जो जारी किया गया है यह ऑर्डिनेन्स इसलिये नहीं था कि कोई इमर्जेन्सी या कन्टीन्जेन्सी आगई हो, १० फरवरी को कौनसी कॉन्टी-न्ज़ेन्सी थी? नाथद्वारा के महन्त तो दिल्ली में बैठे हुए हैं; सारा इलाज हो सकता था, उनका प्रोसीक्यूशन होना चाहिये था। यदि आप उनका प्रोसीक्युशन करते तो मैं किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करता। मैंने इस सम्बन्ध में विधान सभा में यह प्रश्न भी रखा था कि महन्तजी जब चोरी करके माल को ले जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनकी जमानत क्यों नहीं ली गई, मुचलका क्यों नहीं लिया? महन्त जी और पंडे पुजारी जो चोरी करते हैं मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता। उनके साथ साथ मैं उनका साथ देने वाले गठकटों का समर्थन नहीं कर सकता। हम में आखिर किसी हद तक नैतिकता तो हो। महाराजश्री को यों ही जाने दिया गया, उनसे किसी प्रकार की जमानत तक नहीं ली गई और न माल की इन्वेन्टरी ही बनायी गई। मैं तो यह चाहता

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हूं कि महन्तजी को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करते और उनके हथकड़ियां डालते ताकि राजस्थान की जनता को यह पता चल जाता कि सार्वजनिक सम्पत्ति का अपहरण करनेवालों का क्या हाल होता है। महन्तजी हो, चाहे आप चाहे मैं, ऐसा होता तभी जनता समझ पाती। वह आप कर नहीं सकते और करना चाहते भी नहीं। आप तो ऑर्डिनेन्स जारी करना चाहते थे सो आपने कर दिया। जिन परिस्थितियों में यह ऑर्डिनेन्स जारी हुआ मैं उन सारी परिस्थितियों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिलाना चाहता। ऑर्डिनेन्स के औचित्य के बारे में, इसके कोम्पीटेन्सी के बारे में हमने विचार किया। इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था दी गई, उसके सामने मैं भी नतमस्तक हूं। जब ऑर्डिनेन्स ज़ारी कर दिया गया उसके बाद एक विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है। यदि सरकार की कोई भूमि सुधार सम्बन्धी नीति का सवाल होता या इन्डस्ट्रियल पॉलिसी का सवाल होता, आर्थिक पुनर्जागरण का या प्रान्त के विकास सम्बन्धी कोई बिल होता और उसमें आप हमारा सहयोग नहीं पाते तो आप कह सकते थे। हमने ऐसे मामले में पूर्ण सहयोग दिया है।

हर एक चीज़ का इलाज एक नहीं। हर एक चीज़ की एक रामबाण दवा नहीं होती। किसी भी प्रकार का मर्ज हो, दवाई देने लग जाओ प्रगतिशीलता की दुहाई देकर तो यह सही नहीं है। जनसंघ के लोग तो प्रतिक्रियावादी हैं; क्यों? क्योंकि हमारी चीजों का वे विरोध करते हैं। मन्दिर को भी खत्म कर दो। नई व्यवस्था ला दो। नई चीज़ अच्छी लगती है। पर इन सारी बातों के बारे में गम्भीरता से विचार होगा। हर नई चीज़ प्रगतिशील नहीं होती। इस भ्रम में आप न रहें। पंचवर्षीय योजना के लिये आपको पैसा चाहिये था। आप लीजिये पैसा। आप इन सारी अधूरी बातों को, इन सारी पुरानी मान्यताओं को काट दीजिये, कह दीजिये कि सरकार के पास पैसा नही है इस योजना के लिये, उसको पैसा चाहिये इसलिये नाथद्वारा का कानून बनाने जा रहे हैं। क्या मैं यह समझूं? नहीं, तो किसलिये आप यह कानून बनाने जा रहे हैं। मन्दिर में व्यवस्था नही अव्यवस्था होती है तो इसको दूर करने के लिये महन्त को हटा सकते हैं। हमने तो मांग की है आप से दो कदम आगे बढ़ कर। आप उनको गुप्त खज़ाना लूटने के जुर्म में अरेस्ट करो और उनके खिलाफ केस कन्डक्ट करो, उनको हवालात के सीखचों में बन्द कर दो। पर आप यह नहीं करते। आप करेंगे दूसरी ही बात जो आपके निज के हित में होगी। आप जानते हैं कि मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है इन्क्वायरी करने के विषय में। जैसे विचार प्रकट कर रहे थे किशनगढ़ के हमारे भूतपूर्व मन्त्रीजी। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ में मन्त्री रहे थे, उन्होंने ट्रस्ट बनाया था।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): सरकार का या किसी कमेटी का?

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वह मिनिस्टर की बात बताई थी। तो मैं निवेदन कर रहा था आखिर किशनगढ़ में हुआ, अगर वहां कोई चीज़ है। अब यह तो नही कि वहां

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पर प्रोग्रेसिवनेस के नाम पर इस तरह की सारी बातें करना, इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम पर, नवीनता के नाम पर नई नई कुछ न कुछ खटपट होती रहनी ही चाहिये इस प्रकार की बातें करके सही बातों की ओर से हमारा ध्यान सरकार नहीं हटा सकती। हम सीलिंग का विरोध नहीं करते, लैण्ड रिफॉर्मस, इन्डस्ट्रियल रिफॉर्मस, इकोनॉमिक डवेलपमेंट की स्कीमें कैसी होनी चाहिये इसका विरोध नहीं करते। इसके बारे में हमारे विचार हैं और कांग्रेस के जो विचार होंगे उनसे चार कदम आगे हमारे जनसंघ के विचार होंगे। पर कौन इनको पसन्द करे! हम अगर इनका विरोध करते हैं, इनके कारनामों का, इनके काम करने के ढंग का हम विरोध करते हैं तो कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं। तो यह तो वैसी ही बात हुई कोई व्यक्ति दिल्ली गया, उसे आगे जाना था। गाड़ी बदलने में और दूसरी गाड़ी के चलने में चार घंटे की देर थी उसका एक और साथी था। उसने कहा कि यहां ठहर जावें, इस बीच में शौचादि से निवृत्त हो लें। वह शौच के लिये इण्डियन सिस्टम के शौचालय की ओर गया वहां पर पानी से निवृत्त होकर आया। उसका मित्र कहने लगा उस तरफ क्यों इस तरफ चलो। उस तरफ तो हिन्दुस्तानी टट्टी है। उधर पानी का उपयोग होता है, इधर इंग्लिश सिस्टम की टट्टी है, इधर पानी का उपयोग नहीं होता। उसने पूछा तो फिर क्या होता है? कहने लगा कागज के टुकड़े मिलते हैं।

(हंसी)

कहने लगे प्रगतिशीलता इसी में है। कहां उस हिन्दुस्तानी ढंग की टट्टी का नाम लेते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी परिस्थितियों को देखिये। अगर कागज़ से पूछने में ही प्रगतिशीलता है, इसी को आप अगर प्रगतिशीलता की निशानी समझते हैं तो यह प्रगतिशीलता आपको ही मुबारक हो। हमारी मानक चौक चौपड़ पर जैसे चाट की दूकानें हैं वहां चाट खाना और हिन्दुस्तानी टट्टी में जाना और पानी का प्रयोग करना आपके कहने के मुताबिक प्रगतिशीलता नहीं है। कागज के टुकड़ों से पूछने में प्रगतिशीलता है तो आप जावें उस सारे धन्धे में, आप प्रगतिशील बनें इस तरह के। हम तो इन जैसे चीजों का विरोध करेंगे। हम तो भारतीयता के हामी हैं, हम तो पानी का ही प्रयोग करने में अपना गौरव मानेंगे। आप भले ही इसको अप्रगतिशीलता कहते रहें। तो मैं स्पष्टीकरण कर रहा था इस प्रगतिशीलता का। मैं और स्पष्ट कर दूँ इस मामले में हमारी पार्टी और दल महन्त के विरूद्ध कार्यवाही करने में आपके विरूद्ध नहीं है। आप सख्त से सख्त कदम उठाइये उनके विरूद्ध। उनको कोर्ट में ले जाइये, उनके विरूद्ध आप क्रिमिनल केस चलाइये, उन्हें सींखचों में डाल दीजिये। करिये आप यह हिम्मत, अगर आप में हो तो, हम आपके साथ हैं। पर अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिये आदमी नियुक्त मत करिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एक लिस्ट है, एक इन्वेन्टरी है। वह लिस्ट एक तो महन्त के पास है, दूसरी कृष्ण भण्डार में है और वह लिस्ट अगर मिल जाती है तो फिर इन्क्वायरी में नये गुल खिलते हैं और वह लिस्ट अगर इनके काबू में आ जाती है तो ये फंस नहीं सकेंगे। अगर वह लिस्ट इन्क्वायरी में जज के सामने आती है तो

(श्री सतीसचन्द्र अग्रवाल)

जिन लोगों पर आरोप लगाये गये हैं वे सब फंसते हैं और इसलिये यह बिल आप लाना चाहते हैं ताकि आप अपना आदमी वहां पर भेजकर वह लिस्ट अपने कब्जे में कर सकें और उन सभी डॉक्युमेंटरी इविडेन्सेज़ को खत्म कर सको। आप अपना आदमी अपोइन्ट करके इन्क्वायरी में बाधा डालना चाहते हैं। कालापन अगर सरकार के दिल में नहीं है तो उनको इन्क्वायरी अब तक करा लेनी चाहिये थी। कई व्यक्तियों ने कहा कि ये न्यायाधीश अगर चले गये तो दूसरे जजों से करा लेते। पर जवाब दिया गया कि चूंकि जनसंघ ने मुख्य न्यायाधीश से जांच कराने की बात कही थी इसलिये हमने तो उसी से कराने की बात कही है। हम तो आज भी मांग करते हैं कि इस बिल को वापिस ले लो अगर हमारी बात आप इतनी मानते हैं तो। पर आप इसे वापिस नहीं ले सकते यह हम जानते हैं। आप वही काम करेंगे हमारे नाम पर जो आपके हित में होगा, जो गोस्वामी के हित में होगा, जो आपके कारनामों को ढकने में काम आ सके। बात को चलाते रहो, मुख्य न्यायाधीश चले गये, बहाना मिल गया। आपको, आप कहने लगे दूसरा चीफ जस्टिस आवेगा तब करा लेंगे। आपको समय निकालने का बड़ा अच्छा बहाना मिल गया। इसमें जनसंघ की मांग आपको बड़ी अच्छी हितकारी लगी। पर एक्टिंग चीफ जस्टिस तो थे आप उनसे जांच करा सकते थे। विधान सभा में बहस हो गई, सारे काण्ड हो गये, एश्योरेन्स दे दिया, ऑर्डिनेन्स निकाल दिया; सब आपने कर लिया पर इन्क्वायरी के लिये आपने कुछ नहीं किया क्योंकि यह आपके खिलाफ पड़ने वाली थी, इसमें आपका भण्डाफोड़ हो सकता था। आज उसको बेमाने करने के लिये आप यह बिल लेकर आये हैं।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा। अभी श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चोरी के बारे में कहा, डाके के बारे में कहा, मैं भी महसूस करता हूँ। मैं मन्दिर में इसलिये चला जाता हूं क्योंकि मेरे साथी जाते हैं। हिन्दुस्तान के प्रति मैं आस्था रखता हूँ, हिन्दुस्तान की जनता की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, मेरे दिल में मन्दिर के प्रति भक्ति या आस्था है या नहीं यह मैं नहीं कहता पर जनता की भावनाओं की कद्र करने के लिये मैं उनके साथ मन्दिर में प्रवेश करने जाता हूँ। मैं अभी बीकानेर की तरफ गया। वहां देशनोक में मन्दिर है। मैं अपने साथी के साथ अन्दर गया। देखा चार हज़ार चूहे वह अन्दर घूम रहे थे। देखा चारों तरफ चूहे ही चूहे थे। मैंने अपने जीवन में किसी मन्दिर में इतने चूहे नहीं देखे। पर वह गया अपने साथियों के साथ और केवल इस लिये गया क्योंकि मेरे साथियों को उसमें श्रद्धा है, आस्था है, जनता जनार्दन की श्रद्धा है मैं भारतीय पद्धति में विश्वास करता हूँ, मैं आर्य समाज में विश्वास करता हूँ पर आज जिन व्यवथाओं के प्रति, जिन चीजों के प्रति जनता की भावना है, आस्था है मुझे भी हिन्दुस्तान के एक नागरिक होने के नाते उनकी आस्था का, भावना का आदर करना चाहिये। हम मन्दिर में आस्था नहीं रखते पुष्टिमार्गीय भी नहीं हैं पर जनता जनार्दन की श्रद्धा है इसलिये उनकी श्रद्धा का आदर करने की भावना हमारी है।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जहां इस बिल क

Page No.77

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सवाल है, हम स्पष्ट हैं। पर साथ ही यह आवश्यक समझते हैं कि जहां तक ये सारे घोटाले हुए हैं, वहां के गुप्त खज़ाने का जो अपहरण हुआ है, जो वहां की सम्पत्ति इधर उधर हुई है उसमें मेरा तो निश्चित मत है कि जो कुछ होना था सो हो गया, सांप निकल गया, अब लकीर पीटने से कुछ नहीं होने का, अब वहां कुछ नहीं रखा। खाने वाले खा गये अब क्या पड़ा है? आप कानून बनाते रहिये। मन्दिर की सम्पत्ति से अपने कुछ कृपाकांक्षियों का भरण पोषण करते रहिये। सांप निकल गया। सारा प्रसाद लुट गया। क्या रखा है अब इसमें? क्या करेंगे अब आप कानून बनाकर भी? अब तो कोरा मन्दिर रह गया है, उसमें पत्थर की मूर्ति है, मन्दिर में काम करने वाले, पलने वाले पंडे पुजारी हैं। छः हजार लोग हैं। उनके महन्त आप अब भले ही बन जाइये पर वह सम्पत्ति नहीं है। मंदिर में अब कोई खज़ाना नहीं है, कोई गुप्त खज़ाना नहीं है जिसको आप खोल करके अपनी मनमानी और कर सकें। आपके मन में आशंका है तो आप उसे निकाल दीजिये। एक खज़ाना पहली हुकूमत के वक्त खुला, दूसरा आपकी हुकूमत में खुल गया। आपने कोई कदम तब नहीं उठाया। आपको पैसे की जरूरत थी। तो मैंने तो विधान सभा में यहां कहा था, कोई बाहर नहीं कहा कि वहां ५० करोड़ की सम्पत्ति थी। आपको अपनी एक नहीं दो दो पंचवर्षीय योजनाओं के लिये काफी था वह। आपकी यह योजना तो उसके एक क्वार्टर से ही पूरी हो जाती। आप एक करोड़ ही नहीं पांच पच्चीस करोड़, जो भी सम्पत्ति चाहते उसकी प्राप्ति का साधन कर सकते थे। आप उनको पकड़ते, उनके खिलाफ प्रोसीक्यूशन चलाते। आप उन्हें गिरफ्तार करते। कौनसी ऐसी चीज़ थी जो आपको रोकती थी? क्यों नहीं आपने महन्त को गिरफ्तार किया, क्यों नहीं आपने राणावत को गिरफ्तार किया, जिसकी देखरेख में सारा खजाना लुट गया? मैंने विधान सभा में आपको कहा था कि राणावत सदन से बाहर हैं उनको गिरफ्तार कर लो। विधान सभा के बाहर बैठे हैं। पर आपने नहीं किया। आपके कृपाकांक्षी थे वे। चुनाव में उन्होंने आपको सहायता पहुंचाई है। जो इलाज बताया जाता है, जो रोग का निदान बताया जाता है, वह आप करते नहीं और नारा लगाते हैं प्रगतिशीलता के नाम पर।

नाथद्वारा का मन्दिर धार्मिक स्थान है। हिन्दुस्तान के पूंजीपति, चोर, डाकू, भ्रष्टाचारी, ब्लेक मार्केटियर अपना भ्रष्ट तरीकों से कमाया पैसा लाकर वहां चढ़ाते हैं; भ्रष्टाचार का ब्लेक मार्केट का रुपया लाकर चढ़ाते हैं, चोरी का रुपया चढ़ाते हैं। अब यह सब चढ़ाते हैं या नहीं, यह मेरी जानकारी में नहीं है। पर अगर सत्य भी माना जावे तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो यह हुआ कि कांग्रेस फंड में जैसा बतलाया है कि मूंधड़ा ने एक लाख रुपया दिया, सीमेन्ट फैक्टरी का लाखों रुपया यहां के चुनाव फंडों में, और और कामों में काम आता है तो हिन्दुस्तान के सारे के सारे पूंजीपति वह सारा का सारा भ्रष्टाचारी ब्लेक मार्केटिंग करनेवाला वर्ग आज कांग्रेस की नींव में घुसा हुआ है। आज कांग्रेस संस्था की सारी मीनारें हिन्दुस्तान की गरीब जनता के खून से भरी हुई हैं, आज कांग्रेस की ये दीवारें, उसकी नींव ब्लेक मार्केट के पैसे से भरी हुई हैं, आज ऐसा ही पैसा इस कांग्रेस संगठन में है और

Page No.78

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आज उस कांग्रेस संगठन के लोग सरकारें बनाते हैं तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है ? फिर भी हम नहीं कहते कि हमारे यहां डेमोक्रेसी को खत्म किया जाय और अयूब-शाही लाई जाय। हम यह कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को हटाया जाय और अच्छे लोगों को लाया जाय और वे भी खराब काम करें और इसी तरह उनकी जड़ों में भी ब्लेक मार्केट करने वाले हों, उनका पैसा हो तो उनको भी हटाया जाय और दूसरे लोगों को लाया जाय। इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि वह चीज ला इलाज हो गई। किसी का लड़का बीमार हो जाये तो अगर एक डॉक्टर का इलाज नहीं हुआ तो दूसरा डॉक्टर बुलाया जाता है और अगर उससे भी वह ठीक नहीं हुआ तो किसी वैद्य को बुलाया जाता है फिर हकीम को बुलाया जाता है। यह तो है नहीं कि सिर्फ एक का ही इलाज करवा कर यह कह दिया जाये कि यह तो अब ला इलाज हो गया। जब हकीम से भी इलाज नहीं होता तो जन्तर करते हैं और जन्तर से भी इलाज न हो तो मन्तर करते हैं और मन्तर से नहीं तो फिर झाड़ा दिलाते हैं। आखिर इलाज सब करते हैं। सारे इलाज करने के बाद भी अगर ला इलाज हो जाता है तब यह विचार करते हैं। मगर आपने तो कोई भी इलाज नहीं किया, आपने उसके लिए कोई दवा दारू नहीं दी, जो इलाज आपको बताया गया वह भी आपने नहीं किया। आपने तो किसी के घर में देखा था कि सिर में दर्द हो गया उसका कारण कब्ज होगा और उसके लिए एनीमा दे दिया फिर दवाई दे दी फिर चाहे टी० बी० हो चाहे फिर मलेरिया हो, चाहे दस्त लग रहे हों आप सब के लिए एक ही दवा देंगे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य एनीमा शब्द बहुत बार आ गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं कह रहा था माननीय राजस्व मंत्रीजी से कि यह सब विचार करना चाहिए था। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम उनसे देवस्थान विभाग के घोटालों के बारे में कहते हैं। राजस्थान के अन्दर ६० लाख रुपयों के एम्बेजलमेन्ट के पैसे बाकी हैं, क्या आप उनके लिये कोई कदम उठाते हैं ? पानरवा के लिए हम कहते हैं तो माननीय राजस्व मंत्री महोदय कहते हैं कि जुडिशियल इन्क्वायरी होगी और फिर कहते हैं कि सबसे बड़ा जुडिशियल ऑफिसर तो मैं ही बैठा हूं। हां, आपके फायदे की कोई चीज होती है तो आप वही करते हैं। मैं तो यह समझता हूं और इससे मैं सदन के माननीय सदस्यों को भी आगाह करना चाहता हूं कि आज, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों और इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में जिस दिन नाथद्वारा काण्ड की जुडिशियल इन्क्वायरी होकर जो रिपोर्ट आयेगी उसके बारे में भी वही बातें होंगी जो एल० आई० सी० के बारे में हुई थीं। अगर इन्क्वायरी होती तो ज्यादा तथ्य सामने आते। मैं कहता हूँ कि आप जुडिशियल इन्क्वायरी बैठावें या नहीं बैठावें इसमें हमें दिलचस्पी नहीं है और वह दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि जो इन्क्वायरी आप बैठायेंगे उसका कोई पर्पज़ नहीं हो सकता—ऐसी परिस्थिति में यह जो आप करने जा रहे हैं आप करिये, आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि बहुमत आपके साथ है। तो ऐसी परिस्थिति में, मैंने ये सारी बातें आपके सामने रखी हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

निवेदन करना चाहूंगा, पर मुझे विश्वास है कि आप नहीं मानेंगे और वह इसलिए कि इतिहास में भी एक ऐसा व्यक्ति हुआ था जिसका नाम तैमूर लंग था जिसको कहा था कि तुम राजधानी मत बदलो (हंसी) तैमूरलंग नहीं वह मौहम्मद तुगलक था, उसको लोगों ने कहा था कि राजधानी मत बदलो परन्तु उसने नहीं माना और राजधानी बदलकर ले गया और फिर वहां से आखिर वापिस लाया। तो इतिहास में एक तो गलती वह हुई थी और आज २६ फरवरी को दूसरी गलती होगी और वह माननीय राजस्व मंत्री महोदय आप करेंगे इस बिल को पास करवा कर। एक तो इतिहास में मौहम्मद तुगलक पैदा हुआ था और दूसरे हमारे माननीय राजस्व मंत्री महोदय ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर। आर्डर प्लीज़। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कम से कम भाषा पर अधिक संयम नहीं तो कुछ संयम रखा जाये जहां तक तुलना का दृष्टिकोण है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मौहम्मद तुगलक तो एक शहंशाह था। मैंने तो उनको हिन्दुस्तान का शहंशाह बनाया है, तुलना तो मैंने उनकी ऊंची की है, कोई छोटी नहीं है। मैंने उनको नीचे नहीं गिराया है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझमें आपकी भावनाओं को समझने की क्षमता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय से अंत में इतना निवेदन करूंगा कि वह जो कुछ करते हैं यह तो उनकी मर्जी की बात है, लेकिन यह जो यहां सारा कुछ रखा है, उसके निदान के लिए जो कुछ किया है, यह बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं और नाथद्वारा की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए आपके मन में सच्चाई है तो आप जिन लोगों को दोषी मानते हैं उनको प्रोसीक्यूट करिये और फिर जो तथ्य सामने आयेंगे वह तो आयेंगे ही आज परिस्थिति यह है कि जुडीशियल इन्क्वायरी के लिए सारे एवीडेन्सेज खत्म हो गए और इस बिल के आने के कारण तो रहे सहे भी खत्म हो गए। मैं यह आशा रखते हुए कि कम से कम इस डिमाण्ड के बारे में आप अवश्य विचार करेंगे और अपनी सारी बातों के विषय में केवल इस कारण से संतोष मानकर बैठेंगे कि यह विधेयक पास करके हमने सब कुछ कर दिया तो यह काफी नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister-in-chare of the Bill.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस नाथद्वारा बिल के बारे में आज दो रोज़ से बहस हो रही है कि यह प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये और उसी बहस के दौरान में माननीय सदस्यों ने इस बिल का मूल रूप में विरोध किया है और इस बात को बताने की कोशिश की है कि यह बिल वहां के महन्त या तिलकायत हैं, उनके हकों पर, उनके अधिकारों पर कुठाराघात है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि यह तो धर्म के अन्दर हस्तक्षेप है राजस्थान सरकार का। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें कही गई हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने तो इस बिल को सपोर्ट किया है

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और यह चाहा है कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास किया जाये। कुछ लोगों ने भावनाओं में आकर इस बात की कोशिश की है कि यहां धर्म की भावनाओं को एक्सा-इट किया और वह पुरानी बातें जो बार बार सदन में कहते हैं और कह कर फिर बदल जाते हैं उन बातों को दुबारा यहां पर कहने की कोशिश की है। मैं माननीय सदस्यों को थोड़ा सा पहले इसके बारे में बता दूं कि किन कारणों से हम इस नाथद्वारा बिल को लाये हैं। इसकी पृष्ठभूमि और जिस प्रकार से नाथद्वारा का स्थान है और वहां के जो महंत हैं और मन्दिर है उसके बारे में मैं पहले माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि वह क्या प्रबंध है और मौजूदा सूरत क्या है और कानून बनाने की आवश्यकता क्यों आई है। जब मैं यह बता दूंगा तब उन बातों का जवाब दूंगा जो माननीय सदस्यों ने इस सदन में कहीं हैं।

पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो मन्दिर है इसमें कोई शक नहीं कि भारतवर्ष के अन्दर जो पुष्टिमार्गी वैष्णव सम्प्रदाय के लोग हैं उनका यह बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और यहां हजारों ही नहीं बल्कि लाखों आदमी हर साल आते हैं और जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि इसका खजाना बजट १८–२० लाख के करीब है, वह भी सही है और इस मन्दिर की व्यवस्था इस बल्लभाचार्य सम्प्रदाय के जो महंत हैं वह इसके सोल ट्रस्टी रहे हैं। वह, इसके स्प्रिचुअल और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हैड गोस्वामीजी रहते आये हैं। यह मौजूदा गोस्वामी जो इस समय मन्दिर में हैं १८ वें गोस्वामी हैं। इस मन्दिर की व्यवस्था इन्हीं के हाथों में चली आ रही है। मेवाड़ स्टेट के जमाने में सबसे पहले इस मन्दिर के बारे में दखल सन् १८३४ में हुआ था जब कि इनके पिता महन्त थे। उनके चालचलन के ऊपर और रहन सहन के ऊपर बहुत से एतराज भारतवर्ष के जो पुष्टिमार्गी हैं, उन्होंने किये और बहुत सी बातें ऐसी कहीं जिनको दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन उस समय उदयपुर गवर्नमेन्ट ने दखल दिया और उन पर पाबन्दी लगाई गई। इस पर भी जब वे नहीं माने तो डीप्रोन करके मौजूदा महाराज को गद्दी पर बैठाया गया जो उस समय नाबालिग थे और वहां पर बराबर मेवाड़ गवर्नमेंट का इन्तज़ाम जब तक ये बालिग नहीं हो गये तब तक चलता रहा और मेवाड़ गवर्नमेंट की तरफ से मुनसरिम अपॉइन्ट होते रहे। जब जब मौका आया और नाथद्वारा टेम्पल में गड़बड़ी हुई तब–तब उदयपुर गवर्नमेंट ने वहां पर दखल किया और अपना इन्तजाम किया और एडमिनि-स्ट्रेटर मुकर्रर किया। उस जमाने में कानून बना हुआ नहीं था लेकिन जो सोवरिन राइट्स उदयपुर महाराना साहब के थे उनसे जब जब मौका आया तब तब अधिकार किया। मौजूदा गोस्वामीजी के पिता श्री दामोदरलालजी ने यह प्रश्न उठाया कि उदयपुर स्टेट को इसमें दखल देने का हक नहीं है क्योंकि सारी प्रोपर्टी पर मुझको पूरा अधिकार है इसलिये सरकार दखल नहीं दे सकती। जब कल सदन में एक माननीय सदस्य ने जजमेन्ट लाकर...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इनके पिता कौन थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दामोदर-लाल महन्त।

Page No.81

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आपके लक्षण बेटे में आ गये क्या ?

३. २ म० प०

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो समझने की बात है।

मैं यह कह रहा था कि महंत दामोदर लाल जी ने यह समझा कि मंदिर की प्रोपर्टी में उनका प्रोप्राइटरी राइट है इसलिये उन्होंने इसके लिये क्लेम किया। इस पर महाराणा भूपालसिंह जी ने जो आॅर्डर दिया था उसकी दो लाइन आपके सामने सुना देता हूँ ताकि यह पता चल जाय कि मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दखल दे सकते हैं या नहीं। मंदिर के इन्तजाम में उदयपुर गवर्नमेन्ट ने दखल दिया, फाॅरमर राजस्थान गवर्नमेंट ने दखल दिया, जब मंदिर की व्यवस्था ठीक नहीं रही और गुंसाईजी महाराज का चरित्र ठीक नहीं रहा तब इसका इन्तजाम उस समय की सरकार ने किया है। जो प्रोपर्टी है वह पुराने उदयपुर रियासत के समय भी व्यवस्था में ठीक बैठती नहीं है, महाराणा भूपालसिंह जी का आॅर्डर इस प्रकार है :—

"I declare that according to the law of Udaipur the shrine of Srinathji has always been a religious institution for the followers of Vaishnava Sampradaya and that all the properties, moveable and immoveable, dedicated, offered or presented to or otherwise given to the diety Srinathji has always been and is the property of Shrinathji and that the Tilakayatji Maharaj for the time being is only a custodian, manager and trustee of the said properties for tne shrine of Srinathji and that the Udaipur Durbar have absolute rights to supervise that property dedicated to the shrine is used for the legitimate purposes of the shrine"

यह उनका आॅर्डर था। इसकी तहत उन्होंने जैसा कि कल माननीय सदस्य ने प्रस्ताव पेश करते वक्त ज़ाहिर किया था खिलाफ़ कानून सारी प्रोपर्टी की इन्वेन्टरी १६५० में बनाई गई थी, वह खिलाफ कानून नहीं थी बल्कि जो कानून था उस वक्त का उसके अनुसार थी। जो महाराणा का आॅर्डर है उससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि उस वक्त उदयपुर राज्य द्वारा दखल दिया गया है इन्तज़ाम में। अब सवाल यह है कि सन् ५२ के बाद जब ये बालिग हुए तब इनको अधिकार दिया गया उस वक्त इनके पर्सनल प्रोपर्टी की इन्वेन्टरी अलग बनी थी और उसके बाद जो तरीका आरम्भ किया गया उसके अनुसार जो मंदिर में भेंट किया जाता था वह श्रीनाथजी के मंदिर का होता था और जो महाराज को पर्सनली भेंट किया जाता था वह महाराज की पर्सनल प्रोपर्टी होती थी। आज जब कि कोई कानून बना हुआ नहीं है तो पहले की ही व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन इस मंदिर का इन्तज़ाम दिनोंदिन बिगड़ता रहा और जो भेंट कृष्ण भंडार में जमा होनी चाहिये थी उसका हिसाब नहीं रखा गया और बहुत सी गड़बड़ियां होती रही तो हिन्दुस्तान भर के वैष्णव समाज में बड़ा असंतोष हुआ और बहुत से लोग जिनका महाराज में अटूट विश्वास था उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि जिस कारण से लोग धन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

देते हैं. भेंट चढ़ाते हैं श्रीनाथजी को, उसी काम में वह रकम आनी चाहिये और उसका मिस-ऐप्रोप्रियेशन नहीं होना चाहिये। इस प्रकार की प्रतिक्रिया हिन्दुस्तान के वैष्णवों में हुई और उन्होंने राजस्थान सरकार के सामने बहुत सी शिकायतें कीं। राजस्थान सरकार ने देखा कि कानूनी तौर पर वैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि राजस्थान में धार्मिक स्थानों के लिये युनिफाइड एक्ट नहीं, जितनी पुरानी स्टेट्स थीं उनमें से बहुत कम में ऐसा कानून बना हुआ था बाकी सोवरिन बिल और जबानी जमा खर्च चलता था इसलिये कानून की अदम मौजूदगी में सरकार दखल दे नहीं सकती थी चाहे कितना ही बद इन्तज़ाम वहां पर रहा हो, जब तक कानून इज़ाजत नहीं देता है तब तक कुछ नहीं कर सकते थे इसलिये कानून की जरूरत हर हालत में है। आप जानते हैं कि पिछली विधान सभा में हमने हिन्दू ट्रस्ट बिल पास किया था लेकिन किसी कानूनी नुक्स के कारण या देरी होने से अजमेर के मर्ज होने से-राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो सके लेकिन अब फिर उसे पेश कर रखा है और इसी अधिवेशन में पास करने या विचारार्थ लेने का विचार है, सरकार को यह कहा जाता है कि इसके लिये कानून की व्यवस्था की जा रही है और दूसरे स्थानों के लिये क्यों नहीं की जाती, इसके बारे में अर्ज करदूँ कि पहले भी कानून पास किया है और अब भी कानून विधान सभा में मौजूद है। नथद्वारा के बारे में कह रहा हूं कि किसी प्रकार का कानून नहीं होने की वजह से और जब हमारे देश में विधान लागू हुआ जिसमें फंडामेन्टल राइटस हैं उनके अनुसार क्या कानून हम दखल नहीं दे सकते थे। पुराने ज़माने में राजाओं को सोवरिन राइट्स थे जिसके जरिये वे इन्टरफियर कर सकते थे और इसलिये दखल किया गया। हर एक रियासत में दखल दिया गया, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अन्डर में मैनेजमेन्ट दिया गया और महन्तों को अलग किया गया। अगर उनका चरित्र ठीक नहीं हुआ तो, यह सब किया गया लेकिन उस जमाने में विधान देश में लागू नहीं था इसलिये सोवरिन राइट्स के अन्तर्गत दखल किया करते थे। सन् ५० के बाद में इस बात की आवश्यकता हुई कि हमारे यहां कानून होना चाहिये। जब तक कानून की व्यवस्था न हो तब तक दखल नहीं दे सकते। नाथद्वारा में क्या हुआ ५१, ५२ और ५३ में? जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने कहा, वहां पर ६ हजार आदमी बेकार हो जायेंगे जिनको ब्रजवासी कहते हैं, यह ठीक है, वहां पर जो ब्रजवासी समाज है वह मंदिर में काम करता है, यह बिल्कुल ठीक है कि उनको मंदिर से सब तरह का खाना, पीना, वेतन वगैरा मुख्तलिफ तरीके से मिलता रहता है। शादी वगैरह के समय भी कुछ न कुछ मिलता रहता है, इससे मुझे इन्कारी नहीं है। वहां पर ब्रजवासी काफी तादाद में हैं और उनका सारा सम्बन्ध श्रीनाथजी के मंदिर से है। लेकिन महाराज के अधिकार में जब से मंदिर आया तब से ऐसी स्थिति पैदा करदी गई कि न तो मंदिर का हिसाब था, न भेंट का हिसाब था और न जितना जेवर, रुपये थे उसका हिसाब था। इसके लिये सारे हिन्दुस्तान के वैष्णव लोग शिकायत करते है कि इसमें गड़बड़ी है, हिसाब नहीं है, बल्कि वहां पर लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति भी खराब थी। वहां पर किसी के लिये ठीक तरह से अच्छे नागरिक की तरह रहना मुश्किल है। ऐसी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

स्थिति में वहां पर हजारों लाखों वैष्णव यात्री आये थे वे शिकायत करते रहे और राजस्थान सरकार ने योजना कानून की बनाई और भारत सरकार को लिखा कि इसके लिये कानून होना चाहिये। लेकिन बीच में भारत सरकार के गुड आॅफिसेज के कारण महंतजी और वैष्णवों में यह तय हुआ कि एक स्कीम बनाली जाय जिसके अंतर्गत इन्तज़ाम हो जाय। दफा ६२ के अन्तर्गत दावा दायर करके डिक्री करालें उससे इन्तज़ाम चलाते रहें। सरकार ने भी इसे मंजूर किया। सन् ५२ में बड़ी मुश्किल से पॉवर आॅफ एटॉरनी देकर एक कमेटी बनाई। मेम्बर्स को पॉवर आॅफ एटोरनी दी लेकिन गोस्वामीजी ने डिक्री कराने की कार्यवाही नहीं की। यह स्थिति चलती रही १६५३–५४ में। उसके बाद में फिर आये महाराज, फिर नई स्कीम बनाई गई और जनरल पॉवर आॅफ एटोरनी लाई गई और दफा ६२ के अन्दर दावा दायर किया गया डिस्ट्रिक्ट जज के सामने वह मुकद्दमा अभी तक चल रहा है। आज जो पोजीशन है, वह सब के सामने है मैं कहना चाहता हूँ माननीय सदस्य से, जो जयपुर से आये हैं। वे एक काबिल वकील है, उन्होंने सुझाव दिया है, वह सुझाव बहुत जोर से दिया गया है कि महाराज को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मैं उनको कानूनी स्थिति बताना चाहता हूं वह यह है कि जो कमेटी काम कर रही थी आॅर्डिनेन्स के पहले, वह केवल एटोरनी थी, मुख्तयार आम थी, उनको महाराज ने मुकर्रर किया था। माननीय सदस्य कानून जानते हैं, महाराज अपने एटोरनीज़ को किसी भी समय अपने नोटिस से अलग कर सकते थे और सारे अधिकार ले सकते थे। आप बता दीजिये कि आप जिस व्यवस्था के लिए कहते हैं, जिनके लिए कहते हैं उनके पास केवल मंदिर की व्यवस्था के लिए पॉवर आॅफ एटोरनी थी। वे इन्तज़ाम कर रहे थे, उस मंदिर के इन्तज़ाम के लिए वे थे। सेक्शन ६२ के अन्दर जो दावा दायर किया गया, उसको चार पांच वर्ष हो गये किन्तु उसके अन्दर अभी तक प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी शुरू नहीं हुई है। यह उसकी हालत है। वह हाई कोर्ट में चला गया तो कुछ कन्टेस्ट करने के लिए खड़े हो गये। यह पुष्टि मार्ग सम्प्रदाय का अधिकार है कि वे अपने मामले को प्लीड करायें। गवर्नमेंट ने यह सोचा कि शायद ५–७ वर्ष या १०–१५ वर्ष तक इसका फैसला न हो, इस सिविल सूट का जल्दी फैसला होने की आशा नहीं रही। दूसरी बात मैं निवेदन करूं कि विधान सभा के सामने सवाल आया, सारे हिन्दुस्तान में यह सवाल गया कि महाराज ने, जो वहां अधिकारी थे, चीफ एक्जीक्यूटिव आॅफिसर थे, उनके साथ मिल कर एक कोठे का ताला तुड़वाया। उसके लिए माननीय सदस्य यहां इल्ज़ाम लगाते हैं, लोगों को बेइमान बताते हैं, वे सदन के सदस्य हैं, उनको अधिकार है, जो बातें वे कहते हैं, उनको कहने का उनका प्रिविलेज है। लेकिन जो इन्क्वायरी होगी, उस पर विचार करने का मौका दिया जायगा, वे उस समय शहादत पूरी पेश करें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिस समय खजाना निकला, उसके बाद जो अटोरनी होल्डर थे, मुख़्तयार आम थे, कमेटी के मेम्बर थे, उनके साथ राज़ीनामा करके कुछ माल श्रीनाथ जी के मंदिर को दे दिया और कुछ व्यक्तिगत रूप में अपने पास रख लिया और उसे कमेटी के मेम्बर्स ने सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया। अब पोजीशन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह पैदा हो गई कि महाराज एटोरनीज़ को नोटिस देकर समाप्त कर सकते थे। तो अब पोजीशन कानूनन क्या रह जाती है, पोजीशन यह रह जाती है कि महाराज उसके होल एन्ड सोल रह जाते हैं, वे हिसाब रखें या न रखें, यह उनका अधिकार है, भेंट आवे या न आवे, सब पर उनका कब्जा है। तो कानूनन पोजीशन यह थी कि ऑर्डिनेन्स जारी करें, इसके अलावा कोई पोजीशन नहीं थी।

यह भी कहा गया कि नाथद्वारा मंदिर में कोई खजाना नहीं है मैं आपको निवेदन करूं कि करोड़ों और लाखों रूपये की सम्पत्ति मंदिर में है, वहां सब पोशाकें और गहने हैं, वे सब के सब ऐसी हैं जो कि जवाहरात की बनीं है। ऐसा नहीं है कि वहां कुछ न हो, वहां बहुत कुछ है। अब पोजीशन ऐसी है कि गवर्नमेंट ९२ दफा के अनुसार दावा कर सकती थी, वह कर रही है। लेकिन उसका कोई पता नहीं है कि उसमें पांच वर्ष लगें...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की एप्लीकेशन दी है आपने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की एप्लीकेशन दी है आपने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं भी समझता हूं कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसे कहते है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट .. ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बम्बई हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ है कि नाथद्वारा की भेंट, डोनेशन के लिये :—That is judgement of the Rajasthan High Court, not of Bombay High Court.

श्री दामोदरलाल व्यास : नाथद्वारा का जजमेंट सुनाया, वह मेरे पास भी है। I am also referring to Bomby High Court.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह नहीं है, यह बम्बई हाई कोर्ट का जजमेंट है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास भी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बताइये तो?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास है, मैं क्यों बताऊं।

(हंसी)

मैं आपको पोज़ीशन बता रहा हूं कि उस मंदिर में महाराज की यह पोजीशन है। मैं इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बताना चाहूँगा, जन संघ के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूँगा कि पिछले वक्त जब ख़ज़ाना निकला, उस वक्त मेरे लायक दोस्तों ने बहुत जोर से कहा और चोरी का इल्ज़ाम लगाया। उस वक्त वे महाराज के खिलाफ़ काफी बोले....

श्री भैरोंसिंह : आज भी बोले हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : नाथद्वारा मंदिर के इन्तज़ाम के लिए श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य काफी बोले और महाराज के खिलाफ जितना ज़हर उगलना था, उस समय उगला था। आज स्थिति यह है कि सरकार ने ऑर्डिनेन्स बनाया, जिसके जरिये कमेटी मुकर्रर की, व्यवस्था कायम की

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और जब गवर्नमेंट वहां चार्ज के लिए गई तो वहां जनसंघ के लोगों ने एक एक्शन कमेटी बनाई महाराज की मदद करने के लिए। वे केवल एक्शन कमेटी ही नहीं बनाते हैं बल्कि इस बात का निश्चय करते हैं कि महाराज को दिल्ली से लेकर वहां जाय और किसी तरह गवर्नमेंट की स्कीम-फेल हो जाय। एक तरफ माननीय सदस्य यहां बैठ कर उनका विरोध करते हैं और इनकी पार्टी के लोग यह कार्यवाही करते हैं। मुझे माफ कीजिये, मैं साफ़ साफ़ कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, इससे स्पष्ट है कि मंदिर का इन्तज़ाम नहीं किया जाय, व्यवस्था न की जाय और सारी की सारी व्यवस्था उनके ऊपर ही छोड़ दी जाय।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल मन्शा नहीं है। हम कहते हैं कि महाराज को गिरफ्तार किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जो कहा है उसका एनेलिसिस करके बताता हूँ कि आपका सुझाव प्रेक्टीकेबल है या नहीं। आपका सुझाव है कि जितने वैष्णव सम्प्रदाय के लोग हैं, उन वैष्णव सम्प्रदाय के लोगों को मौका दिया जाय, एक कमेटी बने। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि वैष्णव कितने करोड़ लोग हैं, उनका इलेक्टोरलरोल बनाने का क्या तरीका हो....

श्री भैरोंसिंह : यह किसने कहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फिर क्या कहा है ?

श्री भैरोंसिंह : मुझ से पूछिये, मैं बताऊं।

श्री दामोदरलाल व्यास : वैष्णव सम्प्रदाय के लोग हैं, उनकी एक कमेटी बनायें यह आपका सजेशन है, यह प्रेक्टीकेबल नहीं है। आप हमको गुमराह करना चाहते हैं कि आप महाराज के विरोध में है। हम कानून के ज़रिये व्यवस्था इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट का दखल हो जायगा। मैं कहता हूँ कि आप इसे पढ़िये, गवर्नमेंट का कहां दखल है, एक कमेटी होगी, उसमें राजस्थान के सब पब्लिक के लोग होंगे, वे पुष्टिमार्गी सम्प्रदाय के होंगे, पूरे भारतवर्ष के इस सम्प्रदाय को रिप्रजेन्ट करने वाले होंगे, उसमें गवर्नमेंट का दखल कहाँ होगा, सारा का सारा इन्तज़ाम वे करेंगे। जहां तक धार्मिक मामलों का प्रश्न है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मंदिर में सेवा पूजा का प्रावधान इसमें रखा है। सेवा पूजा का इन्तज़ाम सरकार की तरफ से होगा, लेकिन जो परम्परायें हैं, जो रिवाज हैं, जिनके मुताबिक काम हो आया है, उसमें किसी प्रकार का दखल नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा कि वहां ६ हजार नौकर हैं। ठीक है, वे वहां काम करते हैं, उनको जो आज इमोल्युमेंट्स मिलते हैं, उनके लिए मुमानियत नहीं की है। इसमें यह कहा गया है कि वे बदस्तूर मिलते रहेंगे। हमने कानून में यह व्यवस्था की है कि जो भारतवर्ष में प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसका १५ लाख, २० लाख का बजट है, उसका हिसाब बाकायदा रहे जो भेंट आदि आवे उसके इन्द्राज हो, खर्चा बजट के मुताबिक हो, उसका ऑडिट हो, गहने और जेवरात सुरक्षित रहे और मनी का मिसप्रोप्रियेशन न कर पावें, यह सब करते हैं तो

Page No.86

(श्री दामोदरलाल व्यास)

माननीय सदस्य कहते है कि यह तरकीब है, इन्क्वायरी कमेटी को टारपीडो करने के लिए। यह तरकीब ऐसी है कि जिससे धार्मिक स्थान...

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : अकॉउन्ट्स ऑडिट होते हैं या नहीं, यह मंत्री महोदय बता दें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऑडिट की भी बात बता देता हूं।

श्री मनोहर कोठारी : ऑडिट होता है अकॉउन्ट्स का।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इस बारे में भी बता दूंगा। अभी जो महाराज की पोजीशन है, उसके बारे में जनसंघ के एक माननीय सदस्य बोले, उनके शब्दों में ही मैं अर्ज करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि महन्त श्री शिक्षा दीक्षा देने वाले हैं, उनका ऊंचा स्थान है और उस स्थान के अन्दर सरकार का दखल देना गैर वाजिब है। जिनके लिए माननीय सदस्य कहते हैं कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उनकी पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने इस तरह की बात कहीं है क्योंकि वे जानते हैं, वे यह तो नहीं कह सकते कि मंदिर का इन्तज़ाम न करो क्योंकि विधान सभा के....

श्री भैरोंसिंह : जिस प्रसंग में बात कही है, मैं समझता हूं उसे समझने की आवश्यकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे समझने की आवश्यकता नहीं है, आपके समझने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !!

श्री दामोदरलाल व्यास : आप उस भावना को समझते कि जिस भावना से हमने बिल को पेश किया है। बहरहाल, जो महाराज के अधिकार हैं, उनको मैं पेश करना चाहता हूँ। महाराज के जो धार्मिक अधिकार हैं, जिनको वे आज तक करते आये है, वे नट शेल में ये हैं :—

"(1) To propagate the worship of the diety according to the prescribed methods of the Pushtimarg Sampradaya.

(2) To study the relevant religious literature and to give instruction to devotees and thus to spread Vaishnava tenets and teachings.

(3) To bestow Kanthi to the devotees, that is to give Braham Sambandh...

जैसा माननीय सदस्य ने कहा था कि ब्रह्म सम्बन्ध जो है....

to the believers and to teach them Kalyan Marg.

(4) To act as spiritual teacher and perform all such functions as Sacred Thread Ceremony of the devotees of Nathdwara."

मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि ये चार फंक्शनस् हैं महाराज के, इनके सम्बन्ध में कहीं बिल में प्रोविज़न नहीं है, जिसमें दखल देने की बात हो ? क्या कानून मना करता है कि ब्रह्म सम्बन्ध न दीजिये ? क्या कानून मना करता है कि जो लिट्रेचर है सम्प्रदाय का,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उसकी स्टडी न कीजिये ? क्या कानून मना करता है कि सम्प्रदाय को प्रोपेगेट न कीजिये ? इसके लिए कोई मनाई नहीं है इस कानून में इस कानून में केवल इतनी बात है कि मंदिर की जो प्रोपरटी है, जो मंदिर में भेंट आती है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके इन्द्राज होने चाहिए, उसका एक बजट बनना चाहिए, उस बजट के हिसाब से खर्च होना चाहिए....

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें कहीं इन्द्रराज़ नहीं है कि महाराज को सब्स्टीनेन्स अलॉउन्स दिया जाय उन्होंने शायद इसे पढ़ा नहीं। हमने रूल्स में प्रेसक्राइब करने के लिये इसमें लिखा है कि रूल्स फ्रेम किये जायेंगे। बहरहाल एक इन्स्टिट्यूशन के हैड के लिये मर्यादा तो रखनी ही पड़ेगी और देखना पड़ेगा फंक्शन्स का पालन करते हैं कि नहीं। माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा मैं एन्क्वायरी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, माननीय सदस्यों की मंशा है कि कानून के तहत में वह ठीक नहीं होगा, वह सब-जुडिस है, चीफ़ जस्टिस के सुपुर्द कर रखा है।

कहा गया कि देरी की गई, हाई कोर्ट में कौन गया, क्या फैसला हुआ, दो जजेज़ की राय में इत्तफ़ाक नहीं हुआ, मामला थर्ड जज को गया...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहा गया था कि हाई कोर्ट नोटिफिकेशन डिफेक्टिव है, उसको ठीक कर लिया जाय, पर वैसा नहीं किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने अपनी पार्टी की हैसियत से पढ़ा, इस हैसियत से आप पढ़ते।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : ठहरिये। On a point of information Sir, माननीय मंत्रीजी पढ़ कर नहीं आये हैं और अगर पढ़ कर आये हैं तो जानबूझ कर गलत बताते हैं। रूल मेकिंग पॉवर लिखा है, उसमें कुछ नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने पूछा था कि गोस्वामीजी को क्या इमोल्युमेन्ट्स मिलेंगे ? I said the Government will prescribe in the rules. I never said that it is in the Bill. Please try to listen to me.

श्री अर्जुनदास : बोलने के बाद कहा कि गलत बताते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : That is what he said that the Government will prescribe the rules for it and not that it is contained in the ordinance or the Bill.

श्री अर्जुनदास : एक माननीय सदस्य ने कहा कि इमोल्युमेंट्स क्या मिलें। इस पर मन्त्री महोदय ने कहा कि रूल मेकिंग पॉवर में लिख दिया गया है। रूल मेकिंग पॉवर ३२ देख लें उसमें यह नहीं दिया हुआ है।

श्री सोहनलाल भटनागर : ३२ 'ए' देखिये।

(श्री अर्जुनदास के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री अर्जुनदास : ऐसी गलत बात वह कह गये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। Hon. Member will please resume his seat.

श्री दामोदरलाल व्यास : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि हाई कोर्ट की जो एन्क्वायरी है, उसके लिये अर्ज किया कि क्यों देर हुई। चीफ जस्टिस को अपॉइन्ट करने की देर थी, वे बाहर से आ रहे थे इस लिये देर हुई और मैं यहां तक कह सकता हूं कि राजस्थान के चीफ़ मिनिस्टर से ले कर दूसरे किसी भी मिनिस्टर से वे परिचित नहीं हैं, तो यह कहना कि जान बूझ कर देरी की गई, यह उचित नहीं है।

यह कहा गया कि जब ६ दिन बाद असेम्बली का अधिवेशन होने वाला था तो ऑर्डिनेन्स क्यों जारी किया गया, तो इसके लिये मैं अर्ज कर रहा था कि जिस वक्त ऑर्डिनेन्स पास किया गया उस समय महन्तजी ने इस प्रकार की अवस्था पैदा कर दी थी, उनको पॉवर ऑफ अटोर्नी को खत्म करने के अधिकार हासिल थे, वे जब भी चाहते पॉवर ऑफ एटोर्नी को खत्म कर सकते थे, उन्होंने एक सदस्य के पॉवर्स खत्म भी कर दिये और तीन और सदस्यों के पॉवर्स खत्म कर देना चाहते थे, करने ही वाले थे और इस तरह सब सम्पत्ति पर कब्जा कर सकते थे। जिस तरह कि अखंड कोठे का माल था, उसको निकाला गया, जिसको माननीय सदस्य जानते हैं, इसके साथ ही आमेर में माल पकड़ा गया। एक माननीय सदस्य फरमाते हैं कि धन्य है सेंट्रल इन्टेलिजेंस ब्यूरो को कि समय पर सूचना दे कर आमेर में माल पकड़वा दिया। वह गलत है कि सेंट्रल इन्टेलिजेंस की सूचना पर माल पकड़ा गया। यह राजस्थान गवर्नमेंट का अपना खुद का एक्शन था, राजस्थान गवर्नमेंट ने अपनी सूचना पर एक्शन लिया। पर आप हर बात का क्रेडिट दूसरों को देना चाहते हैं, आपकी हर बात एक बात पर डाइरेक्टेड है कि हम इस कानून को न बनायें और महाराज के पॉवर सुरक्षित रहें। असल मतलब यह है आपका कि इस बिल को विथड्रा कर लीजिये, पायलेट मत करिये...

श्री भैरोंसिंह : यह कहना सही नहीं है, यह मैंने नहीं कहा।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी पार्टी के जो सदस्य हैं वे इसी तरह कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : विरोध करने के लिये तो समस्त राजस्थान में संघर्ष समितियां बना कर लड़ेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो हम जानते हैं, आपके यह कहने पर हम अपने इरादों से हटने वाले नहीं हैं। इस बात को याद रखिये कि मन्दिर की व्यवस्था हमें करनी है और हम इस तरह की व्यवस्था करने से हटेंगे नहीं। इसमें देर हो सकती है पर इसी विधान सभा से यह कानून बनवायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : ब्राह्मण लोग ही अगुआ हो रहे हैं।

श्री मदनसिंह : पहले आप नाराज हुए, अब ब्राह्मणों को नाराज होने दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : सीनियर एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर के पॉवर्स इसमें डिफाइन्ड हैं। बोर्ड ऑफ मैनेज़मेंट होगा, सारे हिन्दुस्तान के वैष्णव सम्प्रदाय के रिप्रेजे-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

न्टेटिव्ज़ होंगे। सीनियर ऑफीसर राजस्थान का रखना इस लिये आवश्यक समझा है कि एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर होगा वह ऑडिट की, बजट के प्रोविज़न की और दूसरी व्यवस्था करेगा। इस व्यवस्था में महाराज के जहां तक अधिकार हैं, इसके लिये कुछ नहीं रखा है। अगर उनके अधिकार हैं, स्पिरिच्युअल हैड ऑफ दी इन्स्टिट्यूशन में होने चाहिये वह हैं तो इसमें दखल नहीं दिया जा सकेगा। कमेटी में वे रहना चाहें तो रह सकते हैं। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वे तो स्पिरिच्युअल हैड हैं, वे क्यों ऐसे मामूली सांसारिक आदमियों की कमेटी में रहना पसन्द करेंगे। तो यह उनके लिये जरूरी नहीं है, वे रहना चाहें तो रह सकते हैं। जिस समय ऑर्डिनेन्स जारी किया वह स्थिति मैंने बता दी कि एक ही नोटिस में वे सारे मैनेजमेंट को पॉवर ऑफ एटोरनी को समाप्त कर सकते थे और सारे मन्दिर का इन्तज़ाम अपने हाथ में ले सकते थे, इसलिये जरूरी था कि इसके इन्तज़ाम के लिये ऑर्डिनेन्स जारी किया जाय। सिविल कोर्ट में जो दावा चल रहा है वह न मालूम कब तय हो, कोर्ट ऑफ लॉ के जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, इसकी इन्तज़ार नहीं कर सकते थे। इस लिये यह जो प्रस्ताव पेश किया है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, इसके लिये मैं कहता हूं कि प्रवर समिति के सुपुर्द नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि यह बहुत सिम्पल मामला है। एक राजस्थान में ही नहीं, दूसरी स्टेट्स में भी इस तरह के कानून बने हुए हैं। आप यह देखिये कि जगदीशपुरी, बद्रीनारायणपुरी टेम्पल के लिये व ख्वाज़ा साहब की दर्गाह आदि के लिये कानून बने हुए हैं और अलग अलग प्रोविज़न हैं। उनमें से कुछ प्रोविज़न्स अल्ट्रावायर्स डिक्लेअर हुए हैं। इसलिये कल मैंने कानूनी विशेषज्ञों से इस सम्बन्ध में जानकारी की थी। इसके अलावा जिस वक्त इस बिल को क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लेंगे उस समय आप हमें बतावेंगे कि यह खामी है, उसके लिये देखेंगे। इसी प्रकार आपके मद्रास में भी है। मद्रास में युनिवर्सिटी है। हमारे यहां पर यह जो बिल है वह इन ५, ६ मन्दिरों के बिल हैं उन पर बेस्ड है। हमने कम्पेरेटिवली सारी बातों को देखते हुए इस बिल को बनाया है। इसमें धर्म के स्थान हैं, धर्म का कार्य है, पूजा पाठ आदि के कार्य हैं उनमें सरकारी इन्तज़ाम करने वाली कमेटी का कोई दखल नहीं है। हमने यह प्रोविज़न रखा है कि उनकी इज्जत की जावेगी और उन मामलों में कोई दखल नहीं किया जावेगा। जितना अलॉटमेन्ट भोग पूजा के लिये मिलता है, मिलता रहेगा। मगर सरकार यही चाहती है कि जो लाखों रुपयों की ज्वेलरी और दूसरी सम्पत्ति है उसका प्रबन्ध अच्छी तरह से हो और वह सरकार करना चाहती है। इसलिये इसमें कोई सरकार का दखल नहीं है। इन्तज़ाम तो वैश्णव सम्प्रदाय के लोग करेंगे जो इसके सदस्य होंगे। इसलिये जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज किया है, इस मन्दिर के लिये कोई अलग कानून नहीं बनाया जा रहा है। हिन्दुस्तान में अखिल भारतवर्ष में जितने टेम्पल्स हैं और उनके लिये जो कानून हैं उन कानूनों से यह कानून भी गवर्न होता है और वे ही प्रिन्सिपल्स इसमें हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव पेश किये हैं उनको वे वापिस ले लेंगे और यह बिल क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लिया जावे।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, अभी माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने जो भाषण दिया है उसको मैं ध्यान से सुनता रहा। मैं समझता हूं कि नाथद्वारा विधेयक पर जिस प्रकार से....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): On a Point of clarification. यदि माननीय सदस्य को, इस प्रस्ताव को वापिस लेना है तो इसके उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर वापिस नहीं लेना हैं और भाषण होता है तो कोई आपत्ति नहीं है। पहले माननीय सदस्य यह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप वापिस लेते हैं तो रिप्लाई का कोई मौका नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी : मैं समझता हूं कि जो बातें माननीय राजस्व मन्त्री ने यहां रखी हैं उनको क्लेरीफाई करने की बहुत जरूरत है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I think the proposition put forward by the Hon. Member from Sri Madhopur is a very reasonable one and should be accepted.

श्री अध्यक्ष : Not only reasonable, but we have our own observations of this House about it.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Your Honour's own observations.

श्री उपाध्यक्ष : Shri Manohar Kothari, Are you withdrawing ?

श्री भैरोंसिंह: राजस्व मंत्री दबा रहे हैं।

श्री मनोहर कोठारी : जो कुछ महत्वपूर्ण मिसालें रखी हैं.......

श्री उपाध्यक्ष: You will understand the position of the Chair. If at all you are to withdraw the amendment, then the right of reply does not exist.

श्री महेन्द्रसिंह (अजमेर पूर्व) : Nobody knows the future. At present he cannot say whether he may withdraw or not.

श्री उपाध्यक्ष : No, I believe I am just ascertaing from him; if he says 'No', then the right exists.

श्री मनोहर कोठारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने एक स्थिति रखी है उसके बावजूद भी ....

श्री पी० के० चौधरी : The Hon. Member should first let us know whether he has decided to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : That is what he is submitting.

श्री मनोहर कोठारी : मैं यह जानता हूँ कि मुझे इस सम्बन्ध में क्या एक्शन लेना है, मैं लोगों की बातें जो यहां रखी गई है उनको क्लेअरीफाई करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Kothari, the only position before you is to satisfy the Chair whether you are at all withdrawing. If not withdrawing then you have got an opportunity, otherwise not.

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) :

(श्री अर्जनदास)

Probably, the Hon. Member is feeling pain.

श्री मनोहर कोठारी : मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसको तो मैं विथड्रॉ करूंगा, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि जो मसला है....

श्री भैरोंसिंह : तो कोई आवश्यकता उत्तर की नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : So you are withdrawing ?

श्री मनोहर कोठारी : Yes, I am withdrawing.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री मनोहर कोठारी ने नाथद्वारा मन्दिर विधेयक, १६५६ को प्रवर समिति में भेजने के लिये रखा, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा
प्रदान की गई ।

श्री मनोहर कोठारी : मैं अपना अमेन्डमेंट प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : इसको डिस्कशन पर लिया जावे यह अभी बाकी है ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जावे ?

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता ।

विपक्ष के माननीय सदस्य : 'ना पक्ष जीता ।

(गण-पूरक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मंदिर विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाए ?

(पुनः मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता ।

विपक्ष के माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष : Means division ?

(विराम)

३.४० म० प०

(लोबीज़ में प्रस्थान)

तटस्थ सदस्य

(१) श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी)

(२) कुमारी शन्नो देवी शर्मा (सुजानगढ़)

(३) श्री गिरधारीलाल (नौखा)

(४) श्री रूपाराम (नौखा सु.)

श्री उपाध्यक्ष : House to order please.

(विराम)

Then Ayes to the ‚Ayes' Lodby & 'Noes' to the Noes' Lobby.

Ayes 33 & noes 12 The movtion is carried.

Page No.92

(श्री अध्यक्ष)

'ना' पक्ष

श्री अनूपसिंह
श्री अर्जनदास तुलसीदास
श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)
श्री जगदीशप्रसाद माथुर
श्री किशनाराम
श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व)
राव बहादुर रावल श्री नरेन्द्रसिंह
ठाकुर श्री रघुवीरसिंह
श्री रामकरणसिंह
श्री रामनारायण वर्मा
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री शिवचरणदास

'हां' पक्ष

श्री अब्दुल गफ्फारखां
श्री अमरा मीना रावत
डॉ० बहादुरसिंह
श्री भैरवलाल 'काला बादल'
श्री भोगीलाल पंडया
श्री दलीपसिंह
श्री दामोदरलाल व्यास
श्री देवीलाल
श्री धन्नालाल हरित
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री गोकुलचन्द जाटव
श्री हरिप्रसाद यादव
श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
श्री जयचन्द्र मोहिल
श्री जेठमल बरवाड़
श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
श्रीमती कमला श्रोत्रिय
श्री किशनलाल शर्मा
श्री लक्ष्मण हीरात
श्री माणकचन्द कोठारी
श्री मनोहर कोठारी
श्री मोतीलाल
श्री नरोत्तमलाल जोशी
श्री परसराम मदेरना
श्री फूलाभाई
श्री पी० के० चौधरी
श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
श्री रामचन्द्र
श्री रामदेवसिंह
श्री शिवनाथसिंह
श्री सोहनलाल भटनागर
श्री श्रीभानसिंह
श्री वली मौहम्मद

(विराम)

क्लॉज़ २

श्री मनोहर कोठारी अपने संशोधन प्रस्तुत करें ।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा टेम्पल बिल के क्लॉज २ के सब क्लॉज (२) के 'ए' पार्ट को हटा देने का एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। एनडाउमेन्ट की परिभाषा करते हुए इस बिल में कहा

(श्री मनोहर कोठारी)

गया है कि 'धर्मस्व' से तात्पर्य मंदिर के साधारण या सहायता के लिये अथवा उससे सम्बंधित किसी सेवा या पुण्य कार्य के निष्पादन के लिए अथवा मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लाभ, सुख, या सुविधा के लिए किसी नाम से संबद्ध दी गई या समर्पित की गई समस्त चल अथवा अचल सम्पत्तियों से है और उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

"(क) मंदिर में अधिष्टापित मूर्तियां"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि यह 'क' पार्ट जो मंदिर में अधिष्ठापित मूर्तियों के धर्मस्व के रूप में परिभाषा के अन्तर्गत लाया गया है इसको हटा दिया जाय। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह ऐसी बात है जिसका मैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ट भूमि से इस सम्बन्ध में थोड़ा विवेचन करना चाहूँगा, कि श्रीनाथजी की मूर्ति नाथद्वारा में कब आयी और उसके पूर्व वह मूर्ति कहां, किस स्थिति में प्राप्त हुई ? इस सम्बन्ध में हमें थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ट भूमि की ओर जाना आवश्यक होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राचीन ग्रन्थों में और खास कर श्री मद् वल्लभाचार्यजी के ग्रन्थों के आधार पर, उनके लेख पत्रों के आधार पर और उसके बाद गुसांईजी कहते हैं उनके जो अष्ट छाप के जो ग्रन्थ थे उनके आधार पर, जो हिन्दी साहित्य को जानते हैं और सम्बन्ध रखते हैं उनको मालूम होगा कि अष्टछाप के कवियों की हिन्दी साहित्य में एक मुख्य पृष्टभूमि है और यदि हिन्दी साहित्य के इतिहास से अष्टछाप के कवियों के काल को ही निकाल दिया जाय तो हमारे साहित्य का वङ्मय में बहुत कम शेष बचता है, इन ग्रन्थों को देखने से पता लगता है कि जब श्रीमद् वल्लभाचार्यजी सम्पूर्ण हिन्दुस्तान का पर्यटन कर रहे थे और पर्यटन करते २ जब संवत् १६३५ में, वैशाख कृष्णा ११ के दिन जब गिरीराज पर पधारे तो उनको श्री नाथजी के दर्शन हुए ऐसी, मान्यता है। उसी दिन श्री वल्लभाचार्यजी का जन्म हुआ भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब वे पर्यटन करते करते गिरिराज पहुंचे तो वहां श्रीनाथजी ने श्रीवल्लभाचार्य जी को दर्शन दिये जिसका कि उन्हें पहले स्वप्न में संकेत हो चुका था और फिर उस गिरिराज पर श्रीनाथजी का मन्दिर बनवाया। उस मन्दिर की प्रतिस्थापना करने के बाद संवत् १५५० ब्रह्म सम्बन्ध लेकर इस धर्म की दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद इस मूर्ति की सेवा सुश्रुषा करना प्रारम्भ कर दिया गया। इसके बाद वहां से मूर्ति हमारे देश में आयी तब दूसरे धर्मावलम्बियों ने इस देश का राज्यतन्त्र संभाला और मूर्तियों का खंडन करना शुरू किया। जब देश में अन्य मूर्तियों को तोड़ा गया तो महाराणा राजसिंह के कहने के अनुसार उस मूर्ति को वहां से हटाकर जो राजपूत लोग धर्म के रक्षक माने जाते थे उस देश में उस मूर्ति को लाना स्वीकार किया। तदनन्तर राजसिंह की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया और वहां से वह मूर्ति नाथद्वारा में लायी गयी जिसको उस समय सिगर नाम से कहते थे। नाथद्वारा और उस सिगर में आधा मील से ज्यादा फासला नहीं था आज भी वह नाथद्वारा का अंग है म्युनिसिपलिटी की सीमा में है, पहली बार मूर्ति को वहां स्थापित किया गया। उस समय नाथद्वारा के बारे में कहा जाता है कि वहां बड़ा बियाबान और भयानक जंगल था। उस जंगल में मनुष्य का

(श्री मनोहर कोठारी)

जाना बड़ा दूभर था इसलिये ठीक उसके तीन फर्लांग दूरी पर जो बनास नदी बहती है उस नदी के बहने का कई महिनों तक लोगों को मालूम ही नहीं हुआ। उस स्थान पर इस मूर्ति को अवस्थित किया गया। धर्मस्व के अन्दर अगर हम उस मूर्ति को समाविष्ट कर लेते हैं तो पुष्टिमार्गीय वैष्णव सम्प्रदाय के लोगों के दिलों में इसके प्रति भावना जरूर व्यक्त होगी और वह यह कि यह मूर्ति किसने भेंट की। मूर्ति के लिये कहा जाता है कि वह स्वतः ही प्राप्त हुई जिनकी उस मूर्ति में आस्था है। जब इस बिल पर पहले चर्चा हो रही थी उस समय लोग गोस्वामी से मतलब समझते थे किसी बाबा से या ऐसे महन्त से जिसे हम समझते हैं संसार से विरक्त होगा, जिसे हम धर्म गुरू की संज्ञा देते हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं हो सकती है, हमारे यहां के माननीय सदस्यों को भी जानकारी नहीं होगी, इस धर्म की परम्परा है जिसके लिये इस बिल में आगे व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसकी परम्परा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जहां तक मूर्ति पूजा का सवाल है जहां मूर्ति पूजा होती है उसकी आलोचना होती है। हम मूर्ति को पत्थर के रूप में नहीं मानते और न निरंकार ईश्वर के रूप में ही मानते हैं। अगर वहां की परम्पराओं को जीवित रखना चाहते हैं तो नाथद्वारा में आज तक जो परम्परा रही है अगर उन मान्यताओं को तोड़ना नहीं चाहते तो यह मानना पड़ेगा कि हमारे यहां मूर्ति को निर्जीव नहीं माना गया है, सजीव माना गया है। बाकायदा राजभोग, राजसंग होता है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वहां सातों तरह के दर्शन होते हैं और सात अलग अलग रूप में होते हैं। कई जगह यह मान्यता है कि मूर्तियां शयन नहीं करतीं लेकिन यहां शयन के दर्शन होते हैं, राजभोग के दर्शन होते हैं। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के प्रसाद वहां चढ़ाये जाते हैं। सर्दी के दिनों में वहां ४० रुपये सेर तक का प्रसाद जिसको स्वाद भूंठी कहते हैं, जिसका नाम सुन करके कई लोगों के मुंह में पानी आता है, ऐसे ऐसे प्रसाद वहां चढ़ाये जाते हैं। सोचना यह है कि यहां के लोगों की जो भावनायें हैं वह यह हैं कि इस बिल के द्वारा बाकायदा जो मूर्ति के श्रृंगार आदि होते हैं उस भगवान् की परम्परा में फर्क न पड़ जाय। अगर आप इन सब चीज़ों को मज़ाक समझते हैं तो समझते रहिये लेकिन जहां तक परम्पराओं का प्रश्न है, जनता की भावना का प्रश्न है वहां एक तरफ तो आप उन परम्पराओं को जीवित रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ कई सारे क्लॉजेज़ इसके अन्तर्गत ऐसे हैं जिससे धार्मिक भावनाओं पर अंकुश लगा देना चाहते हैं। यह बुरी बात होगी। इसलिये मैं इस संशोधन के ज़रिये यह चाहता हूँ जैसे कि आगे के क्लॉजेज़ में यह तय किया गया है कि मूवेबल और इम्मूवेबल प्रोपर्टी है वह इस बोर्ड में निहित की गई है मेरा यह कहना है कि वह श्रीनाथ जी में निहित मानी जाय। इस सम्बन्ध में बहस का जवाब देते हुए अभी जैसा कि राजस्व मन्त्री जी ने बताया था और १९३७ का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया था कि महाराज का एक ट्रस्ट है उस मन्दिर की सारी की सारी जो सम्पत्ति है सारी भेट पूजा है वह मन्दिर के अन्दर निहित है। आप कहेंगे यह कैसी बात है। इसको स्पष्ट करने के लिये मैं एक उदाहरण पेश करूं ताकि जिन लोगों के दिमाग में इस प्रकार की भावनायें हैं वे

(श्री मनोहर कोठारी)

क्लीअर हो जाय। यह एक ऐतिहासिक घटना है कि मेवाड़ के राणा महाराणा वहां राणा के रूप में नहीं माने गये हैं उनको हमारे इतिहास में मन्त्री रूप में माना गया है। मेवाड़ का राज किसके हाथ माना गया है, वह एकलिंगजी के हाथ में माना गया है। एकलिंग जी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है उसीको उस राज्य के असली अधिष्टाता के रूप में माना गया है। यह मैं निवेदन इसलिये करना चाहता हूं कि इसमें आपने रखा है कि मूवेबल और इम्मूवेबल प्रोपर्टी को बेच सकते हैं और वह बोर्ड के आदेश से बिकेगी। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो एन्डाउमेन्ट शब्द के साथ मूर्ति शब्द को जोड़ा गया है वह बहुत गलत बात होगी। इसलिये मेरा यह संशोधन है कि idols installed in temple यह एन्डाउमेन्ट की परिभाषा से अलग किये जांय।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय सदस्य यह बतायेंगे कि जब आइडॉल्स को वहां से हटा दिया जायगा तो वहां रहेगा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने दूसरे संशोधन भी मूव कर दीजिये और इसी भाषण में सब का समावेश हो जाय तो ठीक होगा।

श्री मनोहर कोठारी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो कुछ कहना है मैं इन्हीं पर कह दूंगा। दूसरा मेरा संशोधन है "Delete the words, for the time being, from clause 2(3) " इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं इसमें जैसा लिखा गया हैं "Goswami means the occupant for the time being of the gaddi of Shri Tilkayatji Maharaj of Nathbwara" इसमें मेरा यह सुझाव है 'फोर दी टाइम बींग' इन शब्दों को इससे अलग कर दिया जाय। मुसीबत हमारे सामने यह है कि हमने 'फोर दी टाइम बींग,' शब्द को लाकर एक ऐसा झगड़ा खड़ा कर दिया है जिससे गलत भावनायें जाग्रत होती हैं। ये शब्द इसलिये बेकार है कि इनमें केवल गोस्वामी शब्द रखना पर्याप्त नहीं है। क्योंकि गोस्वामी छोटे मोटे सब मन्दिरों के होते हैं। काकरोली का एक छोटा मन्दिर है उसके भी गोस्वामी कहलाते हैं।

इसी तरह नाथद्वारा में छोटे मन्दिरों के अधिष्ठाता भी गोस्वामी कहलाते हैं और यह गलत बात होगी अगर हम इसके अन्दर यह कह देंगे कि नाथद्वारा का गोस्वामी, तो यह गोस्वामी शब्द ऐतिहासिक दृष्टि से भी....

श्री उपाध्यक्ष : आगे एक्सप्लेन कर दिया है, " Tilkayat ji Maharaj of ...

४ म० प०

श्री मनोहर कोठारी : तो मैं अर्ज कर रहा हूं, 'for the time being' को इसलिये हटाना चाहिये। गोस्वामी पद है, पद की दृष्टि से हमें सोचना पड़ेगा। व्यक्ति के बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिये। व्यक्ति अयोग्य हो सकता है, वह गलत हो सकता है। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री कोई व्यक्ति हो सकता है, वह गलत हो सकता है, पर मन्त्रित्व गलत नहीं है, इसी तरह से गोस्वामी भी एक पद है। कोई व्यक्ति नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति अधिष्ठित हो, वह ठीक नहीं हो।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह चाहते हैं कि ये शब्द

(श्री दामोदरलाल व्यास)

डिलीट कर दिये जावें तो इससे मतलब क्या निकलेगा। What is he deriving at इसको रखते हैं तो क्या जाना जावेगा और नहीं रखते हैं तो क्या जाना जावेगा? सीधी बात यह है, गोस्वामी होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी शंका शायद यह है कि थोड़े समय के लिये ....

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जरूरी है। दो माने हैं। इसमें कौन सी बात है?

श्री मनोहर कोठारी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह देखिये, ऐसा है कि....

श्री उपाध्यक्ष : वह शंका, मनोहर जी, निर्मूल है।

श्री मनोहर कोठारी : यह निर्मूल नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। शंका इसलिये है कि 'for the time being' के अन्तर्गत गोस्वामी पद कैसे लें, यह किसी इलेक्शन या चुनाव के द्वारा नामजद नहीं होता, बाई बर्थ होता है और गोस्वामी जो वल्लभ कुल सम्प्रदाय में जो एल्डेस्ट सन होगा वह होगा। वह 'being by virtue of a son' होगा इसलिये टाइम बीइंग की आवश्यकता नहीं है। यह हो सकता है कि आप कल जाकर जैसे आगे जिक्र व्यवस्था का आया है गोस्वामी के लिये डिस्क्वालिफिकेशन्स के क्लॉजेज़ जोड़े गये हैं तो आगे दिक्कत इसमें जाकर पड़ने वाली है। उसके जरिये गोस्वामी भी दूसरा ....

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़): गोस्वामी की तो डेफिनिशन दी है।

श्री मनोहर कोठारी : इसलिये मेरा यह संशोधन है। भाषा की दृष्टि से इसकी उपयोगिता मुझे नहीं लगती थी, इसलिये इस संशोधन की जरूरत पड़ी।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ २८।

श्री मनोहर कोठरी : इसके साथ ही दूसरा क्लॉज़ है, २८। इसके सम्बन्ध में निवेदन करना है, "delete the words and include the temple of Shri Navnitpriyaji and Shri Madan Mohanlalji together with all additions there to or all alterations there of which may be made from time to time after the commencement of this Act." तो मैं इस बारे में बताऊं कि जब पहले मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा था कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे तो मैंने निवेदन किया था। मैं समझता हूं कि उनको फिर से दोहराने की खास आवश्यकता नहीं है। पर निवेदन करना चाहता हूं कि यह नवनीत प्रिया और मदनमोहनलालजी के मन्दिर ठीक उसी तरह के हैं जिस प्रकार हमारे घरों में व्यक्तिगत आराध्यदेव होते हैं, कोई किसी तरह की पूजा करता है, कोई किसी तरह की। तो मैं समझता हूं कि श्रीनाथजी के मन्दिर के साथ इन दोनों मन्दिरों का कोई तालमेल ही नहीं है। श्रीनाथजी मन्दिर के साथ इन दोनों मन्दिरों की कोई व्यवस्था नहीं है। श्रीनाथजी के कृष्ण भण्डार से इन दोनों मन्दिरों को जो भी सामान दिया जाता है तो उसका खर्चा महन्तजी के इमोल्युमेन्ट से काटा जाता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि इसलिये आगे जाकर क्योंकि एक

Page No.97

(श्री मनोहर कोठारी)

झंझट हमारे सामने आ सकता है इसलिये इसी समय इस पर सोच लेना हमारे लिये जरूरी है। मैं उदाहरण दूँ कि इसी तरह कोटा के मन्दिर की मूर्त्ति, मथुरेशजी की मूर्त्ति वहां उठाई जाकर दूर ले जाई गई। जतिपुरा में परिवर्त्तित करके रक्खा और इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में इस प्रश्न को चैलेन्ज किया गया कि वह मूर्ति चुराकर ले जाई गई। जहां तक मुझे सूचना मिली है, उसका जो फैसला वहां से हुआ उसमें यह बताया गया कि वह चोरी नहीं गई, उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति है। उनके व्यक्तिगत आराध्यदेव हैं। इसलिये उसे चोरी के सीगे में नहीं लिया जा सकता। तो यह समस्या हमारे भी सामने न आवे, यह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, I move, "That in clause 2, part (ii) (c) :—

(a) In line 7, substitute the words 'and' in place of 'but' and delete the the word 'not'.

(b) In line 8, substitute the word 'all' in place of the word 'any'.

(c) In line 9, delete the words 'al though' the same or' and substitute the word 'from which' in place of the word 'there of might'

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेन्डमेन्ट है वह जोड़ने के बाद यह जो पार्ट है वह कलॉज़ २ का इस प्रकार रहेगा :

"...and all offerings and bhents made for and received on behalf of the temple and shall include all property belonging to the Goswami personally income from which hitherto have been utilised in part or in whole in the service of the temple;"

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रोविज़न रखने का मतलब यह होता है कि हम मानते हैं कि इस टेम्पल में, इसकी प्रोपर्टी में या इसके प्रेमिसेज़ में गोस्वामीजी की भी प्रोपर्टी है, तो जो इस बात को मानते हैं कि गोस्वामीजी की कुछ प्रोपर्टीज़ है तो इसमें दो सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल तो यह है कि बाकी में गोस्वामीजी का प्रोप्राइटरी राइट टेम्पल प्रेमिसेज में हैं या नहीं। एक तो सवाल यह पैदा होता है। दूसरा यह सवाल हम मान लेते हैं कि उनकी प्रोपर्टी है। उनको डिस्टिंग्विश करने का कौनसा उनका हिस्सा है कौनसा मन्दिर का है, इसका एक दूसरा झगड़ा पैदा हो गया और इस रूप में, जिस रूप में यह बिल है इसे पास करेंगे तो यह झगड़ा ऐसा होगा जिसका कोई नतीजा हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यह बड़ा मुश्किल रहेगा डिसाइड करना। इसमें हाईकोर्ट में भी केस हो सकता है। मेरा विचार यह है कि हम जो कानून बनावें वह एग्जेक्ट होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरी जो राय है वह यह है कि इसमें गोस्वामीजी की कोई प्रोपर्टी नहीं है। गोस्वामीजी की वजह से किसी ने, तिलकायत महाराज के नाम से भेंट नहीं चढ़ाई। किसी ने गोस्वामी जी को भी कोई चीज़ दी हो तो उनको श्रीनाथजी का प्रति-

Page No.98

(श्री पी. के. चौधरी)

निधि मानकर दिया है आज किसी संस्था का कोई प्रेसीडेन्ट है, जैसे कांग्रेस का प्रेसीडेन्ट है, वह अगर किसी जगह जाता है और वहां हम उसको थैली भेंट करते हैं, अभी झुंझनूं में उनको एक लाख रुपये की थैली भेंट हुई। अब पी० सी० सी० का प्रेसीडेन्ट यह कहे कि यह थैली माननीय सरदार हरलालसिंह को हुई है तो गलत होगा। थैली भेंट हुई है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को और यह हमारा कन्वेन्शन है कि जो पैसा इस तरह से आता है वह पार्टीज़ को जाता है। कांग्रेस के रिप्रेजेन्टेटिव की हैसियत से ही उनको ये भेंटें मिलती हैं और वह कांग्रेस ऑर्गेनाइज़ेशन को ही जाती हैं। वे उसे अपने पर्सनल काम में खर्च नहीं करते। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फण्ड है। पण्डितजी के नाम से उसमें पैसा जाता है। अब वे यह कहें कि यह व्यक्तिगत रूप से मुझे दिया गया है इसलिये इस पर रिलीफ डिपार्टमेन्ट का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये तो मैं यह समझूंगा कि यह बड़ी टेक्निकल बात पैदा करते हैं। और एक गलत तरीके से जो लोगों की भावना है और जिस भावना के लिए लोगों ने यह भेंट दिया है उसको इवेड करने के लिए, उससे बचने के लिए आप एक कानूनी रास्ता निकालते हैं। चाहे किसी ने महन्तश्री को कोई प्रोपर्टी भेंट की हो या चाहे श्रीनाथजी को की हो, आखिर जो भेंट करते हैं तो श्रीनाथजी कोई लम्बा हाथ करके नहीं लेते हैं वह महन्तश्री को ही पकड़ा देते हैं। उसके लिए आज महन्तजी कहें कि यह जो भेंट मुझे दी गई है यह श्रीनाथजी को नहीं दी गई और इसका हकदार मैं हूं तो यह बात गलत होगी। इसके लिए सबसे पहले झगड़ा तो यही होगा कि यह उनकी पर्सनल प्रोपर्टी कैसे हो गई? फिर यह मामला हाईकोर्ट में जायेगा और सुप्रीम कोर्ट में जायेगा कि कौनसी प्रोपर्टी श्री नाथजी की है? और कौनसी प्रोपर्टी महन्तश्री की है। जब आप कोई कानून पास करते हैं तो फिर आप नया झगड़ा क्यों पैदा करने की बात करते हैं और एनडाउमेन्ट से महन्तश्री की प्रोपर्टी अलग है ऐसा प्रोविज़न नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसा झगड़ा पैदा हो सकता है। खुद महन्तजी के पत्र को मैं पढ़कर सुनाता हूँ। महन्तजी ने तारीख ४ जनवरी, ५८ को एक पत्र लिखा है वैष्णव समिति के वाइस चेयरमैन श्री टाकरसी को। उसमें उन्होंने कहा है :

"...Of course here I make no secret of the fact that some of the silver and gold utensils out of these articles were of service to Srinathji, but in those times there was no distinction between Srinathji's proprety and that of our ancestors' and all property of the temple was treated as our property."

एक दफ़ा एक शेर और एक आदमी म्युज़ियम देखने गए। तो उसमें एक पिक्चर बनाया गया था कि एक आदमी शेर को छाती पर चढ़ कर मार रहा है। इस पर उस आदमी ने शेर से पूछा कि तुम्हारा क्या रीएक्शन है। इस पिक्चर के बारे में तो उसने कहा कि आदमी को शेर मारे डाल रहा है तो उन्होंने यह बात कही "There was no distinction between Shrinathji's property and his own property and all this property belong to us and to our ancestors." यानि यह तिलकायत महाराज खुद कबूल

Page No.99

(श्री पी. के. चौधरी)

करते हैं। श्रीनाथजी की प्रोपर्टी में और उनकी प्रोपर्टी में कोई डिफरेन्स नहीं था तो इस बात का यह एक एडीशनल सपोर्ट है कि महन्तजी की कोई पर्सनल प्रोपर्टी नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपने खुद को आइडेन्टीफाई कर दिया आइडोल के साथ। मैं मानता हूँ कि हमारा जो हिन्दू रिलीज़न और फिलॉसोफी है वह यह है कि हम अपनें को भगवान् के साथ आइडेन्टीफाई करते हैं, सेल्फ रियेलाइजेशन हम कहते हैं :

"This is a part and parcel of the Bill."

यह हिन्दू फिलॉसोफी है। उस जमाने में लोग मानते थे और हां, कल एक शब्द कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, हां, 'ब्रह्म सम्बन्ध' तो 'ब्रह्म सम्बन्ध' और 'भगवान्' में कोई फ़र्क नहीं रहता है और पहले यह ट्रेडीशन चल गया था। तो यह सारी की सारी चीज़ श्रीनाथजी की है। यह कहना कि उनकी कोई अलग पोपर्टी है तो यह कोई बात नहीं है। अगर यह कहते हैं तो जो पैसा प्राईम मिनिस्टर्स' रिलीफ़ फण्ड में दिया जाता है वह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का पर्सनल अमाउन्ट होना चाहिए। जो प्राईम मिनिस्टर रिलीफ फण्ड में पैसा आता है उसके लिए पंडित नेहरू कह दें कि पंडित नेहरू के नाम से जो प्राईम मिनिस्टर्स' रिलीफ फण्ड में पैसा आता है वह उनका है तो मैं इसको भी मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसा कोई आदमी हिन्दुस्तान में पागल नहीं है जो ऐसा कहेगा कि कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट श्री हरलालसिंह को एक लाख की थैली भेंट की वह उनके व्यक्तिगत खर्च के लिए दी गई है, ऐसा कोई आदमी नहीं कहेगा। जो ऐसी बात करता है तो मैं तो उसको पागल मानता हूं। जो माननीय सदस्यों ने इसके लिए आॅर्ग्युमेन्ट्स दिए उनके लिए मुझे ताज्जुब होता है....

श्री उपाध्यक्ष : अगर यहां कोई माननीय सदस्य ऐसा कहें तो आप कह देंगे कि पागल है ?

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : और उन्होंने यह कहा कि आइडोल जो है उसको अनडोउमेन्ट से हटा दिया जाये तो मैं कहता हूँ कि हमारा दिमाग खराब हो गया है। अगर अनडाउमेन्ट से आइडोल को हटा दिया जाय, तो फिर टेम्पल में क्या रहेगा ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : (किशनगढ़) : दिमाग खराब हो गया है, क्या इस तरह कहना ठीक है ?

श्री पी० के० चौधरी : मैं तो बुद्धि की तारीफ कर रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान में स्थिति ऐसी है कि किसी मन्दिर से आइडोल को उठाकर एक वृक्ष के के नीचे रख दी जाये या जंगल में रख दी जाये तो लोग मन्दिर में नहीं जायेंगे वह तो उस आइडोल के पास ही जायेंगे वह चाहे जहां भी रख दी जाये। लोग जो नाथद्वारा में जाते हैं वह नेचुरल सीनेरी को देखने नहीं जाते हैं वे तो वहां आइडोल की वजह से जाते हैं। तो यह जो आॅर्ग्यूमेन्ट दिया गया है वह मेरी समझ में नहीं आता है। यह आॅर्ग्युमेन्ट जो है वह सारे बिल के पर्पज़ को डिफीट करने के लिए है। आइडोल के ऊपर कोई व्यक्तिगत अधिकार है, ऐसा नहीं हो सकता है...

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलत भावना में बह रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा कि आइडोल के ऊपर उनका व्यक्तिगत अधिकार है। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य ने नाथद्वारा देखा नहीं है, इसलिए ही वह ऐसा कह रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : आपने कहा कि आइडोल जो है वह महन्त की पर्सनल प्रोपर्टी है।

श्री मनोहर कोठरी : माननीय सदस्य, आप गलत कह रहे हैं। आप प्रोसीडिंग्स को मंगाकर देख लें। मैंने नहीं कहा कि अनडाउमेंट से आइडोल को रिमूव कर दिया जाये।

श्री पी० के० चौधरी : आइडोल को उसकी पर्सनल प्रोपर्टी में देंगे तो वह महन्त-श्री आइडोल को उठाकर वहां से चला जायेगा, और आप रोते रहेंगे बिल पास करके। उपाध्यक्ष महोदय...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, 'रोते रहेंगे' शब्द यहां न लायें।

श्री पी०के० चौधरी : आप पछतायेंगे, कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मिस्टर चौधरी ने हिन्दी को अभी पाया है। कह दिया तो क्या बात है?

श्री पी०के० चौधरी : दूसरा महन्त श्री का पत्र है, इसमें भी इस बात को माना गया है। यह पत्र महन्तजी ने २१ जनवरी, १९५८ को ठाकरसी साहब को लिखा है इसमें फिर से दोहराया है :

"I would have replied all the points raised by you in your letter but since we are meeting here on the 1st and 2nd Febr, 1956, they will be discussed by us here. All I want to tell you is that I have never disputed the facts that some of the utensils and ornaments were of use for Shrinathji and I again repeat the same thing here. Only my contention is that during the period, these contents were sealed and locked, there was no distriction between my property and that of Shrinathji. All property was considered as ours. Similarly, the total losses were considered as my losses as clarified in my letter.

As a gesture of good will and common understanding certain utensil and jewellery which are of service to Shrinathji only and are of no use to me may be made Bhait of by me to Shainathji, provided a full compromise is arrived at on the subject between ourselves. I do not think that it would be wise on our part to go to suggest that we should appoint a sole arbitrator in the matter whose decision should be binding on us..."

यानि महन्तश्री की प्रोपर्टी और श्रीनाथजी की प्रोपर्टी में कोई डिफरेन्स नहीं था। हम यह नया डिफरेन्स क्रियेट कर रहे हैं। यह नया डिफरेन्स हम क्यों कानून बनाकर क्रियेट करें, इसकी हमें जरूरत क्या है? यह मेरा सुझाव है कि पर्सनल प्रोपर्टी में कोई प्रोपर्टी नहीं रखी जाये, काफी झगड़ा इससे पैदा होगा और अगर

(श्री पी. के. चौधरी)

ऐसा करेंगे तो महन्तश्री कहेंगे कि १६३५ तक की सारी जो चीजें हैं वह मेरी प्रोपर्टी है क्योंकि आपने नया डिस्टिंक्शन शुरू किया है। तो मेरा नम्र निवेदन है कि इसके ऊपर हमें कोई ध्यान नहीं देना चाहिए।

दूसरी एक बात जो टेकनीकल बात है और कायदे की बात है कि अगर आज कोई प्रोपर्टी महन्तश्री में इन्क्लुड करना चाहेंगे तो उस प्रोपर्टी की क्या कीमत होगी ? मैं तो कहूंगा यह उनकी पर्सनल प्रोपर्टी का टैक्स है। महन्तश्री कितना इन्कम टैक्स देते थे, उनका इन्कम टैक्स असेसमेंट क्या है ? उन्होंने आज तक क्या प्रोपर्टी टैक्स दिया ? उनका प्रोपर्टी टैक्स देना रियेलिस्टिक है और वह यह है कि आज की तारीख में उन्होंने जो प्रोपर्टी स्टेटमेंट दिया है गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को उसकी वेल्यु होगी, Mahantji has no property. इस प्रोपर्टी के ऊपर उनका पर्सनल क्लेम हो सकता है और उसी से उनका केपिटल इन्वेस्टमेन्ट कर अंदाजा लग सकता है....

श्री मनोहर कोठारी : मैं सूचना के तौर पर बता दूं कि उनके इन्कम टैक्स का मामला इन्कम टैक्स विभाग से मालूम किया जा सकता है।

श्री पी० के० चौधरी : वहां से मालूम करिये। उनका इन्कम टैक्स स्टेटमेंट दिया होगा। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने प्रोपर्टी स्टेटमेंट देने का भी कानून बनाया है। उन्होंने जो प्रोपर्टी स्टेटमेंट अब तक दिया है उसमें कितनी प्रोपर्टी बताई है ? उनके पास जो गोल्ड और ज्वेलरी है उसके ऊपर केपिटल टैक्स देना पड़ता है। गोल्ड और ज्वेलरी की वैल्यू हर साल ८,६ पर्सेन्ट एप्रिशियेट होती है, बढ़ती है उस पर कितना टैक्स दिया है ? यदि उन्होंने इन्कम टैक्स रिटर्न्स नहीं दिये हैं, प्रोपर्टी का स्टेटमेंट नहीं दिया है, एक्सपेन्डिचर का टैक्स नहीं दिया है, यह रिटल कन्ट्राडिशियल पोइन्ट है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको अभी पास मत करिये कल करिये, इसको पास करने से पहले वहां पर जो एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर है उससे टेलिफोन पर मालूम करिये कि महन्तजी ने कितना प्रोपर्टी टैक्स दिया है, कितना वेल्थ टैक्स दिया है, कितना इन्कम टैक्स दिया है। और अगर उन्होंने ये टैक्स नहीं दिये हैं तो जो उनके एसेट्स आप मानते हैं वे पर्सनल प्रोपर्टी में नहीं हैं। ऐसी हालत में आज हम नई चीज़ क्या पैदा करते हैं ? यदि आप यह चीज़ पैदा करते है तो महाराज को क्रिमिनल पोज़ीशन में डालते हैं। इसलिये कि उन्होंने प्रोपर्टी टैक्स नहीं दिया, वेल्थ टैक्स नहीं दिया, इन्कम टैक्स नहीं दिया है तो मैं मानता हूं कि जो एक 'ब्रह्म संबंध' के आदमी हैं उनको यह कानून बनाकर क्रिमिनल ऑफेन्स में डालते हैं। ५ साल से यदि उन्होंने टैक्स नहीं

४, २१ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सभापति पदासीन)

दिया है तो यह क्रिमिनल ऑफेन्स है। यदि ऐसा करेंगे तो सच्चे वैष्णव हैं और वैष्णव समाज के जो स्प्रिच्युअल लीडर हैं उनको सरकार यह कानून बनाकर ऑक्वर्ड पोजिशन में डालना चाहती है। उनकी पर्सनल प्रोपर्टी को एस्क्लूड करने का लिखा है वह नहीं होना चाहिये वर्ना काफी कॉम्प्लीकेशन्स पैदा होंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट

(श्री पी. के. चौधरी)

में जावेंगे। उनका जो पत्र है : There is an admission itself. मंदिर की प्रोपर्टी में और उनकी प्रोपर्टी में कोई फर्क नहीं है। महंतजी को इस तरह से भेंट नहीं दी जाती जिस तरह से प्रधान मंत्री को या कांग्रेस प्रेसिडेन्ट को देते हैं। उनको जो कुछ देते हैं वह मंदिर की सेवा के लिये देते हैं न कि पर्सनल काम के लिये। इसलिये मैं समझता हूँ इस क्लॉज़ को नहीं रखना चाहिये।

मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट पार्ट (८) में है इस क्लॉज़ के। उसमें मैंने यह रखा है कि पार्ट (८) के एन्ड में यह और एड कर दिया जाय : Add the following words at the end—"or which might have already been made before the commencement of this Act." अब सवाल इतना ही रह जाता है कि आगे कोई आदमी कह सकता है कि इस हिस्से में ऑल्टरेशन हो गया। जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी पता नहीं सो वर्ष पहले या दो सो वर्ष पहले तो वे एडीशन ऑल्टरेशन उस मंदिर में रहते हैं, बाकी महंतजी ने कराये वे टेम्पल में नहीं आते। कोई एडीशन या ऑल्टरेशन इसके कमेन्समेन्ट से पहले या बाद में हुआ है वह सारा टेम्पल को माना जायगा। यह रीज़नेबल अमेन्डमेन्ट है। यदि यह प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो कॉम्प्लीकेशन्स हो सकती हैं और लॉ डिफेक्टिव हो सकता है। लॉ जब हम पास कर रहे हैं तो उसमें कोई कॉम्प्लीकेशन नहीं छोड़नी चाहिये।

श्री सभापति : डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशन पोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, प्रस्तुत विधेयक के क्लॉज़ २ (ग) में मेरा संशोधन इस प्रकार है, परन्तु इसमें कोई ऐसी संपत्ति शामिल नहीं होगी जो कि गोस्वामीजी की निजी संपत्ति हो, यद्यपि वह या उसकी आमदनी अब तक मंदिर की सेवा में आंशिक रूप में या पूर्णतः प्रयोग में आई हो इन शब्दों को हटाने का मेरा संशोधन है।

सबसे बड़ा सवाल निजी संपत्ति के सम्बन्ध में आवेगा। जिस प्रकार कल के भाषण में पुरी के मंदिर की बात कही गई वहां पर साफ मालूम पड़ता है कि कौनसी संपत्ति मंदिर की है और कौनसी पुजारी की है। उसी तरह की कोई प्रोपर्टी यहां होती, गोस्वामीजी या मंदिर की दोनों की भेंट, पूजा, चढ़ावा अलग अलग होते और संपत्ति का बंटवारा अलग अलग होता...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : For the information of the Hon. members, I may say that there is an inventory of the temple's property. जितना भी है वह अलग है, हिसाब अलग है, उनकी प्राईवेट प्रोपर्टी अलग है। यह गलतफ़हमी है कि प्रोपर्टी की इन्वेन्टरी नहीं है। गोस्वामीजी और मंदिर की प्रोपर्टी शामिल नहीं थी। सन् १९४२ में सेपरेट इन्वेन्टरी बन गई थी वहां पर श्री कृष्ण भंडार की प्रोपर्टी का इन्द्रराज है इसलिये पुरी जैसी बात यहां पर नहीं है। गोस्वामीजी की खुद की प्रोपर्टी है वह अलग है और टेम्पल की प्रोपर्टी की इन्वेन्टरी है, बहियें हैं, चढ़ावा आता है उसका भी इन्द्राज रहता है। It is already seperate.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : यदि

(श्री पी. के. चौधरी)

ऐसा है तो इसमें क्लॉज डालने की जरूरत नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : So that there may not be any dispute. पर्सनल प्रोपर्टी में डिस्प्युट पैदा हो जाय तो सिविल कोर्ट then the Civil Court may make a declaration whether it is a personal property or not. हर प्रोपर्टी को नाथद्वारा की प्रोपर्टी मान ली जाय there by we cannot deprive him of his personal property viz his residence etc. इसलिये इसके यहां रहने की जरूरत है।

श्री पी० के० चौधरी : पर्सनल प्रोपर्टी का डिस्प्यूट है तो उसका असर इस पर थोड़े ही पड़ेगा। नाथद्वारा शहर में जो लोग रहते हैं उनको क्यों अलग किया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That we don't want here. We should be straight forward in this. हमको साफ कहना चाहिये कि हम तुम्हारी पर्सनल प्रोपर्टी नहीं लेना चाहते हैं। We are only managing the affairs of the temple. We don't want to attach his personal property. ख्वामख्वा यह बात क्यों पैदा करें कि तुम्हारी प्रोपर्टी लेना चाहते हैं ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): इसके (ए) में और (सी) में कॉम्प्लीकेशन हो जायगा मूर्ति के लिये....

श्री दामोदरलाल व्यास : My friend has himself explained the position and I need not explain it further.

इसमें मूर्ति के लिये खास तौर से इसलिये रखा है कि History of Kotah temple may not be repeated.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इसमें भी देना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : पर्सनल्री इसलिये रखा है कि कल प्राईवेट प्रोपर्टी कह कर, Because there is a ruling of the High Court. जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि प्राईवेट प्रोपर्टी कही जाकर, इसमें डेफिनिशन रखी है, यह नहीं है कि नाथद्वारा में It is not mixed up. डेफिनिशन में रहना चाहिये जिससे यह कह सकें कि There is a demarcation line that this is ShriKrishna Bhandar property and this is of Maharaja Shri.

श्री पी० के० चौधरी : एक पॉइन्ट और क्लियर कर दीजिये, जैसे एक डिस्प्युट खड़ा हो जाता है, इन्वेन्ट्री में नहीं है....

श्री दामोदरलाल व्यास : I will just explain later on. Let the amendments be moved. I have only explained it here so as to curtail the debate.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : यहां जिस बात के सम्बन्ध में कहा गया था एक साथ मिलने का उसका क्या है...

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अभी बता दूंगा।

Page No.104

(डॉ० चन्द्रकला)

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, सदन में नाथद्वारा की सम्पत्ति के विषय में जो कुछ चर्चा हुई, जो कुछ बताया गया उससे न केवल मुझको बल्कि सदन को इस बारे में एक आशंका जरूर हुई कि निजी सम्पत्ति क्या बिल्कुल अलग दी गई है, निजी सम्पत्ति अलग है क्या ? थोड़ी देर पहले नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जो मूर्त्ति नाथद्वारा में है, जो मूर्त्ति वहां प्रतिष्ठापित है, वह गिरिराज से स्वयं गोस्वामीजी किसी समय ले आये थे। पहले उसे नाथद्वारा से बाहर रखा था, इसलिए उसे अपनी प्रोपर्टी मानते हैं, उसे निजी चीज़ मानते हैं और....

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : यह किसने कहा, आपको गलतफहमी क्यों हो रही है ?

डॉ० चन्द्रकला : अब तक नहीं थी तो अब विधेयक के द्वारा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गोस्वामीजी जिसे अपनी चीज़ मानते हैं वह निजी सम्पत्ति होगी। लेकिन निजी सम्पत्ति का फैसला किस तरह करेंगे ? गोस्वामीजी कहते हैं कि यह मेरी निजी सम्पत्ति है। मंदिर में महाराज को जो चढ़ावा व भेंट आती है उसमें से निजी सम्पत्ति का किस तरह फैसला करने वाले हैं ? जैसा कि सदन को मालूम है कि जो घोटाला हुआ, जिस खज़ाने को हटाया गया उसके लिए गोस्वामीजी ने यह नहीं समझा कि मंदिर की चीज़ मैं ले जा रहा हूं। उन्होंने समझा है कि उनकी वह निजी सम्पत्ति है, उस पर उनका अधिकार है। जब तक कानून बना कर उनकी निजी सम्पत्ति निश्चित न कर दें, कोई महन्त हिम्मत नहीं कर सकता और कोई महन्त यह जानते हुए कभी मंदिर की चीज़ नहीं ले जायगा। अगर महन्त किसी प्रकार यह समझे कि यह मंदिर की सम्पत्ति है और उस पर किसी न किसी प्रकार हमारा हक है, हम उसे ले जा सकते हैं। ऐसा न केवल उन्होंने किया बल्कि उनका जो पत्र है, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है। उसमें उन्होंने कहा है और इसे लेकर ही वे हाई कोर्ट में पहुँच रहे हैं। वे हाई कोर्ट में इसलिए नहीं पहुँच रहे हैं कि मंदिर को नुकसान हो रहा हो बल्कि इसलिए पहुंच रहे हैं कि निजी सम्पत्ति जिसको मानते हैं उसमें घोटाला हो गया और लोगों ने पकड़ा। माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि जो कुछ घोटाला हुआ है, जो सारे जवाहरात वगैरह गये हैं वे निजी सम्पत्ति मान कर नहीं गये हैं। कहां गई है आपकी इन्वेन्टरी जिसमें निजी सम्पत्ति बता रखी थी ? उनमें कन्फ्युजन था इसलिए ही घोटाला हुआ। अगर इन्वेन्टरी होती तो सीधी सी बात थी की महन्तजी मंदिर की चीज़ को चोरी करके ले गये........

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको जानकारी नहीं है। जो प्रोपर्टी निकाली गई उसकी इन्वेन्टरी नहीं थी। सारा केस यह है that inventory was not prepared then. Now...सारी प्रोपर्टी की इन्वेन्ट्री हो गई। There is a Kothar and it was not opened. परन्तु १६३४ की मोहर लगी रही और १६४२ में इन्वेन्टरी तैयार कराई तब ताला खोला नहीं गया........

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

डॉ० चन्द्रकला : निजी सम्पत्ति के बारे में फैसला नहीं हुआ था। अब भी निजी

(डॉ० चन्द्रकला)

सम्पत्ति को लेकर कन्फ्युजन पैदा होने वाला है। मैं इस सिद्धान्त को भी मानती हूं जो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि भेंट-पूजा वगैरह जो मिलती है वह निजी सम्पत्ति नहीं हो सकती है। महाराज की पूजा, सम्मान और सत्कार केवल इसलिए होता है कि वे मंदिर के गोस्वामी हैं। इसलिए नहीं होता है कि वे व्यक्ति हैं और व्यक्ति की भी भेंट पूजा होती है क्योंकि व्यक्ति एक प्रतीक है, लोगों की धार्मिक भावना का प्रतीक है। माननीय राजस्व मंत्री खुद स्वीकार करते हैं कि जो गहना आदि कोठे में पड़ा था उसकी इन्वेन्टरी नहीं थी इसलिए फैसला नहीं कर सके कि वह निजी सम्पत्ति है या मंदिर की सम्पत्ति है। निजी सम्पत्ति के प्रश्न को लेकर कन्फ्युजन हो सकता है। निजी सम्पत्ति के लिए रखा गया है कि यद्यपि वह या उसकी आमदनी अब तक मंदिर की सेवा में आंशिक रूप में या पूर्णतः प्रयोग में आई हो यदि वह चीज़ प्रयोग में आई है या आ रही है तो वह भी सम्पत्ति मानी जायगी, उसको मंदिर की सम्पत्ति नहीं मानेंगे। यह समझ में नहीं आता है कि यह निजी सम्पत्ति क्यों कर हो सकती है? इसलिए मंदिर की सेवा में आंशिक रूप में या पूर्णतः प्रयोग में आई हो, इन शब्दों को हटाना चाहिए। इन सब बातों को लेकर कन्फ्युजन होने वाला है। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि इस धारा में से ये शब्द निकाल दिये जायं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, मेरा जो संशोधन प्रस्ताव है वह सक्युलेट हो चुका है, इसलिए थोड़ा कह दूं........

डॉ० चन्द्रकला : कहां हुआ है?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : वह है।

श्री सभापति : It is just the same.

डॉ० बहादुरसिंह : यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मूर्ति आई और जो मूर्ति आई उसमें लोगों की आस्था थी और उस पर कुछ चढावे की सम्पत्ति आई। व्यक्तिगत सम्पत्ति वह हुई जो कि एक व्यक्ति के पास है। जो सम्पत्ति है वह चढ़ावे की है, कोई अलग है नहीं। इस प्रकार की एक व्यवस्था मैंने रामेश्वरम् में देखी है। वहां जो पुजारी वगैरह हैं उनको एक पर्सेन्टेज़ मिलता है, उनकी अलग से सम्पत्ति नहीं है। इसी प्रकार की व्यवस्था आप करें तो ज्यादा उत्तम रहता है, यह व्यवस्था जरूरी है। नहीं तो जो मंदिर की आमदनी है उसको आप एक्सक्लुड़ कर रहे हैं। मान लीजिये कि एक व्यक्ति ने मूर्ति पर चढ़ावा चढ़ा दिया, कुछ चढ़ावा महन्तजी को चढ़ा दिया और जो खर्चा महन्तजी और मूर्ति का मिला कर होता है वह मंदिर की सम्पत्ति में से होता है। महन्तजी को जो चढ़ावा दिया उसे आप प्राइवेट मान लें और मूर्ति का चढ़ावा रह गया। तो इस प्रकार आप मंदिर की सम्पत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सक्लूड कर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है कि महन्तजी की आमदनी मंदिर के सम्बन्ध में होगी वह उनकी खुद की आमदनी होगी। हम मान सकते हैं कि महन्तजी जो दीक्षा देते हैं उसको मंदिर की आमदनी माना जायगा क्योंकि वे जो दीक्षा देते हैं वे महन्त होने के नाते देते हैं, उनका अलग से स्टेटस नहीं

(डॉ० बहादुरसिंह)

है। महन्तजी की आमदनी उसे मान सकते हैं, जो उन्हें किसी बिज़नेश से होती है। वह व्यक्तिगत आमदनी मानी जा सकती है। लेकिन जो एज़ ए महन्त उनकी आमदनी है वह आमदनी मंदिर की माननी चाहिए। आप यह कर सकते हैं कि दो पर्सेन्ट, तीन पर्सेन्ट जो उचित हो उनके खर्चे को देखते हुए, वह उनको दिया जा सकता है। इसलिए क्लीअर करना चाहिए। यह जो आपने मूर्ति की व्यवस्था रखी है, इससे तो वही होगा जो मथुरेश के सम्प्रदाय में हो गया........

श्री दामोदरलाल व्यास : वही यहां करना चाहते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : इसके अलावा जो दो तीन मंदिर हैं वे रहने चाहिए। इनकी बहुत बड़ी प्रोपर्टी है। यह बतलाया गया है कि इनकी बहुत बड़ी प्रोपर्टी है........

श्री दामोदरलाल व्यास : वह लाइबिलिटी है।

डॉ० बहादुरसिंह : चीज़ यह है कि मान लीजिये कि इस मंदिर में लोग न चढ़ायें तो किसी प्रकार मंदिर की आमदनी करने के लिए दो मंदिर और बनवा दिये, कहीं तो दो पैसे चढ़ाये जायेंगे। दो दो पैसे करके महन्तजी के पास आ गये दो आने। इस प्रकार आमदनी बढ़ाने के लिए मंदिर बढ़ाये जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाय। व्यवस्था इस प्रकार की हो कि जो आमदनी महन्तजी को होती है, वह मंदिर के महन्त होने के नाते मंदिर की है। ऐसा नहीं होगा तो मंदिर की आमदनी कम हो जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सभापति महोदय, यह जो संशोधन रखा है, इसकी सफाई में, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं........

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): सपोर्ट में या खिलाफ में ?

श्री मुरलीधर व्यास : खिलाफ में।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : खिलाफ में !

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां। यह मंदिर की प्रोपर्टी के सम्बन्ध में गोस्वामीजी को और मंदिर की मूर्ति को एक साथ जोड़ने का सवाल लाया जाता है, मैं समझता हूं कि यह बात नहीं है सही मायने में कि हम इस मंदिर की व्यवस्था का कानून बना रहे हैं, जो साम्प्रदायिक व्यवस्था है उसकी धर्म की व्यवस्था है। उस व्यवस्था के लिए कानून बनाने से मूलभूत सम्प्रदाय के जो नियम हैं उनके अन्दर किसी प्रकार का कुठाराघात हो, यह होता है तो हम समझते हैं कि उनके जो मूलभूत सम्प्रदाय के नियम हैं, जिन सिद्धान्तों के आधार पर वह चलता है उन पर बड़ा भारी असर होगा और बड़ा भारी आघात होगा। जहां तक मैं समझता हूं हम में से बहुत सदस्य हैं जो इसे बिल्कुल कानून की दृष्टि से सोचते हैं, जो सोचते समय इस बात को ख्याल में नहीं रखते हैं कि........

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय सदस्य संशोधन के सपोर्ट में बोल रहे हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : विरोध में बोल रहा हूं........

श्री दामोदरलाल व्यास : विरोध में मैं ही बोल दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं भी थोड़ा बोल दूं। यह बात मंदिर, गोस्वामी, भेंट आदि के विषय में है और यह मान्य कर लिया है कि यह कानून बन रहा है जिससे कि व्यवस्था ठीक हो। उसके साथ ही साथ जहां तक मंदिर और उसके साथ ही गोस्वामी, इन दोनों के लिए एक साथ बात कहते हैं, यह ठीक बात है। यह मान्य कर लिया है कि हम आप और मंदिर, हम सब एक हैं, कोई भेद भाव नहीं है। इसके बाद जब आप कानून बनायें उसमें यह कहें तो ठीक बात है। वैसे ही मान लिया और उसमें यह मान्य नहीं करायेंगे और दूसरी बात यह है कि वल्लभकुल सम्प्रदाय है, रामानुज सम्प्रदाय हैं, ये अपने धर्म के प्रचार के लिये दौरे करते थे तो इसी आधार पर यह एक सम्प्रदाय चला और चलता आ रहा है। श्रीनाथजी नाथद्वारा में हैं, वहां जाकर लोग भेंट देते हैं इसके अलावा महन्तजी बम्बई, कलकत्ता और दूसरी जगहों पर जाते हैं तो उन्हें वहां भी लोग भेंट करेंगे। तो वह भेंट जो उन्हें बम्बई, कलकत्ता, नागपुर में मिली उसका आप हिसाब नहीं कर सकेंगे और आप इस पर प्रतिबन्ध लगा देंगे कि मूर्ति के लिये यह सम्पत्ति देते हैं, इस पर हमारा अधिकार होना चाहिये, इसमें बड़ी अड़चनें आयेंगी। मैं किसी सम्प्रदाय को बुरा नहीं मानता। इसकी किताबों को, आदर्शों को पढ़ें तो उनमें बड़ी ऊंची ऊंची आदर्श की बातें हैं। मूर्ति और गोस्वामीजी का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। इसको अलग करना चाहें तो व्यवस्था के निमित्त इतना कर सकते हैं कि जो चढ़ावा आता है वह इस मन्दिर में रहे और जो गोस्वामीजी की भेंट आती है वह उनके पास अलग रहे।

चौधरी साहब इस सम्प्रदाय को तो समझने वाले नहीं हैं, इनका सम्प्रदाय और है।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आपका 'ब्रह्म सम्प्रदाय' है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): इसके सम्बन्ध में बहुत सी बातें तो बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्पष्ट कर दी हैं। इसमें एक अमेंडमेंट यह है कि सब क्लॉज़ २ का (ए) है उसको डिलीट कर दिया जाय। इसके लिये तो मूवर सदस्य ने साफ कर दिया है कि क्यों डिलीट कराना चाहते हैं। वे इसको डिलीट करके कराना तो यह चाहते हैं कि कोटा में मथुरेशजी के मन्दिर में जो घटना घटी वह यहां न दोहराई जाय, पूरा नतीजा उन्होंने निकाल लिया कि वही घटना यहां न दोहराई जाय। एन्डोवमेंट में अगर आइडोल को शरीक नहीं रखा, तो फिर कोरा मन्दिर ही रह जायगा, कोरा मन्दिर का मकान ही रह जायगा और कुछ नहीं रहेगा, वे इस मूर्ति को उठा कर ले जायेंगे। यह जो अमेंडमेंट दिया है तो उन्होंने खुद ने दलील दे दी।

बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्य ने बताया प्राईवेट प्रोपर्टी के बारे में। महन्तजी की प्राईवेट प्रोपर्टी डिफाइन्ड है। उदयपुर स्टेट के अन्दर भी यह स्पष्ट था कि यह मन्दिर की प्रोपर्टी है और यह....

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): फिर मन्दिर के काम में कैसे आती रही ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे कहने तो दीजिये। मन्दिर के अन्दर जो कोठा था, जिसकी इन्वेन्टरी नहीं बनाई गई, १६४२ में वहां मिलिटरी भेज कर इन्वेन्टरी बनाई गई थी। जैसा माननीय सदस्य ने कहा वैसी कोई बात नहीं हुई। वहां मिलिटरी रही, दस बीस आदमियों को गिरफ्तार किया। क्यों मास्टर साहब आप भी थे ? हां, हमारे सदन के माननीय सदस्य (श्री किशनलाल शर्मा से) भी श्री नाथजी के लिये शहीद होने वालों में थे।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : श्री नाथजी के लिये इतना और महन्तजी के लिये इतना, क्या इस कोठे का रेकॉर्ड है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐतराज किया गया इसलिये नहीं खोला, बाकी सब इन्वेन्टरी है। '३५ के पहले मन्दिर की और उनकी इन्डिविज्युअल प्रोपर्टी अलग नहीं थी, उनकी पर्सनल जागीर भी मन्दिर के काम में आती थी। महाराणा उदयपुर का ऑर्डर बताया, वहां इस बात का डिस्टिंक्शन कर दिया। आज कृष्ण भंडार में गहना है उसका सबका इन्द्रराज है। इसके अन्दर एक कोठा था। Gahnahgar is a big thing. सारा का सारा श्रीनाथजी का जेवर वहां रहता है। पर्सनल प्रोपर्टी को कानूनन भी डिलीट नहीं कर सकते। बॉम्बे में जाते हैं महाराज तो उनको भेंट वहां होती है, जयपुर में आयेंगे तो भेंट जयपुर में होगी, उनकी गद्दी मोती-महल है उसमें है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): अगर श्रीनाथजी के महन्त नहीं रहें तो फिर भी कोई भेंट करेंगे क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हां, ऐसा भी हो सकता है, भेंट कर सकते हैं। हम तो मन्दिर की व्यवस्था बैठाना चाहते हैं। यों तो उनका पर्सनल रेजिडेन्स है उस पर लोग भेंट कर जाते हैं। मन्दिर में जो भेंट होगी वह मूर्ति की है, कृष्ण भंडार की है...

डॉ० चन्द्रकला : इस कोठे की सम्पत्ति किसको समर्पित की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये तो हाई कोर्ट के जज फैसला करेंगे। मैं पुराना इतिहास बताता हूं। दो आदमियों के दस्तखतों से सील लगी थी जो मुन्सरिम मुकर्रर हुए थे, उदयपुर स्टेट की तरफ से, उस पर सील लगी हुई है। उस सील को तोड़ कर माल निकाला गया है। रेकॉर्ड में रिमार्क लगा हुआ है कि लोगों ने एतराज किया इसलिये इसको नहीं खोला गया। २।३ कमेटी ने ले लिया १।३ महाराज ने ले लिया। लोग कहते हैं कि लाखों करोड़ों के जेवर जवाहरात निकले। That is an matter of enquiry. क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बाकी यह बात वहां हुई है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मजिस्ट्रेट के यहां पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तो वकील हैं। मैं आपकी जानकारी के लिये कह सकता हूं कि जेवरात का बहियों में इन्द्रराज है और उन्होंने क्लेम किया है कि यह बात नहीं है कि इन्द्रराज नहीं हो। जहां के लिये एतराज है वह कोठा था जिसके बारे में मैंने बताया।

एक माननीय सदस्य : निजी सम्पत्ति के लिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : निजी सम्पत्ति के लिये हम कानून नहीं बना सकते, छीन नहीं सकते—कानूनन किसी की निजी सम्पत्ति को।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : क्लॉज मत रखिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्लॉज़ रखना पड़ेगा। उनकी जागीर अलग है, निजी सम्पत्ति है। जागीर के टर्म्स हैं कि महाराज के लिये दी गई है पर मन्दिर के काम में आई है। क्लॉज़ नहीं रखने देना चाहते हैं तो आप आयन्दा के लिये झगड़ा पैदा करने की सूरत पैदा करेंगे कि महाराज हर प्रोपर्टी पर झगड़ा करें। इसलिये यह रख देना चाहिये कि The personal property should remain with him.

हम कोई नास्तिक दिमाग के इन्टेन्शन से यह कानून नहीं बना रहे हैं, हम तो इन्तज़ाम करने के लिये यह कर रहे हैं। अब उनके दिमाग में यह इम्प्रेशन रहने दें कि महाराज के रहने के लिये मकान भी नहीं रहने दिया जायगा, यह उचित नहीं। इसलिये इस चीज़ को निकालने की आवश्यकता नहीं रखने की जरूरत है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : वे दो व्यक्ति कौन थे जिनके सील पर दस्तखत हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't know. They were perhaps Mr. Bhattacharya and Malviya and they were Government Officers. They were Munsarims appointed by the Mewar Government.

श्री सभापति : श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी : (कुम्भलगढ़) मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव विथड्रा करना चाहता हूं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि

श्री मनोहर कोठारी,

डॉ० बहादुरसिंह,

श्री पी० के० चौधरी,

डॉ० चन्द्रकला,

ने नाथद्वारा मन्दिर विधेयक, १९५९ की क्लॉज २ और ३ पर जो संशोधन रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मनोहर कोठारी : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

Page No.110

श्री पी० के० चौधरी : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर विधेयक, १६५६ का क्लॉज २ स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ४, श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ५, श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी (कुंम्भलगढ़) : मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I move, that the 'proviso' to sub-clause (5) be deleted.

यह जो प्रोविजो है उसमें लिखा है, "Provided that no less than two ob such other members shall be persons respiding in the State"

सभापति महोदय, मैंने यह जो एमेन्डमेंट मूव किया है उसका मतलब यह है कि यह जो प्रोविजो है उसमें procial आइडिया होता है। चाहे इसमें वैष्णव संप्रदाय के लोग हो या दूसरे। गवर्नमेंट यह चाहती है कि कम से कम दो व्यक्ति उस राज्य में निवास करने वाले हों। उनके बजाय अगर सरकार चाहे तो दो तीन या चार आदमी को भी रख सकती है। यह जो unnecessary प्रोविजन रखना चाहते हैं, सारे के सारे गुजरात के हों, कोई यू. पी. का हो या बम्बई का हो। बोर्ड तो वही रहेगा मैं कहूंगा कि बोर्ड Representatives होना चाहिये और जिस एरिया में ज्यादा सम्प्रदाय के लोग हों उसके प्रोपोर्शन से Representatives रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह सबसे ज्यादा जुडिशियस बात होगी। सरकार आखिर तो किसी को रखेगी ही। अगर इस प्रोविज़ो को हम नहीं रखें तो सरकार तो किसी को रखेगी। सरकार के रखने पर कोई रोक नहीं लगेगी। अगर यह रहता है तो सरकार दो तीन व्यक्तियों को नहीं रख सकती इसलिये मेरा यह निवेदन है कि procial feelings होती है। आप ऑल इन्डिया से या ४ व्यक्ति रख सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इसको डिलीट कर दिया जाए।

श्री सभापति : श्री किशनलाल।

Page No.111

श्री किशनलाल (नाथद्वारा) : मैं मूव नहीं करना चाहता ।

श्री सभापति : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं पेश नहीं करना चाहता ।

श्री सभापति : श्री हरिशंकर सिद्धान्त-शास्त्री ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर सु.): अभी जो नाथद्वारा का विधेयक आपके सामने आ रहा है यह एक क्रान्तिकारी विधेयक है और जिस समय यह क्रान्ति कारी बिल नाथद्वारा का आया तो क्यों न अपनी अवाज बुलन्द करें । क्लॉज ५ में उन्होंने लिखा है :

The Board shall consist of a president, the Commissioner of Udaipur Division and nine other members ".

मैंने जो एमेन्डमेंट भेजा है उसमें लिखा है :

"That one member should be from the Scheduled Castes" सभापति महोदय, श्रीनाथजी महाराज हमारे भी हैं और दूसरे लोगों के भी हैं । मैं यह समझता हूं कि दोनों ओर के लोग इस बात को मानते होंगे कि हरिजनों को गले लगाया जावे और उनकी आवाज़ बढ़ाई जावे । मगर जब नाथद्वारा बिल हमारे सामने आता है तो हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से जो कमेटी मुकर्रर की जाती है माल का इन्तज़ाम करने के लिये तो उसमें किसी हरिजन को सदस्य नहीं रखते हैं और वह भी ऐसे समय में जब दोनों पार्टीज़ आपस में लड़ रही हैं, तो हमें रखना चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): क्या आप भी बांट लेंगे ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : आप जरा साथ तो रखिये फिर मालूम होगा ।

श्री सभापति : आप संशोधन पर ही बोलिये ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : भारत के संविधान में हरिजनों को बराबर के अधिकार दिये गये हैं और भारत सरकार इस पर बराबर विचार करती आ रही है मगर मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि यहां 'He does not profess the Hindu religion or does not belong to the Pushti-Margiya Vallabhisampraday." लेकिन इसके आगे लिखा है कि "Provided that the disqualification specified in clause (2) shall not apply to the Goswami if he is willing to serve as a member of the Board" इस पर लागू नहीं होगा । मान लें कि एक कमिश्नर है अगर वह किसी दूसरे धर्म का अनुयायी है तो भी जा सकता है लेकिन एक शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी उस बोर्ड में नहीं लिया जा सकता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि वे शराबी हो, या किसी प्रकार की उनमें खराबी हो तो नहीं लिये जावे । मगर इसमें वल्लभ सम्प्रदाय के ही लोग रखें । मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जहां विधान में नियम बने हुए हैं और आप नियम बनाने जा रहे हैं और एक बोर्ड की स्थापना करने

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री)

जा रहे हैं वहां पर २१ लाख आदमियों के एक भी प्रतिनिधि को आप नहीं रखना चाहते। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आपको एक प्रतिनिधि रखना चाहिये।

(श्री रामचन्द्र के हंसने पर)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : वे बोले अभी आप हंस रहे हैं। जब आप बोलेंगे तब आपको मालूम होगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मैं यह कहूंगा कि यह जो नाथद्वारा से जेवरात आदि का कितना ही माल चला जा रहा है, घोड़ा भाग चुका है, मगर जो कुछ है उस पर आप दखल नहीं देना चाहते। सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर यही कहना चाहता हूं कि जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ और उसमें सबको निमन्त्रण दे दिया गया मगर हरिजन को नहीं दिया गया। जिसके कारण यज्ञ सफल नहीं हुआ। उस समय लोग कृष्ण भगवान के पास पहुँचे और कहा कि यज्ञ सफल नहीं हो रहा है, क्या कारण है ? तब उन्होंने लिस्ट मंगवाई कि किन किन को आमन्त्रित किया गया है।

एक माननीय सदस्य : हरिजन भाई नहीं था।

श्री सभापति : Order Please.

(श्री रामचन्द्र के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : आप क्या करना चाहते हैं।

श्री रामचन्द्र (डग मु.): मैं इसका समर्थन करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : अभी तो वे बोल रहे हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : उन्होंने लिस्ट मंगा कर देखी कि किस किस को यज्ञ में आमन्त्रित किया गया है। उन्होंने देखा तो उनको मालूम हुआ कि हरिजन भाई को आमन्त्रित नहीं किया गया और इसीलिये उनका यज्ञ सफल नहीं हुआ। इसीलिये मन्दिर की सम्पत्ति चली जाती है कि वहां पर कोई हरिजन नहीं है। आपने हरिजन के सुधार के लिये कई बातें बनाई है और अगर उनको इस तरह से आप गले लगावेंगे तो मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार से झगड़ा पैदा नहीं होगा। इसलिये एक हरिजन सदस्य इस बोर्ड में आप अवश्य रखें।

५ म० प०

श्री सभापति : डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला : Not moving, Sir.

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order ! Order Please !!

श्री रामचन्द्र (डग मु.) : जो कुछ कहना है वह तो आप करोगे ही, लेकिन हमारे विचार तो आप लोगों को मालूम हो जाय।

श्री सभापति : जो कुछ कहना है वह दो मिनिट में बोल दीजियेगा।

श्री रामचन्द्र : आप कहेंगे तो कल बोल दूँगा।

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !! मैंने आपको दो मिनिट का समय दे दिया है, बोलियेगा ।

श्री रामचन्द्र : सभापति महोदय, इस सदन में माननीय भाई ने जो पांचवे क्लॉज़ में संशोधन रखा है कि नाथद्वारा के मंदिर के प्रबन्ध के वास्ते जो बोर्ड बनाया जाय उसमें एक हरिजन मेम्बर को लिया जाय, यह बात ऐसी भंयकर कही कि चोतरफ से जैसे तूफान आगया हो । मैं आपको इस सम्बन्ध में एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि जब मैं शिक्षा संस्था (स्कूल) में दाखिल किया गया था उस समय जब मेरा नाम स्कूल में लिखा गया तो घर घर में यह चर्चा थी कि हरिजन लड़का मदरसे में भर्ती हो गया । आज हम देखते हैं कि यहां इस प्रकार का एक प्रस्ताव रखा और एक सुझाव दिया जारहा है । जब स्वतन्त्र भारत में, जिसमें अस्पृश्यता को पाप समझा गया है और उसके लिए कानून बना दिया गया है, उसको और बल देने के लिए हम ने यह चाहा था कि सरकार ऐसे मौके पर जब धार्मिक संस्थाओं (मंदिरों) के प्रबन्ध के लिए बोर्ड बना रही हैं उसमें एक हरिजन मेम्बर को भी रख दिया जाय तो सरकार की नीति को उससे अधिक बल मिलेगा, लेकिन उसके विपरीत आज हम यह देखते हैं कि इस सदन के मेम्बर हमारा समर्थन करने के बजाय चारों तरफ से डिस्करेजमेन्ट दे रहे हैं एवं उनकी आत्मा बोल रही है कि हरिजन को बोर्ड में न लिया जाय इसलिए मैं अधिक न बोलं कर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो संशोधन रखा गया हैं उसको कार्यान्वित किया जाय ।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सभापति महोदय, फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको मैं स्वीकार करता हूं कि प्रोविज़ो को डिलीट कर दिया जाय । मैं मानता हूं कि क्षेत्रीय भावना नहीं रहनी चाहिये । गवर्नमेन्ट बोर्ड का नोमिनेशन करेगी, पुष्टि मार्ग के जो भी लोग होंगे भारतवर्ष के इम्पोर्टेन्स के उन लोगों को रखा जायगा । इसमें प्रोविज़न ही यही है कि पुष्टिमार्ग में जो होंगे उन्हीं को इसमें रखा जावेगा, कोई बार नहीं रखा गया हैं । अब मैं अन्य माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेलें ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेरस.): मुझे यह संतोष दिला दें कि एक हरिजन सदस्य को लिया जावेगा ।

(विराम)

मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ने रखा है वह उन्हें वापिस लेने की इजाज़त दी जाय ?

(स्वीकृति)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

Page No.114

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५, संशोधनानुसार स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

कि क्लॉज़ ५ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५.६ बजे दिनांक २७ फरवरी, १६५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, २६ फरवरी, ५६)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर १३६०

वैद्यों का स्थानान्तरण

ज़नाना अस्पताल, जयपुर में प्रसव के समय मेडिकल कॉलेज के छात्रों की उपस्थिति

बीकानेर सिटी डिस्पेन्सरी का भवन निर्माण

बीकानेर शहर की ड्रेनेज योजना

सार्दूल कोलोनी बीकानेर में नालियों का निर्माण

भंवरसिंह हैड कॉन्स्टेबिल की बरख्वातगी

अ चार्याई अस्पताल बीकानेर में दवाईयों की व्यवस्था

नगरपालिका किशनगढ़ के अध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों का सस्पेन्शन

नगर विकास मंडल, जयपुर द्वारा भूमि का अलॉटमेंट

रामगढ़-गोविन्दगढ़ सड़क

फालना-देसूरी बस रूट

ग्राम पंचायत मोर तथा तहसील पंचायत का सरपंच

जयपुर शहर की जालूपुरा बस्ती

जिला बोर्ड जयपुर में अध्यापकों तथा वैद्यों की बकाया रकम

बांता बहुधन्धी सहकारी समिति

डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् में नियुक्तियां

स्कम्भ

नगरपालिका चाकसू का चुनाव

पुलिस कर्मचारियों को छुट्टी

गोलीराव तालाब के घाटों की मरम्मत

चूरू जिले के जल कष्ट निवारण की योजना

धौलपुर पावर-हाउस द्वारा बिजली देने की व्यवस्था

भरतपुर जिले में खाद्यान्नों की कमी

भाखरा नांगल परियोजना के अन्तर्गत चूरू जिले को बिजली उपलब्ध होना

राज्यपाल महोदय का सन्देश १४१६

माननीय अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित सन्देश पढ़ा गया :

"दिनांक १६ फरवरी, १६५६ को विधान सभा में मेरे अभिभाषण पर सदन के सदस्यों ने जो आभार प्रदर्शित किया उसको प्राप्त करके मुझे अत्यन्त संतोष हुआ है।"

विधायी कार्य

नाथद्वारा मन्दिर विधेयक, १६५६ १४१७

श्री मनोहर कोठारी द्वारा प्रस्तुत इस संशोधन प्रस्ताव पर कि

Page No.116

विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय आज भी वाद-विवाद जारी रहा।

निम्नलिखित सदस्यों ने बहस में भाग लिया :—

१. श्री किशनलाल
२. श्री लक्ष्मीचन्द
३. श्री भैरोंसिंह (१४)
४. श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा
५. श्री अर्जनदास
६. श्री गिरधारीलाल
७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। तदुपरान्त श्री मनोहर-कोठारी ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव विभाजन के पश्चात स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार किया गया :—

खण्ड २:—इस खण्ड पर श्री मनोहर कोठारी, श्री पी. के. चौधरी, डॉ० चन्द्रकला एवं डॉ० बहादुरसिंह ने अपने अपने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये। राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् संशोधन वापस ले लिये गये तथा खण्ड बिना किसी संशोधन स्वीकार किया गया।

खण्ड ३ व ४:—स्वीकार किये गये।

खण्ड ५:—इस खण्ड पर श्री पी. के. चौधरी व श्री हरिशंकर-सिद्धान्त शास्त्री ने अपने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये। राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ने अपना संशोधन वापस ले लिया तथा श्री पी. के. चौधरी का संशोधन स्वीकृत हुआ। खण्ड संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

शुक्रवार, २७ फरवरी, ५६ की कार्य सूची

१. प्रवर समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

राजस्थान दहेज नियंत्रण विधेयक, ५८

२. राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, ५८

प्रवर समिति को—

३. गैर सरकारी संकल्प अस्पृश्यता सम्बन्धी संकल्प—

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४३ का उत्तर देखिये)

जयपुर जिला बोर्ड के कर्मचारियों के एरियर्स की सूची

क्रम सं०	नाम व्यक्ति	नियुक्ति स्थान	एरियर	एरियर कब से कब तक
१	२	३	४	५
१.	श्री रामदास शर्मा वैद्य	औ श्योपुर	ग्रेड वृद्धि	जून, ५८
२.	श्री नारायण प्रसाद वैद्य	औ कानोता	,,	अगस्त ५७ से जुलाई ५८
३.	श्री भैंरूलाल शर्मा वैद्य	औ बैरावंडा	,,	मई ५८
४.	श्री बेनीराम शर्मा वैद्य	औ. लवाण	,,	अप्रेल से मई
५.	श्री रामदेव शास्त्री वैद्य	औ. राहूवास	,,	,,
६.	श्री वृद्धिचन्द शर्मा वैद्य	औ. पचार	,,	मार्च से अगस्त ५८
७.	श्री वासुदेव शास्त्री वैद्य	औ. चन्दलाई	,,	,,

१	२	३	४	५
८.	श्री रामदास शास्त्री वैद्य	ओ. श्यापुर	ग्रेड वृद्धि	जुलाई ५८ से अगस्त
९.	श्री प्रभुनारायण उप वैद्य	ओ. करनावर	,,	जून से अगस्त ५८
१०.	श्री शंकरलाल वैद्य	ओ मडावरी	,,	जून ५८
११.	श्रीमती गुलाबदेवी अध्यापिका	स्कूल किशनगढ़	,,	अप्रेल से जुलाई ५८
१२.	श्री राम अवतार वैद्य	पापड़ा	,,	अप्रेल से जुलाई ५८
१३.	श्री महादेव शर्मा		,,	सितम्बर ५८
१४.	श्री भगवान सहाय वैद्य	बवियाना	,,	जून ५८
१५.	श्री रामकेदार	ओ. घनवाड	,,	२४-११-५७ से ३१-७-५८
१६.	श्री चन्द्रशेखर वैद्य	ओ चादवकलां	,,	१-१२-५७ से ३१-६-५८
१७.	श्री ओमनाथ अध्यापक	ओ. बैजूवाड़ा	,,	माह जून ५६
१८.	श्री भूरामल शर्मा अध्यापक	ओ रूपाहैडी	,,	१-१२-५७ से ३१-६-५८
१९.	औषधालय स्टाक	श्री बैजूवाड़ा	,,	फरवरी ५८
२०.	श्री गंगासहाय अध्यापक	ओ. दौलतपुरा	३,	३-१२-५५ से ३१-८-५८

१	२	३	४	५
२१.	श्री कन्हैयालाल वैद्य	ओ करनसर		मार्च ५७ से जून ५८
२२.	श्री रामकुवांर अध्यापक			१५-११-५७ से १५-५-५८
२३.	श्री प्रेमप्रकाश शर्मा अध्यापक			नवम्बर ५७
२४.	श्री रामेश्वर प्रसाद ,,	रायकर्मपुरा	ग्रेड वृद्धि	२६-८-५७ से ३१-१२-५८
२५.	श्री नारायणसिंह अध्यापक	जोधपुरा		२०-६-५७ से ३१-५-५८
२६.	श्री ओंकारसिंह अध्यापक	,,		१-४-५७ से ३१-३-५८
२७.	श्री जेठमल अध्यापक	गगोती खुर्द		३०-८-५८ से ३१-५-५८
२८.	श्री मानकचन्द पट्टी अध्यापक	छोटी डूंगरी	ग्रेड वृद्धि	१४-६-५७ से ३१-५-५८
२९.	श्री सोहनलाल अध्यापक	छोरमा	,,	३०-१-५७ से ३१-५-५८
३०.	श्री मदनलाल अग्रवाल अध्यापक	खाटोला	,,	१४-६-५७ से ३१-५-५८
३१.	श्री विद्यादेवी गुप्ता अध्यापिका		,,	१६-११-५७ से ३१-५-५८
३२.	श्री केसरी नारायन अध्यापक	खाटोला	,,	३०-६-५७ से ३१-५-५८
३३.	श्री माधोप्रसाद शर्मा अध्यापक	काटोला	,,	३१-५-२८

१	२	३	४	५
३४,	श्री रामस्वरूप अध्यापक	कालेता	ग्रेड वृद्धि	४-७-५७ से ३१-५-५८
३५.	श्री प्रभुदयाल शर्मा अध्यापक	चादेरा		१-४-५७ से ३१-५-५८
३६.	श्री रामअवतार अध्यापक	,,	,,	१२-८-५७ से ,,
३७.	श्री किशन शर्मा अध्यापक	पाटन	,,	१-१२-५७ से ,,
३८.	श्री नरसिंह प्रसाद अध्यापक	फरालपुरा	,,	२१-६-५७ से ,,
३९.	श्री किशोरीलाल तिवाड़ी अध्यापक	अचलपुरा	,,	१-४-५७ से ,,
४०.	श्री हनुमानप्रसाद अध्यापक	पंडितपुरा	,,	१-२-५८ से ,,
४१.	श्री दुब्बे माधोलाल विर्क अध्यापक	श्यामसिंह पुरा	,,	२-७-५७ से ,,
४२.	श्री चन्द्राबाई जैन अध्यापिका	दुर्गापुरा	,,	२२-२-५८ से ,,
४३.	श्री बद्रीनारायण अध्यापक	,,	,,	८-२-५८ से ,,
४४.	श्री मदनलाल जैन अध्यापक	अजमेरीपुरा	,,	२-७-५७ से ,,
४५.	श्री रामेश्वर प्रसाद अध्यापक	गरूडवासी	,,	२-१०-५७ से ,,
४६.	श्री रमेशचन्द अध्यापक	रायपुरा	,,	१-४-५७ से ,,

१	२	३	४	५
४७.	श्री रामपाल अध्यापक	मांगीवास	,,	३०-११-५७ से ३१-५-५८
४८.	श्री रामगुजर ,,	रायकरणपुरा	,,	१-४-५७ से ,,
४६.	श्री रामनारायण ,,	नांगलपुरोहित	,,	१-४-५७ ,, से
५०.	श्री सरतावकवर ,,	रूपाहैडी	,,	३-७-५७ से ,,
५१.	श्री जीवन देवी ,,	,,		
५२.	श्री नारायण सहाय ,,	गिरधारीलालपुरा	,,	जून ५८
५३.	श्री धन्नोदेवी ,,	लाखना	,,	,,
५४.	श्री भवंरलाल ,,	दुर्गापुरा	,,	१६-२-५८
५५.	श्री नारायणसिंह ,,	गिरधारीलालपुरा		नवम्बर ५७ से फरवरी ५८
५६.	श्री हजारीलाल ,,	चाकसू	,,	जनवरी ५८
५७.	श्री किशनलाल चपरासी	मांग्यवास	,,	,,
५८.	श्री गंगादेवी अध्यापक	दुर्गापुरा	,,	,,
५६.	श्री राधेश्याम ,,	कालोता	,,	,,

१	२	३	४	५
६०.	श्री भगवानसहाय ,,	जैसिंहपुरा	,,	,,
६१.	श्री बाबूलाल गुप्ता ,,	बान्दीकुंई		१०-५-५७ से ३१-२-५८
६२.	श्री राजेन्द्रप्रसाद पंचोली,,			अक्टूबर ५८
६३.	श्री नारायण नाई ,,	निवाई		अगस्त ५८
६४.	श्री रामाअवतार गोयल ,,	सिकरिया		अगस्त सितम्बर ५८
६५.	श्री मंगलराम गुजर ,,	रायपुरा		३-३-५८ से १५-५-५८
६६.	श्री ओंकारलाल यादव	इनदोहपुरा		१-४-५८ से ३१-५-५८
६७.	श्री सत्यनारायण ,,	सरतापुरा		,, ,,
६८.	श्री राजसिंह ,,	चौधरी का वास		१५-३-५८ से ३१-५-५८
५६.	श्री अब्दुलधन खां ,,	वाणका सरखेड़ा		मार्च ५८ से मई ५८
७०.	श्री नवरतनमल ,,	खरखेडा रलाना		,,
७१.	श्री ज्ञानदेवी अध्यापक	अचरोल		मार्च ५८ से मई ५८
७२.	श्री प्रेमप्रकाश जोशी ,,	कनकाबर		मई ५८

१	२	३	४	५
७३.	श्री हेमलता त्रिवेदी	मानपुरा		मई ५८
७४.	श्री सुखदेवी गुप्ता ,,	गदोरा		अगस्त सितम्बर ५८
७५.	श्री स्कूल डिस्टिक	बस्ती		सितम्बर ५८
७६.	श्री रामेश्वरदयाल ,,	अनवंती		अगस्त से सितम्बर ५८
७७.	श्री बाबूलाल खसार	बंधोदिया		जुलाई से अगस्त ५८
७८.	श्री कालूराम हीर ,,	हरिपुरा		,,
७९.	श्री इमानदेवी	बंधोदिया		जुलाई से सितम्बर ५८
८०.	श्री गणेशनारायण ,,	रागा		,, ,,
८१.	श्री इन्दरनारायण ,,	फुलेरा		,,
८२.	श्री मेवाराम ,,	नागल बस्ती		,,
८३.	श्री भवंरी गुजरी ,,	बंधादिया		,,
८४.	श्री देवीलाल जोगी	बस्ती नागा		जून से जुलाई ५८
८५.	श्री प्रहलादसिंह ,,	पालडी		अप्रेल से जुलाई

१	२		३	४	५
८६.	श्री दीनदयाल	,,	द्वारका		,,
८७.	श्री सोनीदयाल	,,	पालयी		जुलाई से अगस्त ५८
८८.	श्री नरसिंह प्रसाद	,,	फराशपुरा		सितम्बर ५८
८६.	श्री भूपालसिंह	,,	रागा		अगस्त ५८
६०.	श्री रामलाल	,,	श्यामसिंह पुरा		मार्च ५८ सितम्बर
६१.	श्री तेजदेवी	,,	मानपुरा		फरवरी ५८
६२.	श्री राजूलाल	,,	चैटरी		१२-७-५७ से ३१-७-५७
६३.	श्री हीरालाल	,,	खेतपुरा		१७-६-५७ से ३१-२-५८

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २५१ का उत्तर देखिए)

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF FAIR PRICE IN BHARATPUR DISTRICT

S. N.	Name of place shops opened.	No. of Fair price Shops.
1.	Bharatpur.	20
2.	Kumher.	1
3.	Deeg.	3
4.	Kaman.	2
5.	Nagar.	2
6.	Pahari.	1
7.	Sikari.	1
8.	Bayana.	3
9.	Weer	1
10.	Bhusawar.	1
11.	Nadhai.	1
12.	Rupbas.	1
13.	Uchain.	1
14.	Dholpur.	3
15.	Rajakhera.	1
16.	Bari.	2
17.	Baseri.	2
18.	Sirmathura.	1
	Total	47

ALLOTMENT OF FOODGRAINS TO BHARATPUR DISTRICT.

May 58		June 58		July 58		August 58		Sept 58		Oct 58		Nov. 58		Dec. 58		Jan. 59		Feb. 59	
Dem.	Allot.	Dem.	Allot.	Dem.	Allot.	Dem.	Allot.	Dem.	Allot	Dem.	Allot.	Dem.	Allot.	Dem	Allot.	Dem.	Allot.	Dem.	Allot.
X	X	X	X	280	200	480	216	789	403	1310	454	1169	411	2269	2088	1272	1324	1368	1624

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२५ का उत्तर देखिये)

BIKANER PUBLIC WORKS DEPARTMENT FORM (C)

Tender & Agreement Major Works.

I/we Tej Karan son of Loon Karan Purohit, Resident of Bikaner undertake to execute the following works at the rates given below and in accordance with the conditions given in the attached form of agreement.

Name & Place of Work--Construction of City Dispensary on the site of Old Kotwali.

Estimate No. R/5 dated 21-1-48.
Approximate amount of estimate Rs. 80,000/-.

Date of commencement, 26-1-48.

Rates tendered (strike out those not applicable).
Estimated rates.

Date of completion, 26-10-48.

111% above/below Schedule of Rates.
Item rates quoted in attached schedule.

Penalty for non-completion, 1% per week.

Earnest money (Treasury receipt submitted herewith) Rs. X. Sceurity Deposit.

By Treasury receipt to be submitted on allotment of contract over and above earnest money. Rs. X.

By deduction of 10 percent on each bill. Total of Earnest money and Security Deposit shall amount to 5% of the total estimated value of the work.

Sd/—Tej Karan,
(In Hindi) Contractor.

Date.

Witness. (1) Sd. P. Sheochand (In English)
(2) Sd. Ali Mohd. (In Hindi).

The above tender is accepted on behalf of Govt. of Rajasthan.

Sd/—S. R. Gadhoke,
Actg. Chief Engineer, B & R

Date 2nd March, 1948.

No. 132/C/A. dated 26-2-49;

Copy forwarded to the Contractor Tej Karan for information & necessary action.

Sd/—Mohanlal,
for Chief Engineer.

SPECICAL SPECIFICATIONS AND CONDITIONS.

(1) Rs. 5,000/- will be advanced to carry out the work.

(2) No percentage will be allowed on supplies made by State.

(3) Patties will be supplied by the State at site of work.

(4) Coal for burning lime will be supplied by the State on payment.

(5) Petrol coupons for carriage of materials will be given.

(6) Water will be supplied free at site by pipe connection.

(7) Bricks, cement, wood, iron, & painting materials etc. will be supplied by the State & contractor will be paid labour rates only. In case the contractor is called upon to supply any of the above materials he will be paid at market rates plus 10% profit. The materials which are to be supplied by the State & on which no percentage is to be allowed will be supplied at site of work.

(8) State will give every facility for obtaining wagon space for transporting sweet lime etc., from outside.

(9) The contractor will have to engage a competent Mistry to supervise the work & he will be in constant touch with the Overseer, I/C,. In case of failure to appoint such Mistry the same will be appointed by the State at the cost & risk of the Contractor.

(10) In the event of the progress of the work being unsatisfactory the work will be carried out through some other agency at the cost of the contractor.

(11) If there is any claim it must be submitted during the progress of the work within one month from the date such claim occurs. If any claim is submitted after above period the claim will be not entertained.

Sd/—Tej Karan (In Hindi) Contractor.

Sd/—C. B. R. Mathur,
Asstt. Engineer,

Sd/—S. R. Gadhoks,
Chief Engineer, P.W.D.,

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२३ का उत्तर देखिये)

सन् ५६–५७ में निम्नलिखित वैद्यों के भारतीय स्थगित किये गये ।

१. श्री नन्दन शर्मा	नावा	परवतसर
२. श्री रामदयाल	परवतसर	मारवाड जक्शंन
३. श्री कंवरप्रसाद	मारवाड जक्शंन	नावां
४. श्री देवीनारायण	सीरसी	पावटा
५. श्री भगवती दत्त	देलवाढ़ा	समनार
६. श्री तेजशंकर	समनार	देलवाडा
७. श्री जगदीश प्रसाद	पांगई	मिदाई
८. श्री राजकुमार	मिदाई	पांगई
९. श्री धनवाली लाल	भानगेर	धून
१०. श्री गुलाबचन्द	आनन्दपुर	हसतेडा
११. श्री रामजीवन	हसतेड़ा	आनन्दपुर
१२. श्री मोहनलाल	गून्छा	बड़ागांव
१३. श्री गोपाल प्रसाद	जलूवर	कुरगांव
१४. श्री श्री निवास	गुरगांव	करनपुर
१५. श्री रामलाल	जनूबर	करनपुर
१६. श्री महावीर प्रसाद	मेसरण	कुराबड
१७. श्री जयदेव शर्मा	रिखबैव	पुराबड
१८. श्री गोपालदत्त	बाई	उदयपुर
१९. श्री बन्सीधर	दांतील	बाई
२०. श्री लेखराज	पपरेरा	पार्थना
२१. श्री रामचन्द्र	पार्थेना	पपरेदा
२२. श्री उम्मेदलाल	गाडेला	पाहेल
२३. श्री बनवारीलाल	आचनेर	धून
२४. श्री राधेश्याम	धून	जोबनेर

२५. श्री दामोदर	भोपसोड़ा	परतात्रगढ़
२६. श्री पी. के. भट्ट	परतात्रगढ़	उदयपुर
२७. श्री राधेश्याम	ठग	थून बजाय जोबनेर
२८. श्री हरिनारायण	धांधी	बडागांव बनाम गुंधा

१९५७–५८.

१. श्री देवकी नन्दन	पाहेल	घाटा का बाड़ा
२. श्री जगदीश शर्मा	घाटा का बाड़ा	कुटीना
३. श्री रामचन्द्र	गुटीना	भाहेस
४. फतेह शर्मा	चूदां	सरपातिया
५. श्री खेमशंकर	उदयपुर	सेतगाला
६. श्री मटवालाल	हमीरगढ़	उदयपुर
७. श्री भोलेशंकर	खमनोर	हमीरगढ़
८. श्री किशनचन्द	नन्दराय	खमनीर
९. श्री रामजीवन	चैनपुर	सीमला
१०. श्री आनन्दस्वरूप	गुता	मुबारकपुर
११. श्री रामजीन	सीमला	पचेरी
१२. श्री चम्पालाल	कूरज	उदयपुर
१३. श्री बन्सीलाल	उदयपुर	कूरज
१४. श्री चन्द्रकर	गोपालगढ़	अलयगढ़
१५. श्री पुरुषोत्तम	अलयगढ़	गोपालगढ़
१६. श्री अनवरहुसेन	बालघाट	ताला
१७. श्री रामजीवन	ताला	बालाघाट
१८. श्री गुलाबचन्द	आनन्दपुरा काल	सैथल
१९. श्री हरिराम गौड	खमेरा	आनन्दपुरकालू
२०. श्री रामकृष्ण कौशिक	खमेरा	तलवाडा
२१. श्री रामकिशन कौशिक	बजायखमेरा से	तलवाडा
२२. श्री ऋषिदेव	कोलिया से सियाना	कोलिया से खुनखुना
२३. श्री रघुलाल	भीहार से जोधपुर	आहोर से सियाना
२४. श्री नाथ चतुर्वेदी	केथून से बिचूण	बजाय नाहारगढ़ के

१९५८–५९.

१. श्री भंवरलाल	घांतोला	रसीदपुर
२. श्री हीरालाल	झानड	रायपुर
३. श्री नाथ चतुर्वेदी	नाहरगढ़	लैचरीली
४. श्री द्वारकाप्रसाद	खैजरोली	नाहरगढ़
५. श्री सैय्यद हुसेन	उदयपुर	अजमेर
६. श्री चन्द्र शेखर	सायरा	बकरिया
७. श्री राधाकृष्ण	डूंगरपुर	जोधपुर
८. श्री श्रीगोपाल	जोधपुर	धौलपुर
९. श्री राधागोविन्द	धौलपुर	जयपुर
१०. श्री रामप्रताप जोशी	जयपुर	डूंगरपुर
११. श्री नाथचतुर्वेदी	नाहरगढ़	धूला
१२. श्री अमृतलाल	रि०वैय	अखांतार
१३. श्री गणेशदत्त	घसूक	उदयपुरिया
१४. श्री भवदत्त	राणोली	भिनाय
१५. श्री भोलाराम	चकवाड़ा	भिनाय
१६. श्री बद्रीप्रसाद	शिवदासपुरा	अजमेर
१७. श्री भारद्वाज	अजमेर	मनोहरपुरा
१८. श्री जगदीशप्रसाद	अजमेर	मनोहरपुर

सन् १९५८–५९

१. श्री सय्यद हुसैन	उदयपुर से फतहनगर बजाय अजमेर
२. श्री कृष्णगोपाल	पदराडा से केकरिया बजाय सायरा
३. श्री हरिनारायण	बोडीगांव से पदमाडा बजाय राजगढ
४. श्री आशाराम	धांवला, शिवरूघाटा से पादूकला
५. श्री हरिराम	घटादि से बासंटा बजाय भावड
६. श्री भवदत्त	बगडी से बासंटा बजाय जूनिया
७. श्री हरिश्चन्द्र	राजगढ़ से जूनिया बजाय बसन्टा
८. श्री नन्दलाल	गन्छीपुरा से भिनाय बजाय राजमथाई
९. श्री मदनसिंह	रांल से चकवाडा के बजाय रानीली चकवाडा की बजाय भिनाय भिनाय के बजाय राजमथाई राजमथाई के बजाय चकवाडा
१०. हरिनारायण	कामेंसी जयपुर से मानपुर बजाय शिवदासपुरा फिर जयपुर फामेंसी
११. श्री मदनलाल	छोटीखाटू से जावल बजाय छोटीखाटू
१२. श्री भोलाराम	चकवाडा से लूणवा बजाय राजमथाई
१३. श्री एन. एस. स्वामी	धोवलाई से भासदसोडा बजाय पाखुद से सीरसी
१४. श्री श्यामसुन्दर	शिमला बजाज मूडावत
१५. श्री मन्नालाल	टीयाबसई शिमला
१६. श्री नीलकंठ	आमेट से गोगुन्डा बजाय बरार के
१७. श्री नरेन्द्रकुमार	बौंसा से माजूद बजाय आमेट
१८. श्री रामजीलाल	तातारपुर से मीरावडाकला बसाय देवरी
१९. श्री मूलचन्द	देवरी से बसई सलेटा बजाय तातारपुर
२०. श्री बन्शीधर	रण से खजवाना
२१. श्री रामलोटन	खजवाना से शंखवास बजाय रूण
२२. श्री घीसुलाल	बिजोवा से घाणेराव

शुद्धि-पत्र

(कार्य विवरण दिनांक २६ फरवरी, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१३६३	अन्तिम से ३	छुट्टियां	छुट्टियां
१४०६	६	tne	the
१४२१	७	इल्ज़ाम लागवें ।	इल्ज़ाम लगावें ।
१४२४	१	(श्री पुरुषोदत्तलाल शर्मा)	(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)
,,	अन्तिम से ११	एक पे-शानी	एक परेशानी
१४२८	,, १७	और वहं	और वहां
,,	,, १४	मन्दिर	मन्दिर
,,	,, ११	,,	,,
१४४०	,, ६	मेनेजिंग	मैनेजिंग
१४५७	५	नाथद्वरा	नाथ द्वारा
१४७२	प्रथम	(श्री भौरोसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
,,	१६	नैतिक स्तर	नैतिकस्तर
१४७८	४	मार्केटियर्स	मार्केटियर्स
१५०२	अन्तिम ३	तबयत	तबियत
१५०३	,, २	अपो	आपने
,,	अन्तिम	जंच	जांच
१५०४	,, ६	जंच	जांच
१५०६	,, १५	यदि रकार	यदि सरकार
१५०८	६	इकोनमिक	इकोनॉमिक
,,	अन्तिम	कहो लगे प्रगति	कहने लगे प्रगति
,,	,, ६	इंगितश	इंगलिश
१५१४	,, १२ १३	और नथद्वारा	और नाथद्वारा

१	२	३	४
१५३०	१४	पोजीश्न	पोज़ीशन
१५३२	११	इन्द्रराज	इन्दराज
१५३७	प्रथम	दर्गाह	दरगाह
,,	अन्तिम १२	वैश्णव	वैष्णव
१५३९	अन्तिम से ८	क्लेअरी फाई	क्लेरी फाई
१५४५	प्रथम से	वङ्मय	वाङ्मय
,,	६	गिरीराज	गिरिराज
१५५४	८	भेंट हु है ०	भेंट हुई है
१५७५	अन्तिमसे ५-६	इन्द्रराज	इन्द्राज
१५७७	२	कुम्भलभढ़	कुम्भलगढ़
१५७९	१२	वैषणव	वैष्णव
१५९६	नं० ४८	श्रीरामगुजर	श्रीराम गूजर
१५९७	,, ६५	श्री मंगलराग गुजर	श्री मंगलराम गूजर
१६०४	,, ११	oceurs	occurs
१६०८	,, १२	रि० वैय	रि० वैद्य
१६०९	,, १०	फार्मेसी	फार्मेसी